खण्ड-356, अंक-1
शुक्रवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(5 मार्च, 1982 ई0)

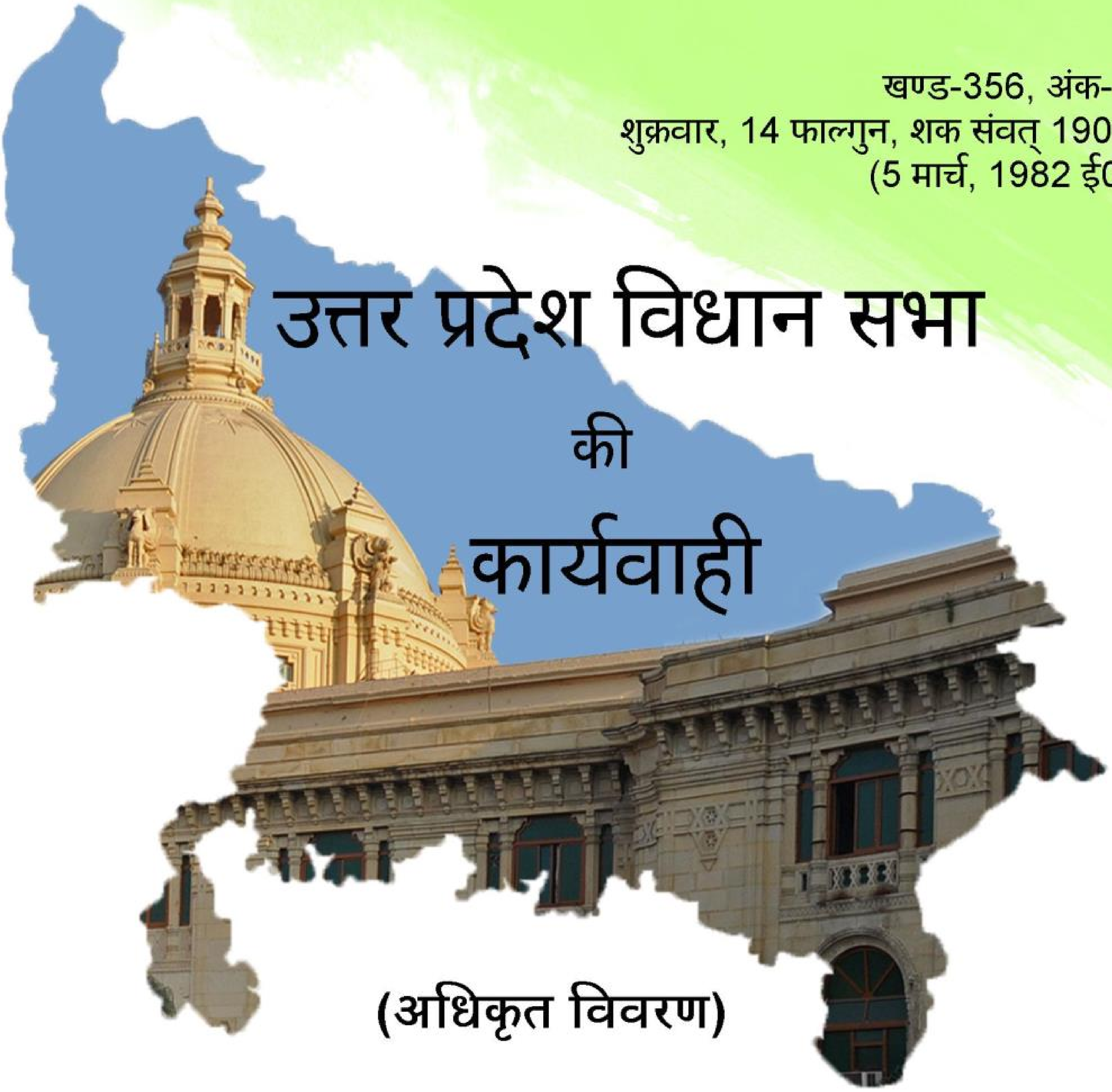

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 356 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–4
प्रश्नोत्तर ..	5–60
में सदस्यों द्वारा व्यवस्था बनाये रखने, उपस्थित रहने तथा सरकार द्वारा प्रश्नों के समुचित उत्तर दिये जाने की श्री उपाध्यक्ष की अपील ..	61–62
रा नगर के निकटवर्ती गांवों की फसलों को घोसी के पशुओं द्वारा नष्ट किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	62–63
में नेशनल सीड कारपोरेशन द्वारा सोनालिका गेहूं का बीज प्राइवेट बीज बिक्रेता के साथ बेच देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	63–64
के मेडिकल कालेजों में पिछले एक वर्ष से मेडिकल स्नातकोत्तर भत्ता न दिये जाने से उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	64
व फैजाबाद के बुनकरों को विद्युत विभाग द्वारा बकाये के बिल भेजने से उत्पन्न संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65
ोर शुगर मिल लि0, सिसवा बाजार, गोरखपुर द्वारा कर्मचारियों के वेतन का व कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65–66
का–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	66
सहकारी राज्य मंत्री, श्री बच्चा पाठक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं कार्यवाहक जिला निरीक्षक, बलिया से अनुचित दबाव डाल कर कार्य कराये जाने के संबंध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	66–67
1982–83 के आय–व्ययक में मांगों के लिये मतदान–अनुदान संख्या 37–प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 54–विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग, अनुदान संख्या 56––श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 57––श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) ..	78–134
सत्र के दौरान जिला स्तर पर होने वाली बैठकें स्थगित किये जाने की सूचना ..	134
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	134–135

मेरठ के ग्राम पूठी में हरिजन परिवारों को लूटे जाने संबंधी वक्तव्य में कतिपय सदस्यों का नाम न छापे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न . 135

मेरठ जनपद के ग्राम पूठी में हरिजन परिवारों को लूटने की घटना के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी) .. 135–138

वक्तव्य संबंध, स्पष्टीकरण के प्रश्नों के उत्तर कैबिनट मंत्री द्वारा न देकर राज्य मंत्री द्वारा दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. 138–139

मेरठ जनपद के ग्राम पूठी में हरिजन परिवारों को लूटने की घटना संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 140–143

नत्थियां .. 145–157

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 1982 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--318

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमान, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवर खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी, (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैया) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशो राम, श्री (बदायू)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छतर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

135251
H
U.P.L.A.
Vol.356
1982

छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदेव सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द किशोर सिंह, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री, (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा

मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धन, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसेन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री उर्फ मुन्नी (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमाश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट--श्रम मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 5 मार्च, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्राम समाज विशुनपुरा मटियरा, जिला गोरखपुर के प्रधान पर सम्पत्ति के दुरुपयोग का आरोप तथा कृत कार्यवाही

*1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम समाज विशुनपुरा मटियरा, तहसील सदर, जिला गोरखपुर की सम्पत्ति के दुरुपयोग को लेकर ग्राम प्रधान पर कुछ ग्रामवासियों ने गम्भीर आरोप लगाकर परगनाधिकारी सदर को माह मई, 1981 के माह 10 अक्तूबर, 1981 तक अनेक शिकायतें दी हैं ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो इनके क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सिलवर (लखनऊ) के हरिजनों को कब्रिस्तान हेतु ली गई भूमि

*2—श्री सन्तबक्स रावत तथा श्री राम स्वरूप निम—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम सिलवर, परगना व तहसील मोहन लाल गंज, जनपद लखनऊ की भूमि नं0 519 रकबा दो बीघा जो हरिजनों के लिए कब्रिस्तान एवं शमशान के लिए आरक्षित थी, को अक्तूबर, 1981 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रेक्टरों द्वारा जोत डाल गया था ? यदि हां, तो दफन किये गये मुर्दों के कब्रों को जुतवाने का क्या औचित्य था ? क्या यह भी सही है कि हरिजनों के भारी असन्तोष के कारण दिनांक 16 नवम्बर, 1981 को मौके पर जाकर परगनाधिकारी, मोहनलाल गंज, लखनऊ ने प्रश्नकर्त्ता के समक्ष ग्रामीणों के हित में पूर्ववत् जमीन छोड़ने का आश्वासन दिया था ?

राजस्व उपमन्त्री (श्री सरजू प्रसाद 'सरोज')—

जी हां ।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में कम से कम दो हेक्टेयर भूमि प्राथमिकता के आधार पर पौधालय हेतु उपलब्ध कराना था फलस्वरूप खंड विकास अधिकारी, गोसाईगंज ने सड़क के किनारे शिवलर गांव के ग्राम सभा की भूमि का चयन ग्राम प्रधान तथा भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 4-11-81 को पारित प्रस्ताव के आधार पर किया । तहसील चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के कारण तथा अभिलेख तुरन्त उपलब्ध न होने के कारण

भूमि की अभिलेखीय स्थिति की तत्काल जांच सम्भव नहीं थी परन्तु यह निश्चित था कि यह ग्राम सभा की भूमि है। उपरोक्त परिस्थिति में ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि गांव वालों को नरसरी लगाने में कोई आपत्ति थी।

विभाग द्वारा उक्त भूमि पर नरसरी हेतु कार्य प्रारम्भ करने पर माननीय विधायक द्वारा यह बात प्रकाश में लायी गयी कि प्रश्नगत भूमि का अंश शमशान है तथा शेष पशुचर है यदि यह भूमि ले ली गयी तो पशुओं के चराई की समस्या गम्भीर हो जायेगी। इस तथ्यों के प्रकाश में आने के फलस्वरूप परगनाधिकारी द्वारा माननीय विधायक के साथ दिनांक 16-11-81 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा अभिलेखों की जांच भी की गयी। मौके पर एकत्रित हरिजनों ने बताया कि प्रश्नगत भूमि पर उनके पूर्वजों की कब्रें हैं। अतः उनके आग्रह को मानकर वन विभाग को निर्देशित किया गया कि कार्य तुरन्त रोक दिया जाय तथा नरसरी की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी। इस व्यवस्था से ग्रामवासी संतुष्ट हैं तथा अब किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

श्री सन्त बक्स रावत--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर भ्रामक एवं सत्य से परे है। उन्होंने कहा कि भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों द्वारा 4-11-81 को पारित प्रस्ताव के आधार पर खंड विकास अधिकारी ने चयन किया है। उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव के आधार पर सामाजिक वानिकी में विभाग ने सन्दर्भित कब्रिस्तान को ट्रैक्टरों से जोत डाला जिसके सम्बन्ध में गांव के हरिजनों ने 23 सितम्बर, 1981 को तथा मैंने भी दिनांक 3-11-81 को एक प्रार्थना-पत्र दिया था। यह जो प्रस्ताव बताते हैं यह 4 तारीख का, यानी उससे पहले ही वह जमीन जोत दी गई थी। उसमें डेढ़ सौ कब्रें थी जिसे खंड विकास अधिकारी ने बगैर किसी प्रस्ताव के जुतवा दिया था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उस खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिसने बिना प्रस्ताव के जमीन जुतवा दी? यदि नहीं, तो अब क्या कोई कार्यवाही की जायेगी?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह सही है कि दिनांक 4-11-81 को प्रस्ताव हुआ ऐसा कहा जाता है। कोई ज्यादा समय नहीं लगा। उसका 16-11-81 को ही निरीक्षण हुआ और उसको निरस्त कर दिया गया तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई। दो हेक्टेयर जमीन ले ली गई थी, उसको छोड़ दिया गया तथा काम रुकवा दिया गया। जो जानकारी आयी है उससे पता लगता है कि उसमें कोई कब्र नहीं थी, इसलिए समतल समझकर उन्होंने इस पर काम शुरू करवा दिया था।

यद्यपि यह जानकारी प्रधान को होनी चाहिए थी कि यहां पर कब्रें हैं। यह काम जरूर अनुचित हुआ है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि इसमें यह भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित होनी थी लेकिन पहले गांव सभा द्वारा और एस० डी० ओ० को देखनी चाहिए थी और उसके बाद यह कार्यवाही करनी चाहिए थी।

श्री सन्त बक्स रावत--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सन्दर्भित तहसील में चकबन्दी का कार्य चल रहा था जिनके कारण कागज उपलब्ध नहीं थे। तो भूमि प्रबन्धक समिति

का सचिव लेखपाल होता है और लेखपाल ही यह प्रस्ताव रखता है और उसमें सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां कोई प्रस्ताव नहीं हुआ और किसी सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। 16 तारीख को परगनाधिकारी ने जब जब निरीक्षण किया तो मेरी उपस्थिति में लेखपाल ने सारे कागज उपलब्ध कराये उसने बताया कि दो बीघा शमशान की भूमि है और शेष गोचर है तो यह कहना गलत है कि कागज उपलब्ध नहीं थे। यह जो कह रहे हैं कि 4-11-81 को प्रस्ताव हुआ है तो इसके पहले जमीन जोती जा चुकी थी। खंड विकास अधिकारी ने जोतवा दिया जिस पर कब्र उभरी हुई थी सौ-डेढ़ सौ मुर्दे दफनाए हुए थे। उनकी कब्र उभरी हुई थी जिसके कारण गांव में असन्तोष पैदा हो गया। जब परगना अधिकारी वहां गए तो डेढ़-दो सौ आदमी वहां उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दूसरी भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। तो वह भूमि कहां है और जो खंड विकास अधिकारी ने गलत काम किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने पहले बता दिया, पहले भी आपने यही प्रश्न किया था जिसका उत्तर उन्होंने दे दिया।

श्री सन्त बक्स रावत—

माननीय मंत्री जी ने कहा दूसरी व्यवस्था कर दी गयी है जिस पर ग्रामवासी सन्तुष्ट हैं तो वह कहां है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

महमूदपुर गढ़ी गोसाईगंज में दो हेक्टेयर जमीन ले ली गई है।

श्री सन्त बक्स रावत—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ सरकार हरिजनों की सुरक्षा की बात करती है और दूसरी ओर हरिजनों के जो मुर्दे हैं उनको नष्ट करने का काम कर रही है, उनका अपमान इससे हुआ है। तो उप खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

हरिजन जो थे वह क्या कब्र में दफनाए गए थे।

श्री सन्त बक्स रावत—

यह हरिजनों का कब्रिस्तान था। इसलिए मैं जानना चाहता हूं जिन हरिजनों के बुजुर्ग दफनाये गए थे उनका अपमान हुआ है। तो जिस खंड विकास अधिकारी ने अनियमित ढंग से कार्यवाही की है उसके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यही प्रश्न कई बार आ रहा है।

श्री हुकम सिंह—

जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस जमीन के जितने अभिलेख थे वह चकबन्दी में थे इसलिए अधिकारियों को जानकारी नहीं हो सकी। जमीन की नौइयत क्या थी और जब चकबन्दी का नोटीफिकेशन हो चुका था तो फिर उसे जमीन को आवंटित करने का क्या अधिकार था ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह किसी को आवंटित नहीं की गयी थी। एक योजना प्रदेश में चली है जिसमें पेड़ लगने हैं इनमें 1981–82 में 12 करोड़ पेड़ लगने थे और 1982–83 में 20 करोड़ पेड़ लगने हैं उसके लिए हर ब्लाक में दो हेक्टेयर भूमि लेकर पौधशाला बनायी जायेगी। इसके तहत वन विभाग को जमीन हस्तान्तरित होनी है। इसमें यहां पर अनियमितता हुई है। अभी माननीय संत बक्श रावत ने कहा कि वह कब्रिस्तान है और उसके अवमानना हुई है तो अवमानना की कोई इरादतन कोई बात नहीं हुई। जैसे ही नोटिस में यह लाया गया कि यहां पर कब्रिस्तान है तो तुरन्त काम रोक दिया गया। किसी के अवमानना का प्रश्न नहीं था।

ग्राम देवाराखास राजा (आजमगढ़) के निवासियों को बाढ़ से क्षति तथा सीरदारी के अधिकार दिए जाने से सम्बन्धित पत्र

*3—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद से सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम बरडीहा (नई बस्ती) के आराजी नं0 378 को ग्राम देवाराखास राजा के उन निवासियों को, जिनका घर घाघरा नदी के 1974 की बाढ़ में नदी में विलीन हो गया है, को सीरदारी दिए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4–4–81 उन्हें प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 30–10–81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

जी हां। इस पत्र में अपेक्षा की गई थी कि देवाराखास राजा के निवासियों को जिनकी भूमि 1974 की घाघरा नदी की बाढ़ में दरिया बुर्द हो जाने के कारण जिन्हें ग्राम बरडीहा में परती नं0 378 जोतने–बोने के लिए दिया गया है, उस पर सीरदारी के अधिकार दे दिए जायें। यह बाढ़ क्षेत्र का ग्राम है यहां सार्वजनिक उपयोग एवं आवास हेतु कभी भी भूमि की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिए गए असामी के पट्टे को सीरदारी के पट्टे में परिवर्तित नहीं किया गया। इन व्यक्तियों की भूमि को देवाराखास राजा में दरियाबुर्द हुई थी, वह अब नदी के बाहर हो गई है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, प्रश्न यह किया गया था कि सन् 1974 की बाढ़ में जिन लोगों के घर घाघरा नदी में कट कर बह गए थे, उनको बसने के लिए 378 नम्बर की जमीन ग्राम बरडीहा में दी गयी ? इसका उत्तर यह आया कि जोतने–बोने के लिए दी गई थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 1974 की बाढ़ में देवाराखास राजा के कितने लोगों के घर घाघरा नदी की बाढ़ में कट गए थे और 378 नम्बर जमीन का कुल रकबा कितना है और वह कितने लोगों को आवंटित की गई है ?

और यदि जोतने-बोने के लिए दी गयी है तो जिनके घर कटे थे, उनके आवास के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह जब वहां पर कटाव हुआ था तो इस गांव में उन लोगों को लाया गया और उनके जानवर भी वहां रहे। इसका अस्थायी पट्टा उनको किया गया था कि जब तक तुम्हारी भूमि ठीक न हो जाय, यहां रहो। आसामी के तौर पर उनको कुल भूमि 7·09 एकड़ दी गई थी और यह चार आदमियों को दी गई थी। उनके नाम हैं—फंकू पुत्र रामदत्त, लगन पुत्र जगेसर, पूजन पुत्र देवन और चन्दन पुत्र रघुनन्दन।

श्री पंचानन राय—

अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, प्रश्न साफ नहीं हुआ, कितने लोगों के घर घाघरा नदी की बाढ़ में कटकर बह गए हैं और उनमें से कितने लोगों को यह परती आवंटित की गई है ? और यह भी. . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप टुकड़ों में सवाल करें, कितने लोगों के मकान कटे और दूसरा भाग है कितने लोगों को जमीन आवंटित की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

1974 में कितने लोगों के घर वहां कटे यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। प्रश्न जो था कि यह जो नम्बर है वह कितने लोगों को दिया गया था, वह मैंने बताया। यह अस्थायी दिया गया था, जब तक उनकी जमीन दरियाबुर्द हुई, निकल नहीं आयेगी तब तक रहेंगे।

श्री पंचानन राय—

प्रश्न में यह था कि ग्राम देवाराखास राजा के उन निवासियों को, जिनका घर घाघरा नदी के 1974 की बाढ़ में नदी में विलीन हो गया है ? अब यह सूचना मंत्री जी के पास नहीं है कि कितने लोगों के घर विलीन हुई हैं, तो अब मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों के घर कटे...।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने प्रश्न की चौथी लाइन का उत्तरार्द्ध पढ़िये—को सीरदारी दिये जाने से...

श्री पंचानन राय—

यह है—ग्राम वरडीहा के आराजी नं0 378 को ग्राम देवाराखास राजा के उन निवासियों को, जिनका घर घाघरा नदी के 1974 की बाढ़ में नदी में विलीन गया है। तो मैंने पत्र यह लिखा था कि नदी में जिनके घर विलीन हो गये हैं। अब सवाल यह उठा कि सीरदारी किनको देनी है, प्रश्न में साफ है, अब मंत्री जी के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न है कि कितने लोगों के घर कटे और कितनों को सीरदारी दी गई। जिन 4 आदमियों को जमीन दी गई उनके नाम माननीय मंत्री जी ने पढ़ दिये।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, जिन लोगों के घर कटकर बह गये थे उनको आराजी नं0 3 8 पर जमीन आवंटित की गई जिसमें उन्होंने अपने मकान बना लिए लेकिन राजस्व मंत्री जी के कर्मचारी वहां पर जाते हैं और उनसे लेवी वसूल करते हैं। इसलिए तोड़-मरोड़ कर उत्तर दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 4 आदमियों को जमीन एलाट की गई और उनके मकान भी बन गये और 6 साल से वे वहां रह रहे हैं तो क्या ये वे ही लोग हैं जिनके मकान घाघरा नदी में कट कर बह गये थे या और कोई हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ये वे 4 लोग हैं और इनको 7.09 एकड़ जमीन दी गई थी अस्थायी रूप से बसने के लिए जब तक इनकी जमीन नहीं निकल जाती है।

गांव सभा खेली खेड़ा, जिला मेरठ के हरिजनों को आवंटित भूमि

*4--श्री नरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि गांव सभा खेली खेड़ा, तहसील बागपत, जिला मेरठ में गांव के हरिजनों को पहले से आवंटित भूमि को पुनः माह जून, 1981 में गैर कानूनी ढंग से उच्च वर्ग के व्यक्तियों को तत्कालीन परगनाधिकारी की सहमति से आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त भूमि आवंटन को निरस्त करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। जून, 1981 में किया गया पुनः आवंटन निरस्त किया जा चुका है।

जनपद गोरखपुर में अतिवृष्टि बाढ़ एवं जल जमाव से क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण हेतु अहेतुक अनुदान में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें

*5--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--(अनुपस्थित)

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत अतिवृष्टि, बाढ़ एवं जल जमाव से क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण के लिए अहेतुक अनुदान (गृह निर्माण) के वितरण में भारी वित्तीय अनियमितता की शिकायतें शासन को मिलीं और जिसकी प्रारम्भिक जांच कराने का आदेश भी शासन ने दिया ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 1980-81 में अतिवृष्टि, बाढ़ एवं जल जमाव से क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण के लिए अहेतुक अनुदान (गृह निर्माण) के

वितरण में भारी वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिलने पर जनपद की चारों तहसीलों में प्रारम्भिक जांच कराई गई और अधिकारियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्प्रति चार नायब तहसीलदारों को निलम्बित कर दिया गया ।

प्रदेश में पावर एल्कोहल की मिलें लगाये जाने की मांग

*6—श्री राम स्वरूप वर्मा—(अनुपस्थित)

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें किसी विधायक का पत्र दिनांक 31-7-80 को इस आशय का प्राप्त हुआ कि महाराष्ट्र सरकार दो पावर एल्कोहल बनाने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने जा रही है ? यदि हां, तो सरकार ने अपने प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में गन्ने की अधिकता देखते हुए कितनी मिलें लगाने के बारे में सोचा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

महाराष्ट्र में पावर एल्कोहल बनाने की दो डिस्टलरीज लगाने की सूचना का एक पत्र दिनांक 22-9-80 का माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा से प्राप्त हुआ था । प्रदेश के गन्ने के उत्पादन की स्थिति को देखते हुए सहकारी क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना में कई नई चीनी मिलें स्थापित की जा रही हैं और प्रदेश की कुछ चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार भी किया जा रहा है । प्रदेश की डिस्टलरीज का उद्योग प्रायः पूर्णतया निजी क्षेत्र में ही है । सहकारी क्षेत्र की बाजपुर आसवनी क क्षमता विस्तार किया जा रहा है व अनूपशहर ननौता एवं मझोला में नई आसवनियां भी लगाई जा रही हैं । इन आसवनियों में यथा समय औचित्य के आधार पर पावर एल्कोहल बनाने की सुविधा भी बढ़ाई जा सकती है । पावर एल्कोहल का मुख्य उपयोग पेट्रोल के साथ मिला कर उस रूप में उसका प्रयोग करने का ही है, जो वृहत् राष्ट्रीय प्रश्न है और उस सम्बन्ध में कोई नीति, प्रदेश सरकार की सूचना के अनुसार, केन्द्र सरकार ने अब तक अन्तिम नहीं की है ।

लखीमपुर खीरी जिलान्तर्गत ऐरा गन्ना समिति में सीमेन्ट का क्रय

*7—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि लखीमपुर खीरी जिलान्तर्गत ऐरा गन्ना समिति में सन् 1977 से 1980 के बीच 2 लाख रुपये की सीमेन्ट क्रय की गई, जो जम गई ? यदि हां, तो यह किसके आदेश से खरीदा गया तथा खरीदने का कारण क्या था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सहकारी गन्ना विकास समिति, ऐरा में 1977 से 1980 के बीच सीमेन्ट का कोई क्रय नहीं हुआ है । गन्ना विकास परिषद्, ऐरा द्वारा 1979 में भाड़ा समेत कुल 1,18,347.36 रु0 की सीमेन्ट का आवंटन गन्ना आयुक्त संगठन की संस्तुति पर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया । सीमेन्ट का क्रय स्वयं उक्त परिषद् में तथा जिले की गन्ना विकास और चीनी उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं के विकास कार्यों हेतु किया गया था । खरीदी गई सीमेन्ट जमी नहीं थी ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सीमेन्ट गन्ना विकास परिषद् ने लिया वह किस फंड से खरीदा तथा उससे किस प्रकार के काम और कहां-कहां हुए ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जो उनके यहां पर फंड था उससे ही उसको खरीदा। गन्ना विकास परिषद्, ऐरा ने 1,132 बोरी पुलियों तथा काजवे के निर्माण के लिए, गन्ना विकास परिषद्, गोला ने 1,262 बोरी पुल और पुलियों के लिए, गन्ना विकास परिषद्, भोरा ने 1325 बोरियां अस्पताल, बाउन्ड्रीवाल तथा काजवे के लिए, सरजू सहकारी चीनी मिल बे लराया ने 250 बोरी फैक्टरी इमारत के लिए, गन्ना विकास समिति, ऐरा ने 23 बोरी इमारत मरम्मत के लिए, गन्ना विकास समिति, लखीमपुर ने 250 बोरी खाद गोदाम निर्माण के लिए, गन्ना विकास समिति, परधान ने 250 बोरी कालेज इमारत तथा खाद गोदाम के लिए और गन्ना विकास समिति, सम्पूर्ण-नगर ने 250 बोरी खाद गोदाम के लिये। इस प्रकार से 4,742 बोरी कुल खरीदी गई थी और उसे वितरित कर दी गई।

श्री हरिवंश सहाय--

ऐरा विकास परिषद् ने यह सीमेंट अपने पैसे से खरीदा और विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया। तो क्या यह सही है कि यह सीमेन्ट जिले के विभिन्न निर्माण कार्यों पर दिखाकर इसकी पूर्ति की गई ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

ऐसा नहीं है। यह फैक्टरी से एक साथ आया और एक साथ ही मंगाया गया था और जिले में जहां-जहां आवश्यकता थी, दे दिया गया।

[शुक्रवार 5 मार्च, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

निगोही, जिला शाहजहांपुर का नया विद्युत् सब-स्टेशन तथा किसानों द्वारा दिये गये विद्युत् कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

*1--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि निगोही, जिला शाहजहांपुर में जो विद्युत् सब-स्टेशन जनवरी, 1981 में चालू हुआ और जिससे सम्बन्धित दो सौ किसानों की दरख्वास्तें लगी थीं, उनको बिजली नहीं दी गई ? क्या यह सही है कि चौहान राइस मिल, निगोही को सारी बिजली दे दी गई ? यदि हां, तो किसानों को बिजली न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

निगोही, जिला शाहजहांपुर का विद्युत् सब-स्टेशन दिनांक 10 जून, 1979 को चालू हुआ है, न कि जनवरी, 1981 में। उक्त सब-स्टेशन से बिजली लेने हेतु सम्बन्धित विद्युत् कार्यालय में किसानों के 200 प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से 12 जनवरी, 1982 तक नलकूप कनेक्शन हेतु

मात्र 35 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं । इनमें से केवल 8 उपभोक्ताओं द्वारा ही आवश्यक औपचारिकतायें पूरी की गई हैं और उन्हें विद्युत् कनेक्शन भी दे दिया गया है । शेष 27 उपभोक्ताओं को उनके द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् विद्युत् कनेक्शन दे दिया जायगा ।

जहां तक चौहान राइस मिल, निगोहीं, शाहजहांपुर का प्रश्न है, उक्त राइस मिल को दिनांक 28 दिसम्बर, 1980 को केवल 75 अश्व शक्ति विद्युत् भार का कनेक्शन दिया गया है ।

रामपुर शुगर मिल पर बकाया गन्ना किसानों का भुगतान

*2--श्री बलवीर सिंह (रामपुर) (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर शुगर मिल जो इस समय कारपोरेशन मिल के अन्तर्गत आती है, ने रामपुर केन डिवलपमेंट एवं कोआपरेटिव केन यूनियन का पिछला गन्ना कमीशन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि रामपुर जनपद के गन्ना किसानों के बकाया का भी भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यो ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

मान्यवर, इसमें सूचना क्या एकत्रित करनी थी, यह तो लेखे-जोखे की बात है, सारा लिखा होगा । यह केवल एक क्षेत्र का मामला है । बड़ी दयनीय दशा है इस सरकार की ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, जिन प्रश्नों की सूचना पूरी नहीं आती तो उनको रखा ही न जाया करे । यह तो कोई बात हुई नहीं कि सूचना एकत्रित की जा रही है, कह कर बैठ गये ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, क्या यह "सूचना एकत्रित" मंत्री बनाये गये हैं ?

श्री जयदीप सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि यह सारी सूचना रामपुर कोर्ट में दी हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लेने के पहिले मैं शासन से यह अपेक्षा करूंगा कि "सूचना एकत्रित की जा रही है" इस तरह का जवाब सदन में न आवे । इस प्रथा को हटाया जाय ।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री थम्मन सिंह गहलौत ने पूछा ।

ग्राम जंगल रसूलपुर नं0 2, जनपद गोरखपुर में हरिजनों को पट्टे पर दी गई भूमि पर कब्जा

*3--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित ग्राम जंगल रसूलपुर नं0 2, तहसील सदर में वर्ष 1970-71 में भूमिहीन 13 हरिजनों को लगभग दो-दो एकड़ ग्राम सभा की कृषि योग्य खाली भूमि पट्टे पर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उन हरिजनों का कब्जा उस पर हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? और वह भूमि अब तक किनके-किनके कब्जे में है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिक्री कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कानपुर के सम्बन्धित व्यापारियों को तार द्वारा दी गई छापे डालने की सूचना

*4--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर विभाग के विशेष अनुसन्धान शाखा के माध्यम से जनवरी, 1981 में कानपुर के कुछ व्यापारियों के यहां बिक्री-कर की चोरी के सम्बन्ध में छापा डालने की योजना बनी थी ? क्या यह भी सही है कि बिक्री-कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री अरुण कुमार, सहायक आयुक्त (शासकीय) द्वारा उक्त छापे की सूचना अपनी निरीक्षण टिप्पणी संख्या 4026, दिनांक 29 जनवरी, 1981 एवं तार द्वारा सम्बन्धित व्यापारियों को दे दी जिसके कारण व्यापारी सतर्क हो गये और सरकार को लगभग 50 लाख रुपए के राजस्व की क्षति हुई ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

जी नहीं ।

निरीक्षण टिप्पणी विभागीय अधिकारियों के उपयोग के लिये है उसे व्यापारियों को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । अतः अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय थम्मन सिंह जी, आप कृपया अपने उन साथियों को बता दें जिनके कि प्रश्न आज हैं और वे अनुपस्थित हैं । जिनके प्रश्न हों वे कृपया यहां उपस्थित रहा करें ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

मैं उनको बतला दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह मामला बड़ा ही गम्भीर है और 50 लाख की राजस्व हानि से सम्बन्धित है । एस0 डी0 ओ0 विशेष अनुसंधान शाखा, कानपुर ने निरीक्षण किया था । जो वहां कम्पलेंट रजिस्टर होता है वह गोपनीय होता है और उसमें

जो सूचना दर्ज की जाती है वह भी गोपनीय रखी जाती है। एक आयुक्त ने इन्सपेक्शन करने के बाद अपनी इन्सपेक्शन रिपोर्ट उसमें दर्ज की और उसमें कुछ व्यापारियों के नाम लिखे जिनके यहां छापा पड़ना था। उसके बाद ही उप आयुक्त ने उस पर आपत्ति प्रकट की और मान्यवर, 4 व्यापारियों को कानपुर से टेलीग्राम द्वारा सूचना दे दी गई कि उनके यहां छापा पड़ने वाला है, वे सतर्क रहें। तो जो चीज गोपनीय रखना चाहिये थी, उसे गोपनीय नहीं रखा गया और गोपनीयता को भंग किया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं पूछ रहा हूं। वह इन्सपेक्शन रिपोर्ट टाइपिस्ट द्वारा टाइप कराई गई, फिर डिस्पैच में गई, इस तरह से कहीं से उसका लीकेज हो गया और वह व्यापारी नहीं पकड़े जा सके। तो सहायक आयुक्त के खिलाफ क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि उनके द्वारा यह गोपनीयता कैसे भंग हुई और क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे पत्र भी माननीय विधायकों के प्राप्त हुये थे और उसके बारे में मैंने जांच करवाई। यह बात सही है कि इन्सपेक्शन रिपोर्ट का कुछ अंश लीकेज हुआ, मगर इसमें उप आयुक्त का कोई दोष नहीं है, हमने अनुसंधान शाखा से भी इस बारे में जानकारी की थी, इसमें न तो राजस्व की हानि का सवाल है क्योंकि कोई छापा पड़ने की योजना नहीं बनी थी। इन्सपेक्शन रिपोर्ट का एक पार्ट लीकेज हुआ, लेकिन उसकी मैं जांच करवा रहा हूं।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मंत्री जी ने बताया कि एक पार्ट का लीकेज हुआ। इसके लिए जिम्मेदारी उप आयुक्त की ही है। मेरा निश्चित मत है कि इसमें राजस्व की हानि हुई है क्योंकि जो व्यापारी घपला करते हैं उसको टेलीग्राम द्वारा सूचित किया गया। तो क्या आप इसकी जांच करवायेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, अगर कोई आदमी किसी को कोई फायदा पहुंचायेगा या लीकेज करेगा तो वह कभी टेलीग्राम नहीं करेगा। इसमें छापा मारने की कोई योजना थी ही नहीं और उन्होंने अपनी राय भी उस अधिकारी के बारे में ऐसी नहीं दी है। हालांकि उनको खिलाफ राय देना चाहिये था, अगर इनकी कोई कार्यवाही लीक होती है लेकिन इस बात को मैं जांच करा रहा हूं कि इसकी लीकेज क्यों हुई।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, सहायक आयुक्त ने तो इन्सपेक्शन रिपोर्ट दी और डिप्टी कमिश्नर ने उस पर क्या टिप्पणी दी यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, इसकी सारी, पूरी पत्रावली आपको भेज दूंगा । इसको आप देख लें, फिर सब क्लीयर हो जायगा । यह मैं इसकी पूरी पत्रावली आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्हें कुछ विधायकों के पत्र प्राप्त हुए । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन से विधायक हैं जिनके पत्र आपको प्राप्त हुए ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, प्रारम्भ में मैं बता चुका हूं कि जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों के उपयोग के लिए है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप केवल नाम पढ़ दें ।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, राम आसरे वर्मा, हुकम सिंह, कृष्ण पाल सिंह....।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर मैंने तो कभी इस पर दस्तखत किए नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आपने कहा इनका नाम है, लेकिन ये कहते हैं कि मैंने दस्तखत किये नहीं हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, पढ़ने में कुछ कम आ रहा है मान्यवर, घसीट है, नाम 4 और हैं, इन सबको मैं आपको भेज देता हूं, मान्यवर ।

जनपद देवरिया में घाघरा एवं छोटी गंडक के संगम पर भथिया घाट पर नाव दुर्घटना

*5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि जून, 1980 में देवरिया जिले में घाघरा–छोटी गण्डक संगम के ग्राम भथिया घाट पर नाव दुर्घटना हो जाने से 14 व्यक्ति डूब गये और सभी मृत पाए गये ? यदि हां, तो घटना क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सरजू प्रसाद 'सरोज'—

जनपद देवरिया के तहसील सलेमपुर में घाघरा एवं छोटी गंडक के संगम पर भथिया घाट नामक घाट ही नहीं है । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा कि भथिवा घाट नामक घाट ही वहां पर नहीं है, तो क्या उस नदी पर जून, 1980 के महीने में कोई दुर्घटना हुई, जिसमें 14 आदमियों के डूब जाने की सूचना आपको है और क्या उनके परिवार वालों को कोई आपात सहायता दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न सीमित नहीं है । आप दूसरा प्रश्न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सूचना है इनके पास, मान्यवर ।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, उस महीने में तो घटना नहीं हुई, लेकिन जुलाई में सीवान जनपद (बिहार) में घटना हुई और वहां की सरकार ने इसकी छानबीन कराई थी ।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, देवरिया की तरफ से नाव खुली और उस पार बिहार पड़ता था और बीच में नाव डूब गयी । क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि नाव डूबी और 14 आदमी डूब कर मर गये ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, मैंने बता दिया कि वह बिहार प्रान्त का है सीवान जनपद, वहां पर दुर्घटना हुई, वहां की सरकार छानबीन कर रही है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है वह घाट ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कौन से घाट की बात कर रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह—

यह गुठनी घाट का ठेका तीन साल उत्तर प्रदेश का रहता है और तीन साल बिहार का ठेका रहता है । इस तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और उस तरफ बिहार की सीमा है । जो लोग गयेथ वह देवरिया के रहने वाले थे । देवरिया की सीमा से नाव चली थी और बीच धारा में डब गई । उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि बिहार की सीमा में डूबी बिहार सरकार जाने और बिहार सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में डूबी, उत्तर प्रदेश सरकार जाने । इनको मुआवजा दे । मैं जानना चाहता हूं कि इनके पास सूचना है कि सीवान की सीमा में डूबी तो बिहार सरकार ने मुआवजा दिया । मंत्री जी यह बता दें कि वह रहने वाले कहां के थे अब तो मंत्री जी के पास वलदियत और तकूनत भी आ गई होगी जब मंत्री जी इतने सक्रिय हैं कि बिहार से सूचना मंगा लिया । यदि वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपना कर्तव्य समझ कर जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को कुछ सहायता देगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सीवान जनपद बिहार में है । दुर्घटना वहीं हुई उन्होंने कार्यवाही की है । हमारे पास सूचना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सूचना इनके पास पत्रावली में है । देवरिया की तरफ से नाव जा रही थी उसमें उत्तर प्रदेश के लोग थे या नहीं यह बता दें ? यदि उत्तर प्रदेश के लोग थे और बिहार की सीमा पर दुर्घटना हुई तो क्या सरकार उन लोगों को आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

उन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया न शिकायत आई । हमारे यहां यह दुघटना नहीं हुई ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, कोई नई प्रक्रिया शुरू होने वाली है इस प्रदेश में क्या मरने के बाद भी यह प्रार्थना-पत्र देंगे । प्रश्न यह था कि कोई दुर्घटना हुई आपने कहा जुलाई में दुर्घटना हुई । मैं यह जानता हूं कि उस घाट पर ठेका किस राज्य का था और मरने वाले उत्तर प्रदेश के थे । क्या आप इस बात की जांच पुनः करायेंगे, टेक्निकल बातों का नकाब न पहन कर, उनकी आर्थिक सहायता करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इनके पूछने का मतलब यह है कि जो लोग मरे वह उत्तर प्रदेश के थे ।

श्री बैजनाथ कुरील—

हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई किसी ने कुछ कहा नहीं और न बिहार से कोई जानकारी हमको मिली ।

श्री हुकम सिंह—

मैंने यह पूछा था कि किस राज्य का ठेका था और शिकायत की बात तो सम्भव नहीं है क्योंकि वह तो चले गये । शिकायत करने वाले तो हम लोग बैठे हैं हम लोग शिकायत कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस घाट से नाव चली थी वह घाट किसके पास था ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह घाट बिहार के पास है । हमारे यहां के आदमी होते ही यह स्टैन्डिंग आर्डर है कि जिलाधिकारी ऐसे लोगों की जितनी जान घर गिरने से या पानी में डूब जाने से होती है उसकी सहायता करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

हम कुछ सुन नहीं पाये ।

श्री हरिवंश सहाय—

जिस दिन की घटना है उस दिन सलेमपुर के परगना मैजिस्ट्रेट और तहसीलदार मौके पर गये थे । और मेरी निश्चित जानकारी है कि इस तरफ यू० पी० के ठेकेदार का और दूसरी तरफ बिहार के ठेकेदार का ठेका था । और वहां पर यह भी चर्चा हुई कि मुआवजा दिया जायेगा । मेरी इस बात को सही मानकर क्या आप इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जानकारी मेरे पास नहीं है माननीय सदस्य भेज देंगे तो करा लूंगा ।

भोपाल हाउस लालबाग, लखनऊ स्थित साइंटिफिक कारपोरेशन पर बिक्री-कर की बकाया धनराशि तथा वसूली हेतु कार्यवाही

*6—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि भोपाल हाउस लालबाग, लखनऊ स्थित एक करदाता (साइंटिफिक कारपोरेशन) को बिक्री-कर बकाया 5,00,858.60 के लिए दोनों भागीदारों की सम्पत्ति को ता० 16-11-81 को नीलाम करने के लिए डिप्टी कलेक्टर, बिक्री-कर, लखनऊ ने नोटिस बोर्ड पर लगाया ? यदि हां, तो इस करदाता के ऊपर बकाया किन-किन सालों का था ? इन वर्षों में कितना कर रूपपत्रों के साथ जमा किया गया और कितना कर निर्धारण किया गया और कितने रुपये की मांग कब-कब निकाली गयी ? इस बकाए की पहली रिकबरी कब-कब की गयी ? क्या क्षेत्रीय उपायुक्त और सहायक आयुक्त (शा०) ने निरीक्षण में इन पत्रावलियों को देखा और टिप्पणी दी ? कर अदायगी न होने के कारण कितने राजस्व की हानि हुई ? इस हानि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

यह सही नहीं है कि बकाएदार की सम्पत्ति की नीलामी 16-11-81 को करने के लिए कोई नोटिस डिप्टी कलेक्टर (संग्रह), बिक्री-कर, लखनऊ द्वारा नोटिस बोर्ड पर लगाया गया । वास्तव में चल सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही पहले ही 11-2-81 को की जा चुकी थी । व्यापारी पर बकाए की वास्तविक धनराशि 5,12,313.95 रु० है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

73-74	अर्थदण्ड	3,435.30
75-76	प्रान्तीय	9,465.96
75-76	अर्थदण्ड	2,429.60
76-77	प्रान्तीय	24,863.04
76-77	प्रान्तीय	4,450.00

धारा—21

76–77	अर्थदण्ड	4,972.60
77–78	प्रान्तीय	83,473.62
77–78	के0	10,600.00
77–78	अर्थदण्ड	16,694.60
78–79	प्रान्तीय	10,7,862.30
78–79	के0	10,600.00
78–79	अर्थदण्ड	25,000.00
78–79	प्रान्तीय	1,71,116 93
79–80	के0	10,600.00
80–81	अस्थायी यू0 पी0	26,750.00
		5, 2,313.95

विभिन्न वर्षों में रूप पत्रों के साथ जमा किये गये तथा निर्धारित किये गये कर और निकाली गयी मांग की धनराशि तथा मांग निकालने की तिथि का विवरण संलग्नक में दिया हुआ है। वर्ष 1976–77 के लिए निकाली गई मांग के विरुद्ध 3,000 रु0 की वसूली पहली बार दिनांक 27–12–78 को की गई। बकायेदार के विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली के लिये उपायुक्त (शा) एवं सहायक आयुक्त (शा0), बिक्री कर, लखनऊ द्वारा समय–समय पर निदेश दिये गये। बकायादार से अब तक 49,639.34 रु0 की वसूली की जा चुकी है और शेष की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 145 पर।)

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित इस करदाता पर 5 लाख से ऊपर कर बकाया था। फिर फार्म सी और फार्म 31 क्या दिया गया और कितना दिया गया?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया था वह कर के बकाये के बारे में था और क्या कार्यवाही की गई इसके बारे में था। फार्म सी के बारे में कह रहे हैं। पता लगा लूंगा कितने दिये गये और क्यों दिये गये।

*7--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[5–2–82 को तारांकित प्रश्न संख्या 20 द्वारा उत्तरित।]

जनपद बलिया, ग्राम सभा, शाहपुर बभनौली को पुनः बसाने की कार्यवाही

रामगोविन्द

*8—श्री गौरी शंकर भैय्या (अनुपस्थित), श्री राम गोविन्द (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के ग्राम सभा, शाहपुर बभनौली जो 1978 में गंगा नदी के कटान से गिर गया था उसे अब तक नहीं बसाया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री महोदय भूमि अवाप्ति करके इस ग्राम को बसाने का अविलम्ब आदेश देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

बलिया जनपद के ग्राम सभा, शाहपुर बभनौली की आबादी गंगा नदी की धारा से कई वर्षों में वर्ष 1977 तक कट गई थी। कटान ग्रस्त परिवारों को पुनः स्थापित करने हेतु ग्राम शाहपुर खास में 11.84 एकड़ तथा ग्राम नरही में 2.61 एकड़ कुल 14.45 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही प्रगति में है।

हरि फीटिलाइजर्स, साहूपुरी, वाराणसी का विद्युत् परिषद् से एग्रीमेंट

*9—श्री रामचन्द्र —

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरि फटिलाइजर्स, साहूपुरी, वाराणसी को बिजली देने के लिये विद्युत् परिषद् से कोई एग्रीमेंट हुआ है ? यदि हां, तो एग्रीमेंट की तिथि क्या है और बिजली दिये जाने का आधार क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मेसर्स हरि फटिलाइजर्स, साहूपुरी, वाराणसी के साथ परिषद् द्वारा बिजली देने हेतु अभी तक कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है।

श्री राम चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर इसके साथ अनुबन्ध नहीं हुआ है तो मेसर्स हरि फटिलाइजर्स बिजली का उपयोग किस आधार पर किया जा रहा है और मैंने यह पूछा था कि बिजली दिये जाने का आधार क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, प्रश्न में यह पूछा गया था कि मेसर्स फटिलाइजर, साहूपुरी के साथ कोई अनुबन्ध हुआ है या नहीं। इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया गया कि अभी तक कोई अनुबन्ध नहीं हुआ है।

जहां तक विद्युत् के प्रयोग की बात है न्यू सेन्ट्रल जूट मिल कम्पनी, कलकत्ता की यह साहू केमिकल्स एवं फटिलाइजर्स शाखा है और इनको 6 हजार के0 वी0 ए0 बिजली 33 के0 वी0 पर विद्युत् की आपूर्ति की जा रही है।

श्री राम चन्द्र—

मान्यवर, क्या शासन को जानकारी है कि इनको 8 लाख रुपये की बिजली की चोरी पकड़ी गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, यह एक अलग प्रश्न है इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जब उनके साथ कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ तो यह किस आधार पर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ? इसके अलावा बिजली की चोरी भी पकड़ी गयी है तो आप यह बताने की कृपा करें कि बिना एग्रीमेन्ट के बिजली के इस्तेमाल की कोई सूचना है ? यदि नहीं है तो क्या पूरे कांड की जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जो बिजली दी जा रही है वह साहू केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स, साहूपुरी, वाराणसी को दी जा रही है, उन्होंने निवेदन किया है कि इसका नाम परिवर्तित करके हरि फर्टिलाइजर्स के नाम पर अनुबन्ध किया जाय जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

नाम परिवर्तन की क्यों कोशिश कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो वह जानें।

कस्बा खानपुर, जनपद बुलन्दशहर में विद्युत् उप केन्द्र बनाने की योजना

*10--श्री छतर सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री को यह ज्ञात है कि कस्बा खानपुर, जनपद बुलन्दशहर में उप विद्युत् वितरण केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित है परन्तु दो वर्ष बीतने के बावजूद भी आज तक कोई काम नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस उप विद्युत वितरण केन्द्र को अविलम्ब बनाने के आदेश पारित करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत खानपुर में 33/11 के0 वी0, 3 एम0 वी0 ए0 क्षमता का विद्युत् उपकेन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि नवम्बर, 1981 में प्राप्त कर ली गई है उक्त विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण विद्युतीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप विभिन्न विद्युत् उपकेन्द्रों के निर्माण की प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

श्री छत्तर सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि जिले में प्रस्तावित उपकेन्द्रों में इस उपकेन्द्र का क्या क्रम था और उसके बाद से कितने उपकेन्द्र पूर्ण किये जा चुके हैं।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मेरठ जोन में 1978-79 में यह प्रस्तावित किया गया था। हमने इसके लिए जमीन तलाश की, जमीन नवम्बर, 81 में इस केन्द्र के लिये उपलब्ध हुयी। उसके पश्चात् सन् 82-83 में यह प्राथमिकता के आधार ले लिया गया है। मुझे विश्वास है कि मार्च, 83 के अन्त तक कार्य पूरा हो जायेगा।।

गांवों की सीमा पर स्थायी सीमा चिन्ह लगाने का प्राविधान

*11--श्री जयदीप सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन गांव में भूमि बन्दोबस्त (सेटिलमेंट) किया जा रहा है उनकी सीमा पर स्थायी सीमा चिन्ह लगाने का कोई प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या ऐसे सीमा चिन्ह स्थापित किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन सीमा चिन्हों को स्थापित करने के आदेश जारी करेगी ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, प्रश्न 5 महीने पुराना है और नीति का प्रश्न है । मैंने किसी जिले या गांव की सूचना नहीं मांगी है । इसमें किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, यह नीति से सम्बन्धित प्रश्न है । किसी जिले से स्थान की सूचना इकट्ठा करने का सवाल नहीं है । कानून में प्राविधान है ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जो सूचना प्राप्त हुयी है वह अपर्याप्त है और मैं स्वयं उससे संतुष्ट नहीं हूं और सदन के सामने उसको नहीं रखना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रश्न की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रश्न के तीन हिस्से हैं । पहला हिस्सा यह है कि जिन गांव में भूमि बन्दोबस्त (सेटिलमेंट) किया जा रहा है उनकी सीमा पर स्थायी सीमा चिन्ह लगाने का कोई प्राविधान किया गया है तो यह तो नीति गत प्रश्न है शासन की पत्रावली में इसका उत्तर होगा । इसमें क्या सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो राजस्व मंत्री ने कह दिया कि जो सूचना आयी है वह पर्याप्त नहीं है, उससे वह सन्तुष्ट नहीं हैं । तो क्या आप चाहते हैं कि जिससे वह असंतुष्ट नहीं हैं वह भी सूचना सदन के सामने आवे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह तो नीतिगत प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

15 दिन के बाद जब इसकी सूचना आ जायगी तो यह फिर रिपीट किया जायगा ।

गन्ना मूल्य में पूर्वी एवं पश्चिमी जिलों में अन्तर समाप्त करने का निर्णय

*12—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना मूल्य में पूर्वी एवं पश्चिमी जिलो में एक रुपया प्रति क्विंटल का जो अन्तर है, उसे समाप्त करने का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां, तो यह कब तक लागू होगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी नहीं ।

शासन ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है । अतः इसे लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जरवल रोड चीनी मिल में चीनी पर्ता का औसत

*13—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी निगम द्वारा संचालित जरवल रोड चीनी मिल की माह दिसम्बर, 1981 तथा माह जनवरी, 1982 में शकर के रिकवरी का क्या प्रतिशत रहा ? यदि रिकवरी का औसत कम रहा तो क्या सरकार विशेषज्ञों द्वारा जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रश्न में इंगित जरवल रोड चीनी मिल, चीनी पर्ता का औसत निम्न-प्रकार है :—

दिसम्बर, 1981	7.54%
जनवरी, 1982	8.29%

पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चीनी का पर्ता कम होने के कारण इकाई के तकनीकी कार्य कलापों की जांच नेशनल शुगर इन्सटीट्यूट द्वारा प्रस्तावित है ।

श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रिकवरी कम होने के कारण किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान रोका गया है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इसका कोई कारण नहीं है । भुगतान के सम्बन्ध में शासन के स्पष्ट आदेश हैं । रिकवरी कम आने से गन्ने का मूल्य रोकने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मैं जानना चाहता हूं कि जरवल रोड चीनी मिल की रिपेयर हुई है कि नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष --

इस प्रश्न का रिवेयर से क्या ताल्लुक है ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मंत्री जी को इसकी जानकारी हो तो बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष --

मूल प्रश्न के आधार पर यह प्रश्न नहीं बन रहा है ।

उप गन्ना आयुक्त के पदों पर विधिवत् चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही

*14--डा0 शिवानन्द नौटियाल तथा श्री सुखवीर सिंह गहलौत (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 में गन्ना विकास विभाग में दो ऐसे अधीनस्थ गन्ना सेवा (वर्ग-1) के अधिकारियों को जो निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे तदर्थ रूप से जिला गन्ना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया एवं पुनः तदर्थ पदोन्नति देकर उप गन्ना आयुक्त पर सीधे नियुक्त किया गया ? क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वार भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों को रिवर्ट करके उप गन्ना आयुक्त के पद पर विधिवत् चयन करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

वर्ष 1976 में अधीनस्थ गन्ना सेवा (वर्ग-1) के किसी भी अपात्र अधिकारी को जिला गन्ना अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नति नहीं दी गई, पर उक्त वर्ष में पहले से तदर्थ रूप से प्रोन्नत किये गये दो जिला गन्ना अधिकारियों को तदर्थ रूप से उप गन्ना आयुक्त के पद पर प्रोन्नति दी गई ।

इनमें से इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध बाद में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच चलाई गई जिसमें एक अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया और दूसरे मामले में सतर्कता जांच के आधार पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

उप गन्ना आयुक्त के पदों पर नियमित चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है । इस दौरान इनमें से किसी अधिकारी के प्रत्यावर्तन का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद बहराइच के अन्तर्गत ग्राम भरथापुर में गांव सभा की भूमि तथा कब्जा न दिए जाने का कारण

*15-श्री जटाशंकर सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा भरथापुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत ग्राम भरथापुर, तेला गोढ़ी एवं बन्दरहिया गोढ़ी नं0 1 व 2 की कुल आराजी 5,600 एकड़ में से 1968 के नोटीफिकेशन द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित भूमि के अधिग्रहण के बाद उक्त ग्राम सभा के कुछ ग्रामों के हक में शेष बची भूमि पर आज तक गांव सभा को कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि

हां, तो उक्त गांव सभा की शेष भूमि कितनी है और उस पर गांव सभा को अब तक कब्जा न दिए जाने का क्या कारण है तथा कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सरजू प्रसाद "सरोज"--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहारनपुर जिले में सर्व श्री साहनी ऐन्ड सन्स नेहरू मार्केट के विरुद्ध बिक्री कर अधिकारियों से हिसाब छीनने, झगड़ा करने की लिखाई गई रिपोर्ट

*16-श्री मोहन सिंह--

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-3-80 को सहारनपुर जिले में सर्वश्री साहनी ऐन्ड सन्स नेहरू मार्केट के विरुद्ध बिक्री-कर अधिकारियों से हिसाब छीनने, झगड़ा करने की कोई रिपोर्ट थाना कोतवाली, सहारनपुर में लिखाई गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने उक्त व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त --

दिनांक 3-3-80 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई । यह घटना 13-3-80 को हुई थी । इसकी रिपोर्ट थाना अध्यक्ष, कोतवाली सिटी, मीरगंज, सहारनपुर को भेजी गई थी ।

सरकार की ओर से धारा 353/500 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया था । इस समय इस वाद की कार्यवाही अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के यहां विचाराधीन है । व्यापारी पर उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा-15 (1) (जे) के अन्तर्गत दिनांक 18-1-81 को रु0 5,000 अर्थ दन्ड भी आरोपित किया गया है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस तरह की घटनायें पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जो भ्रष्ट व्यापारी हैं वह बिक्री-कर अधिकारियों से मारपीट कर रहे हैं और शासन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है । यह घटना दो वर्ष हुये हो गया है और अब चार्जशीट गयी है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि एक साल बाद विभागीय कार्यवाही किया और अर्थ-दंड लगाया तो 13-3-80 को जब रिपोर्ट लिखाई गयी थी तो इस मामले से सम्बन्धित चार्जशीट अदालत में कितने महीनों बाद पुलिस ने भेजा ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, कितने दिनों बाद चार्जशीट भेजा यह पता नहीं है । लेकिन पता है कि 13-3-80 को ही रिपोर्ट लिखाई गयी थी । दिनांक 18-3-80 को उन लोगों ने अदालत से जमानत करा लिया था जिसके बाद से सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा व्यापारियों ने दायर किया जिससे सरकारी खर्च से अधिकारियों को बचाया जा रहा है । अर्थ दंड व्यापारी पर लगाया गया है, इसलिये इसमें शिथिलता नहीं बरती गयी है ।

बिक्री कर विभाग में सेवा निवृति की आयु

*17--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बिक्री-कर विभाग के ट्रिब्यूनल में सेवा निवृत्त 58 वर्ष की आयु से अधिक के सदस्य कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

वर्तमान नियमों के अधीन अध्यक्ष/सदस्य बिक्रीकर अधिकरण 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखे जा सकते हैं ।

ग्राम सोनगांव, जनपद फैजाबाद में चकबन्दी विभाग द्वारा छोड़ी गयी भूमि के आवंटन पर अनधिकृत कब्जा पर कृत कार्यवाही

*18--श्री राजकुमार राय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम सोनगांव, पुरवा बदलपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में चकबन्दी विभाग द्वारा छोड़ी गई आबादी की जमीन का आवंटन हो चुका है ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार परगनाधिकारी की स्वीकृति हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त आबादी की जमीन पर ग्राम के कुछ सरकस लोगों ने अनधिकार कब्जा कर मकान बना लिए हैं ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, उस गांव में चकबन्दी द्वारा आबादी की जमीन का आवंटन हो चुका है लेकिन कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है । मेरी जानकारी है कि जांच हो गयी है, रिपोर्ट आ गयी है, अवैधानिक पट्टों पर कार्यवाही हो रही है, सब कुछ है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । थोड़ी दूर का मामला है, प्रश्न काफी दिन पहले दे दिया था । इसलिये राजस्व विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है ऐसा उत्तर बहुत से प्रश्नों का दे रहे हैं, तो क्या बात है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह सही है कि प्रश्न काफी पहले हुआ है । लेकिन जो वांछित सूचना है वह नहीं है । इसलिये पूरी सूचना आ जाय जिससे सदन संतुष्ट हो तो अच्छा रहेगा ।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, आज भी बहुत से राजस्व विभाग के उत्तर आये हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है या सेल्फ कंटराडिक्टरी उत्तर आ रहे हैं । इसलिये मान्यवर, आप सचेत करें कि इस तरह के उत्तर न दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

राजस्व मंत्री, मेरा ख्याल है कि नियमों के अनुकूल 15 दिन में इसको फिर से दोहराया जायेगा और तब तक आप सूचना अवश्य ही मंगवा लेंगे ।

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, प्रयत्न किये जायेंगे, नहीं तो यहां से किसी को भेजकर सूचना मंगायी जायेगी ।

डा0 बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, मंत्री जी की ओर से एक बार और उत्तर आया था कि तमाम ऐसे गांव हैं जहां धारा 52 का प्रकाशन हो गया है लेकिन उनकी अभी तक पैमाइश नहीं हुई है, एक महीने से उत्तर आ रहा है लेकिन आज तक उत्तर नहीं आया है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

ग्राम सोनगांव में भूमिहीनों को दिये गये पट्टों के विरुद्ध जांच

*19—श्री माधव प्रसाद तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सोनगांव, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में जनता शासन काल में भूमिहीनों को दिये गये पट्टों के विरुद्ध गत वर्ष 1981 में कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, इस ग्राम में पट्टे की कार्यवाही हुई, पट्टे अवैधानिक हुए, उसकी जांच हुई और 5 महीने पूर्व जांच हो चुकी है और यह पट्टे अवैधानिक पाये गये, लेकिन माननीय मन्त्री जी के उत्तर में कहा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है तो मेरी इस बात को सही मानते हुए, जिस अधिकारी ने यह गलत रिपोर्ट दी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है । इसमें जो इस तरह की सूचना मांगी गयी है, वह हमारे पास जो आयी है, वह इनकम्पलीट है । सूचना में विवरण नहीं है, इसलिये फिर रिमाइण्डर भेजे गये, परन्तु सूचना आ नहीं पायी है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, यह सोनगांव मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है । मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया और उस उत्तर के सम्बन्ध में हमारे माननीय विधायक जी ने पुनः प्रश्न किया और फिर मन्त्री जी ने उत्तर दिया, उसको देखने के बाद मैं यह स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि यह मेरी निश्चित जानकारी है कि जांच हो गई पट्टे अनियमित घोषित हो गये, उनका कैन्सिलेशन. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करें, जानकारी न दें ।

श्री प्रियदर्शी जैतली--

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं ।

यह जो सदन में रिपोर्ट विभाग द्वारा आयी है इसको और मेरी जानकारी को देखते हुए और उसको सत्य मानते हुए क्या जिस अधिकारी ने विभाग की रिपोर्ट सदन को भेजी है और गलत भेजी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने उत्तर से सुन लिया कि रिपोर्ट आयी ही नहीं और सूचना एकत्र की जा रही है, जब सूचना ही नहीं आयी तो कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रियदर्शी जैतली--

सूचना तो इसमें दी गयी है, क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राजस्व मन्त्री जी । आज राजस्व विभाग के जितने प्रश्न आये, अधिकतर का यही उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है, यह एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, कोई जान बूझ कर इस तरह का उत्तर देना किसी को अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में कहना पड़ता है, यह सभी प्रश्न नियम के अन्तर्गत सदन में आयेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप साक्षात 'बैजनाथ' हैं, आपके सामने मजबूरी नहीं होनी चाहिये ।]

*20--श्री हरगोविन्द वर्मा--

(10 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या--15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति की मांग

**1--श्री जयदीप सिंह तथा श्री चेतराम गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्र में ट्यूबवेल के लिए क्या सब जगह बराबर समय के लिए बिजली दी जाती है ? यदि नहीं, तो किस क्षेत्र को सामान्य से कितने अधिक समय के लिए बिजली दी जाती है और इसका क्या आधार है ? क्या सरकार प्रदेश के समस्त देहाती क्षेत्र को बराबर समय के लिए बिजली देने के आदेश पारित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री सुनील शास्त्री—

पेय जल की समस्या तथा पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण बुन्देलखंड एवं पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जहां निरन्तर विद्युत आपूर्ति करने का व्यवस्था है, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को 5 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत की वर्तमान उपलब्धता को देखते हुए प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति कर पाना सम्भव नहीं है।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दो तरह के क्षेत्रों में दो तरह से वहां पर बिजली दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि उन दोनों क्षेत्रों में पेय जल की समस्या है पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में भी है। तो क्या जो मैदानी क्षेत्रों में जो ट्यूबवेल्स हैं वहां 24 घंटे बिजली देकर समस्या का हल करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

जहां तक पेय जल की बात है, बुन्देलखंड रीजन में यानी नार्थ बुन्देलखंड में 300 फीट से 400 फीट गहराई पर पानी मिलता है और साउथ बुन्देलखंड में कुएं का पानी 80 फीट की गहराई पर मिलता है। यह सही है कि बुन्देलखंड में पानी आवश्यकता से बहुत कम मिलता है। यहां पर प्रति दिन 10 गैलन पानी आदमी को प्राप्त होता है जबकि आवश्यकता है प्रति दिन 50 गैलन पानी की। इसलिए वहां पर बिजली की आपूर्ति 24 घंटे की जा रही है।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि क्या यह समस्या उन जनपदों के पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है और मैदानी क्षेत्रों में नहीं है। जहां तक पिछड़ेपन की बात है, क्या शासन द्वारा जो जिले पिछड़े घोषित किए गये हैं, उसके अतिरिक्त पिछड़े होने का शासन के पास क्या आधार है ? उनके पिछड़ेपन का आधार मंत्री जी बतला दें ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में भी जैसी माननीय सदस्य ने जानकारी चाही, वहां पर भी पीने के पानी की बहुत कमी है और 24 घंटे अगर विद्युत की आपूर्ति न की जाये तो बहुत कठिनाई होगी। दूसरा पिछड़े पन का जो पूछा है तो बुन्देलखंड क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, हमारी सरकार की नीति के अनुसार पिछड़े हैं और वहां इण्डस्ट्रियलाइजेशन के लिए विशेष कार्यवाही की जा रही है, कृषि के लिए भी। इन सब चीजों को देखते हुए विद्युत आपूर्ति की बहुत आवश्यकता है।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि नैनीताल जिले का जो तराई क्षेत्र है वह न तो पिछड़ा है और न ही वहां ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर माननीय सदस्य आपस में इतनी बात करेंगे तो सदन की कार्यवाही चलाना असम्भव हो जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

जो न तो बैकवर्ड एरिया है और न ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, सिर्फ इसलिए कि वह नैनीताल का पार्ट है, पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उसको मिलता है लेकिन उससे मिले हुए क्षेत्र रामपुर मुरादाबाद का वह एरिया जो उससे मिला हुआ है, उस सुविधा से वंचित हो जाते हैं, तो वहां कोई समस्या नहीं है इसको देखते हुए मैदानी क्षेत्रों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

नैनीताल का तराई का क्षेत्र पहले पिछड़ा हुआ था, पर जब वहां विद्युत की आपूर्ति शुरू हुई तब से वह प्रगति की ओर आ रहा है । हमारी सरकार की मंशा ही यह है कि इसी तरह से पूरे क्षेत्र को प्रगति की ओर ले आयें ।

श्री चेतराम गंगवार--

पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यह...

(श्री गौरी शंकर भैय्या के कुछ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गौरी शंकर भैय्या, सदन के कुछ खास नियम हैं और उनका पालन करें ।

श्री चेतराम गंगवार--

मेरा प्रश्न यह है कि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण निरन्तर विद्युत आपूर्ति की जा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

मान्यवर, इसके खिलाफ....

(व्यवधान)

फतेहपुर, हरदोई, रामपुर, जौनपुर, गोंडा, बलिया, बस्ती....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इस तरह से आप लोग शोर मचायेंगे....

(व्यवधान)

माननीय गंगवार, आप तो भाषण दे रहे हैं, लेकिन आप लोग भी किसी से कम नहीं हैं।

135251

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, इनको हमारे यहां बरेली भेज दें, लोक दल वालों को....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न पूछें ।

श्री चेतराम गंगवार--

तो मैंने यह परकैपिटा इनकम और आउट-पुट के आंकड़े । इसी प्रकार से शिक्षा, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर को आप देखें 17, 12, 16...

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न कर रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं ?

श्री चेतराम गंगवार--

तो इन आंकड़ों को देखते हुए माननीय मंत्री जी का आधार क्या है, पहाड़ी जिलों को पिछड़ा हुआ किस आधार पर कह रहे हैं ? मान्यवर, मैंने जो आंकड़े दिए हैं उनको देखते हुए पहाड़ी जिले को माननीय मंत्री जी या सरकार किस आधार पर पिछड़ा मानती है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हमारे प्रदेश की सरकार की एक निर्धारित लक्ष्य है जिस लक्ष्य तक जब तक हम नहीं पहुंचेगें तब तक हमारे पर्वतीय क्षेत्र एवं बुन्देलखंड पिछड़े हुए माने जायेंगे । उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह सब कार्यवाही कर रहे हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर तथा व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर सदन में इस तरह की अव्यवस्था होगी तो सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है । आप लोग बार-बार मना करने के बाद भी सब एक साथ बोलने लगते हैं । इस तरह से कोई नहीं बोलेगा और केवल वही बोलेगा जिसे मैं कहूं । यह प्रक्रिया बहुत बुरी है । मैंने बार-बार निवेदन किया परन्तु अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा ।

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

आप तो सबके ऊपर हैं । आपके ऊपर तो कोई नियम हैं ही नहीं ।

श्री चेतराम गंगवार--

उत्तर प्रदेश सरकार का क्या लक्ष्य हैं ? कितना ऊंचे उनको पहुंचा देंगे तब ग्रामीण अंचलों, मैदानी जगहों पर ध्यान देंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि दूसरे क्षेत्रों पर हम ध्यान नहीं देंगे । रेसदू जिलों में जहां तक बिजली की आपूर्ति का सवाल है मैंने यह भी नहीं कहा

कि दूसरे क्षेत्रों में हम बिजली की आपूर्ति नहीं करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बिजली की आपूर्ति करें। इस समय फरवरी के महीने में हमारा बिजली का उत्पादन 25.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन रहा इसके कारण हमने 9 घंटे औसतन बिजली की सप्लाई ग्रामीण अंचलों में की जहां पर कि 5 घंटे होती थी मार्च के महीने में भी हम 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बिजली उपलब्ध है। दूसरे क्षेत्र में जहां तक बिजली देने की बात है, जैसी हमारी उपलब्धता रहेगी, हम बिजली की आपूर्ति करेंगे।

(श्री विजय सिंह राना के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राना जी, बार-बार कहने पर भी आप मान नहीं रहे हैं। आप यह जान लीजिये कि मैं आपके ही नाम पर सदन को स्थगित कर दूंगा।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जसपुर-काशीपुर, रुद्रपुर और किच्छा इस एरिया में आज भी पानी के पेयजल की कमी है और यह वह एरिया है जो खेती के मामले में मोस्ट डेवलप्ड एरिया है परन्तु वहां पर 24 घंटे बिजली मिलती है लेकिन उसके बराबर का मिला हुआ एरिया है मुरादाबाद और बरेली। वहां पर बिजली केवल 4-5 घंटे ही मिलती हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उस बैकवर्ड एरिये को भी उस एडवान्स एरिये के बराबर बिजली की आपूर्ति करायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हमारा तो प्रयास है कि न केवल वह क्षेत्र जो माननीय सदस्य ने बताये उसको ही विकास के रास्ते पर लायें बल्कि हमारा प्रयास है कि हम पूरे प्रदेश को बिजली देकर प्रगति के रास्ते पर लायें।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हम पूरे प्रदेश को बिजली से सुसज्जित कर देंगे तो इसी सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं उन्होंने यह नहीं कहा कि हम पूरे प्रदेश में बिजली फैला देंगे।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

नहीं, मान्यवर उन्होंने कहा कि बिजली से सुसज्जित कर देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे भी ग्रामीण अंचल जहां निश्चित रूप से 34 सालों में बिजली पहुंच ही नहीं पायी, उस पर ध्यान देकर देवरिया के उत्तरांचल में बिजली लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण का हमारा कुछ लक्ष्य है और प्रयास है कि सन् 1985 के अन्त तक 70 हजार गांवों का विद्युतीकरण कर दें। जिन गांवों

में विद्युतीकरण के लिए माननीय सदस्य लिखकर देंगे वहां करा दिया जायगा ।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम तरकुलई बेलवार, जिला गोरखपुर के प्रधान द्वारा गोरा नाला की मछली गलत ढंग से नीलाम करने के सम्बन्ध में जांच

1—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम तरकुलई बेलवार, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के नागरिकों का प्रार्थना-पत्र उसी ग्राम के प्रधान द्वारा गोरा नाला की मछली गलत ढंग से नीलाम करने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री, मंडलीय मंत्री एवं जिलाधीश, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत नीलामी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जांच की गयी । जांचोपरान्त नीलामी की कार्यवाही गलत पाये जाने पर नीलामी की कार्यवाही परगनाधिकारी द्वारा रद्द कर दी गयी ।

अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

श्री सरजू प्रसाद पाण्डेय बनाम मगरूर राम के मुकदमें में परगनाधिकारी मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मिर्जापुर द्वारा आदेश

2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुकदमा नं0 483 सन् 1973 श्री सरजू प्रसाद पाण्डेय बनाम मगरूर राम, ग्राम समाज गुरूसण्डी, मिर्जापुर के बाबत परगनाधिकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मिर्जापुर ने दिनांक 26-12-73 को थानाध्यक्ष कोतवाली, मिर्जापुर को आदेश दिया था कि उक्त मुकदमें में मछली उचित दर पर बिकवा कर अभी रुपया ग्राम समाज के पक्ष में जमा कर दिया जाय ? क्या यह भी सच है कि उक्त घटना के पूर्व 18-11-73 को 840 रुपया थाना कोतवाली, देहात मिर्जापुर में इस बार पहले भी जमा हुआ था ? यदि हां, तो पहली और दूसरी मरतबा जमा की गयी धनराशि श्री सरजू प्रसाद पाण्डेय को कब वापस की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वाद सं0 483 सन् 1973 सरजू प्रसाद पाण्डेय बनाम मगरूर राम, ग्राम प्रधान गौरसन्डी परगनाधिकारी/मजिस्ट्रेट के न्यायालय में नहीं चला था । यह वाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला था जो तृतीय अतिरिक्त मुंसिफ मिर्जापुर द्वारा दिनांक 19-1-79 को निर्णीत हुआ । इस वाद में कोई आदेश परगनाधिकारी/मजिस्ट्रेट का उपलब्ध नहीं है । थाना कोतवाली, मिर्जापुर का वर्ष 1973 के समस्त अभिलेख विनष्ट हो चुके हैं क्योंकि सम्बन्धित अभिलेख रखने की मियाद केवल पांच वर्ष होती है जिसके अभाव में प्रश्नगत धनराशि के जमा होने एवं उसकी वापसी के बारे में बताना असम्भव है ।

परगनाधिकारी सलेमपुर, जनपद देवरिया के न्यायालय में लम्बित वादों का निस्तारण

3—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी सलेमपुर, जनपद देवरिया के न्यायालय में इस समय कितने मुकदमें जो फौजदारी, दाखिल खारिज एवं पट्टा आवंटित व ग्राम समाज की सम्पत्ति की हिफाजत आदि से सम्बन्धित विचाराधीन हैं ? इनका निस्तारण कब तक किया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

परगनाधिकारी सलेमपुर, जनपद देवरिया के न्यायालय में 31 जनवरी, 1982 के अन्त में फौजदारी के कुल 644 वाद विचाराधीन थे । दाखिल खारिज एवं ग्राम समाज की सम्पत्ति की हिफाजत तथा पट्टा सम्बन्धित कोई वाद इस न्यायालय में लंबित नहीं है ।

2—वादों के शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जाता है । कोई अवधि बताना सम्भव नहीं है कि उक्त वादों का निस्तारण कब तक हो जावेगा ।

जन प्रतिनिधियों द्वारा कर्वी को जिला बनाने का प्रस्ताव

4—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन को कर्वी को जिला बनाने का प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 25-10-81 को दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्वी को जिला बनाने का प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 25-10-81 को दिया गया प्राप्त हुआ नहीं पाया जाता, तथा कर्वी को जनपद का दर्जा देने के बारे में संयोजक, कर्वी जिला निर्माण समिति का पत्र दिनांक 22-10-81 प्राप्त हुआ । वित्तीय संसाधनों के अभाव में कर्वी को जिला बनाना सम्भव नहीं है ।

कानपुर बिक्री-कर विभाग के सहायक आयुक्त, श्री अरुण कुमार द्वारा निरीक्षण टिप्पणी में पुराने अनिस्तारित परिवादों का उल्लेख होने से घोर असंतोष तथा व्यापारियों को टेलीग्राम द्वारा सावधान करा देने से सरकारी राजस्व की क्षति

5—श्री रामहर्ष राय—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के बिक्री-कर विभाग के सहायक आयुक्त (शासकीय) श्री अरुण कुमार द्वारा अपनी निरीक्षण टिप्पणी संख्या 4026, दिनांक 29-1-81 द्वारा बिक्री-कर अधिकारी (विशेष अनु० शाखा) पुरानी इकाई, कानपुर के कार्यालय में रखे गये गोपनीय रजिस्टरों का भंडाभोड़ करके करापवंचक व्यापारियों को सतर्क कर दिया ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं ।

श्री अरुण कुमार, सहायक आयुक्त (शा0), विशेष अनुसंधान शाखा की पुरानी इकाई की निरीक्षण टिप्पणी में कुछ पुराने अनिस्तारित परिवादों का उल्लेख विभागीय निदेशों के अनुरूप किया गया था । वादों का उल्लेख अधीनस्थ अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक होता है । यह गोपनीय अभिलेख है । इसके माध्यम से गोपनीय रजिस्टरों का भंडाभोड़ करके कर अपवंचक व्यापारियों को सतर्क करने का प्रश्न नहीं है ।

6--श्री राम हर्ष राय--

क्या यह भी सही है कि श्री अरुण कुमार की उपरोक्त घोर लापरवाही से उपायुक्त (विशेष अनुसंधान शाखा), पूर्वी क्षेत्र, कानपुर द्वारा अपने अर्ध शा0 पत्र संख्या 2532, दिनांक 6-2-81 द्वारा घोर असंतोष व्यक्त किया था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

निरीक्षण टिप्पणी के सम्बन्ध में उपायुक्त (विशेष अनुसंधान शाखा), कानपुर का यह मत कि उसमें अनिस्तारित परिवादों का उल्लेख नहीं होना चाहिय था विभागीय निर्देशों के अनुकूल नहीं है क्योंकि अनिस्तारित परिवादों का उल्लेख अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु किया जाता है ।

7--श्री राम हर्ष राय--

क्या यह भी सही है कि विशेष अनुसंधान शाखा, कानपुर में रखे गये परिवाद रजिस्टर में दर्ज कई करापवंचक व्यापारियों से श्री अरुण कुमार की सांठ-गांठ थी जिसके फलस्वरूप कानपुर के अनवरगंज डाकखाने से दिनांक 26-2-81 में रसीद सं0 2537, 2538, 2539 एवं 2540 के द्वारा उन करापवंचक व्यापारियों को टेलीग्राम द्वारा सावधान करा दिया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को लगभग 50,00,000 रुपए की राजस्व की क्षति हुई ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं ।

गन्ना विकास इन्टरमीडिएट कालेज मुन्डेरवा, जनपद बस्ती को निजी स्वार्थवश अपने कब्जे में लेने का शिकायती-पत्र

8--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री राम समुझ पाण्डेय, राम बहादुर पाण्डे, कृष्ण देव मिश्र आदि प्रमुख कांग्रेस आई कार्यकर्त्ता जनपद बस्ती ने अपने पत्र दिनांक 14-12-81 के द्वारा गन्ना विकास इन्टरमीडिएट कालेज, मुन्डेरवा, जनपद बस्ती, जो गन्ना समिति मुन्डेरवा बाजार द्वारा संचालित एवं स्थापित था, को कुछ लोग अपने निजी स्वार्थवश अपने कब्जे में लेने की सूचना उनको दी है ? यदि हां, तो क्या उनकी शिकायतों से तथा विभाग की इस कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां । शिकायती-पत्र दिनांक 14-12-81 पर जांच कराये जाने के उपरान्त यह विदित हुआ है कि गन्ना विकास इन्टरमीडिएट कालेज, मुन्डेरवा के प्रशासन की व्यवस्था और संविधान में कुछ विवादास्पद संशोधन प्रस्तावित हैं जिनका समाधान नियमतः गन्ना विकास विभाग द्वारा सम्भव नहीं है और उसमें शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही हो सकती है । अतः गन्ना आयुक्त को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि शिक्षा निदेशक/क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक से सम्पर्क करके इस मामले का समुचित समाधान कराने का प्रयास करें ।

विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना

9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर एक पिछड़ा क्षेत्र है तथा यह गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां । जिला सुल्तानपुर पिछड़ा क्षेत्र घोषित है । यह गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है । विकास खण्ड जगदीशपुर प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल से लगभग 50 कि0 मी0 दूर है और चूंकि गन्ना विकास का कार्य इस समय मिल के सुरक्षित 32 कि0 मी0 परिधि क्षेत्र में ही सीमित है, ऐसी स्थिति में उक्त विकास खण्ड के लिए विभाग द्वारा कोई विकास कार्यक्रम की योजना अभी नहीं बनाई गई है ।

विद्युत् परिषद्, देवरिया के सहायक स्टोर कीपर श्री रामजीत सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

10—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि देवरिया विद्युत् परिषद् के सहायक स्टोर कीपर श्री रामजीत सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 18-1-82 दो संलग्न पर्चों सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पर्चों में शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । पर्चों में श्री रामजीत सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमित तरीके से प्राप्त की गई आय द्वारा चल/अचल सम्पत्ति अर्जित करना, रिश्वत खोरी तथा अपने स्थानान्तरण को रिश्वत देकर रुकवाने आदि की शिकायतें हैं । उक्त शिकायतों पर आवश्यक जांच कराई जा रही है ।

11—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लेखपालों को आवासीय गृहनिर्माण करने पर विचार

12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपालों को उनके क्षेत्र में रहने के लिये कोई भवन की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण प्रायः वह अपने क्षेत्र में नहीं रहते ? क्या सरकार उनके लिये आवासीय गृह निर्माण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील—

लेखपाल सेवा नियमावली के नियम 26 के अनुसार प्रत्येक लेखपाल को अपने हल्के में आबाद रहना अनिवार्य है और इसके अनुपालन हेतु समय-समय पर निर्देश भी जारी किये जाते रहे हैं। अभी लेखपालों को सरकारी आवास की सुविधा नहीं है । आवास दुर्लभता की समस्या को देखते हुये फिलहाल सप्तम् वित्त आयोग द्वारा किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत शासन ने 500 लेखपालों के लिए भवन निर्माण प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है ।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, मुसाफिरखाना द्वारा चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर को रिमाण्ड किये मुकदमें तथा उनका निस्तारण

13—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर ने वर्ष 1981-82 में कितने मुकदमें एवं अपीलें रिमाण्ड होकर चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर में प्राप्त हुए ? उनमें से कितने मुकदमों का फैसला हो गया है और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1981-82 में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर ने चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर को 13 मुकदमें रिमाण्ड किये हैं जिसमें 11 मुकदमों का फैसला हो चुका है तथा 2 मुकदमें अभी विचाराधीन हैं ।

तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के शुकुल बाजार में चकबन्दी अधिकारी का मुख्यालय खोले जाने पर विचार

14—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के शुकुल बाजार में चकबन्दी अधिकारी का मुख्यालय खोला जाने वाला है, जो उसके क्षेत्रीय जनता के लिये सुविधाजनक नहीं है ? यदि हां, तो क्या उक्त मुख्यालय महोना पच्छिम अथवा नेवाज भटारगढ़ में स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के शुकुल बाजार में चकबन्दी अधिकारी का मुख्यालय खोला जाने वाला है जो क्षेत्रीय जनता के लिये सुविधाजनक होगा क्यों कि शुकुल बाजार में डाकघर, थाना है तथा जनता के आवागमन हेतु

सड़क की सुविधा भी उपलब्ध है। अतः महोना पश्चिम अथवा नेवाज मदारगढ़ में चकबन्दी अधिकारी का मुख्यालय स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विकास विभाग के अधीन राजपत्रित सेवा (श्रेणी दो) संवर्ग के स्वीकृत पद तथा उनमें स्थायी पदों की संख्या

15—श्री राम हर्ष राय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलायेंगे कि गन्ना विकास विभाग में जिला गन्ना अधिकारी संवर्ग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उन पदों के विरुद्ध कौन-कौन अधिकारी स्थायी हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना विकास विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश गन्ना राजपत्रित सेवा (श्रेणी दो) संवर्ग में जिसमें जिला गन्ना अधिकारी शामिल हैं, के कुल 58 पद स्वीकृत हैं।

उक्त संवर्ग में, 33 स्थायी पदों के विरुद्ध निम्नलिखित 16 अधिकारी स्थायी हैं :—

1—डा० सी० बी० सिंह

2—श्री सी० बी० अग्निहोत्री

3—श्री करन सिंह

4—श्री राम करन सिंह

5—श्री एस० एस० सिंहल

6—डा० माया शंकर लाल

7—श्री बी० पी० मिश्र

8—श्री राम मूर्ति सिंह

9—श्री आर० पी० विश्वकर्मा

10—श्री के० एम० सन्त

11—श्री हेम चन्द्र पाण्डेय

12—श्री आर० पी० पाण्डेय

13—श्री गिरीश दत्त त्रिपाठी

14—श्री राम मिलन सिंह

15—डा० एस० एन० राय

16—श्री रमा शंकर सिंह

इलाहाबाद जनपद के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

16—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम अहमदपुर, पावन, परगना चायल, जिला इलाहाबाद के निवासियों को बिजली सप्लाई करने हेतु एक वर्ष पूर्व खंभे और तार लगाये गये थे ? यदि हां, तो आज तक बिजली की सुविधा न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

इलाहाबाद जनपद के अहमदपुर पावन ग्राम का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर दिनांक 29-2-1980 को किया जा चुका है। उक्त ग्राम में कनेक्शन हेतु केवल छः व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे जिनमें से दो को दिनांक 6-1-1982 को कनेक्शन दिया जा चुका है। एक मामले में जिस नाम से प्रार्थना-पत्र दिया गया था उस नाम का कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। अवशेष तीन मामलों में कनेक्शन देने के लिये एल0 टी0 लाइन का विस्तार करने की आवश्यकता है जिस पर आने वाली कुल लागत पर प्राप्त तीन प्रार्थना-पत्रों के आधार पर, समुचित प्रतिलाभ प्राप्त न हो पाने की स्थिति में कनेक्शन दिया जाना संभव नहीं है।

17--श्री सन्त बक्श रावत--

[8वें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बलिया जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

18--श्री राम गोविन्द, श्री गौरी शंकर मैय्या--

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में आर0 ई0 सी0 स्कीम (ग्रामीण विद्युत योजना) के अन्तर्गत ग्राम सभाओं के विद्युतीकरण कार्य बन्द कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1981 से 1 जनवरी, 1982 तक इस स्कीम के अन्तर्गत कितने ग्राम सभाओं को बिजली दी गयी है?

श्री सुनील शास्त्री--

यह सत्य नहीं है कि बलिया जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य बन्द कर दिया गया है। वर्तमान समय में बलिया जनपद में तीन विभिन्न स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत कार्य चल रहे हैं। 1-1-1981 से 1-1-1982 की अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत 45 (पैंतालिस) ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछा कर किया गया।

जनपद रायबरेली, खीरों ग्राम पंचायत की मछली और बाजार की नीलामी के बकाया की वसूली

19--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के खीरी ब्लाक के खीरों ग्राम पंचायत का कितना रुपया 1980-81 व 1981-82 वर्ष का कितना मछली और बाजार की नीलामी का बकाया है और किसके ऊपर? अभी तक क्यों नहीं वसूल हुआ? क्या इस सम्बन्ध में बी0 डी0 ओ0, खीरी द्वारा परगनाधिकारी, डलमऊ को (दिसम्बर, 81 से जनवरी, 82) के बीच लिया भी गया है? फिर भी वसूली नहीं हुई, क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नगत कोई बकाया नहीं है। अतएव बकाये की वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुरादाबाद के कतिपय ग्रामों में हरिजनों को आबंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही

20--राम कृष्ण माहेश्वरी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 6ठें शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 33 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 30-3-81 द्वारा उन्हें उक्त दिनांक तक ग्राम (1) बुढ़ानपुर खालसा (2) रहिमाबाद, (3) फजलाबाद, (4) भंकरी, तहसील अमरोहा, मुरादाबाद में हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को सन् 1975 में आबंटित भूमि पर कब्जा न मिलने की शिकायत लिखी है तथा उन व्यक्तियों का एक हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना-पत्र भी संलग्न भेजा है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत मामले में गलत सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है और आबंटियों को अब उनकी भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां,

दिनांक 30-3-1981 का पत्र प्राप्त होने पर पुनः मौके की जांच कराई गई तथा उक्त कब्जों की पुष्टि के सम्बन्ध में आवंटियों से दिनांक 13-5-81 की तहरीर भी प्राप्त की गई । आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा 1975 में कराया गया था। बाद में 'कब्जा दिलाओं अभियान के दौरान जिनकी शिकायत मिली कि उनका कब्जा नहीं है उन्हें पुनः कब्जा दिला दिया गया। केवल सुरजीत का आबंटित भूमि पर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अतः उसे कब्जा नहीं दिया जा सका। प्रथम सत्र 1981 के 6ठें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का जो उत्तर दिया गया था, वह सही है । अतः प्रश्न का शेष भाग उत्पन्न नहीं होता ।

यू0 पी0 कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन, 1950 के मुताबिक अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने पर विचार

21--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन, 1950 के मुताबिक जो अस्थाई कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक कार्य करते आ रहे हैं उन्हें रेगुलर करने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

22--श्री हरिवंश सहाय--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम चकलाल चन्द, जनपद आजमगढ़ में हरिजनों को आवास हेतु नियमानुसार आवंटन

23--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम चकलाल चन्द, इटौरा, तसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में हरिजन आबादी की जमीन विधिवत न बांटे

जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-10-80 तहसीलदार, सगड़ी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैज नाथ कुरील—

जी हां । मामले में जांच करायी गयी और पाया गया कि हरिजनों को आवास हेतु भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है ।

मिर्जापुर जनपद में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में मालगुजारी में छूट देने पर विचार

24—श्री राम चरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि वर्ष 1979-80 में मिर्जापुर जनपद सूखे से प्रभावित था ? यदि हां, तो सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का लगान (भूराजस्व)-माफ हुआ था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । वर्ष 1979-80 1387 फसली में मिर्जापुर जनपद सूखे से प्रभावित था । जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा प्रेषित सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में मालगुजारी में अन्तिम छूट का प्रस्ताव नियमानुसार नहीं था । अतः जिलाधिकारी द्वारा संशोधित प्रस्ताव पुनः तैयार कराया जा रहा है, जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार कर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

देसही देवरिया विकास क्षेत्र के सभी गांवों के विद्युतीकरण की योजना

25—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के देसही देवरिया विकास क्षेत्र के सभी गांवों के विद्युतीकरण की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

जनपद गोन्डा की तहसील गोन्डा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता का वितरण तथा गृह अनुदान

26—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1981 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो गोन्डा जनपद के तहसील गोन्डा में कितने लोगों को ऐसे अनुदान दिए गये हैं तथा उसकी धनराशि क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । जनपद गोन्डा की तहसील गोन्डा के 38,285 व्यक्तियों को 1081,65,650 खाद्यान्न एवं नगद सहायता के रूप में वितरित किया गया ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भवन के स्वामियों को भी शासन ने अनुदान दिए जाने के आदेश वर्ष 1981 में दिए थे ? यदि हां, तो गोंडा विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐसे लोगों को (सहायता) अनुदान प्रदान की गई है एवं उनमें वितरित धनराशि क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। गोन्डा विधान सभा क्षेत्र में 567 व्यक्तियों में अब तक रु0 60,900 गृह अनुदान के रूप में वितरित किया जा चुका है। वितरण कार्य अभी जारी है।

ग्राम चान्दारत्ती, चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र करनपुर (बभनान) जनपद गोन्डा में चकों की पैमाइश का कार्य

28--श्री राम आसरे पासवान--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी सर्किल करनपुर बभनान, जनपद गोन्डा के ग्राम चांदरत्ती में चक पैमाइश का कार्य समाप्त कर लिया है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों ने चकों में कमी की शिकायत की है ? क्या उनके चकों की पुनः पैमाइश करके कमी पूरी कर दी गई है। यदि नहीं, तो कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम चान्दारत्ती चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र करनपुर (बभनान) जनपद गोन्डा में कुल 17 प्रखन्ड है, जिनमें से 15 प्रखन्डों में चक पैमाइश का कार्य समाप्त कर लिया गया है। चार चकदारों ने चकों में कमी की शिकायत की है। अभी उनके चकों की पुनः पैमाइश नहीं कराई गयी है। शेष बचे 2 प्रखन्डों तथा शिकायतकर्ताओं के चकों की पैमाइश रबी की फसल कटने के पश्चात् करा दी जायेगी।

रायबरेली जनपद की तहसील डलमऊ एवं रायबरेली में चकबन्दी के अयोग्य गांव

29--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद की तहसील डलमऊ एवं रायबरेली में किन-किन गांवों में 1981 तक चकबन्दी नहीं हुई ? सरकार वहां कब तक चकबन्दी कराना चाहती है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

डलमऊ तहसील के 104 ग्रामों को तथा रायबरेली तहसील के 48 ग्रामों को वर्ष 1981 तक चकबन्दी के अन्तर्गत नहीं लिया गया है क्योंकि ये ग्राम चकबन्दी के अयोग्य पाये गये थे। ग्रामों की सूची संलग्न है। अभी तक इनमें से किसी ग्राम को चकबन्दी में लेना प्रस्तावित नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 146 पर।)

सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिला गन्ना अधिकारी के पद हेतु चयन

30—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 76—77 में सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जिला गन्ना अधिकारी (पी० सी० एस०) के पद हेतु कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा उसमें से कितनों को नियुक्ति आदेश पारित किए गए जिनके नियुक्ति आदेश पारित नहीं किए गए, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1977 के आधार पर गन्ना सेवा श्रेणी 11 के संवर्ग में तैनाती हेतु कुल 14 अभ्यर्थियों का आवंटन हुआ ।

उक्त 14 अभ्यर्थियों में से 9 अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश दिनांक 23—5—80 तथा 21—1—81 को जारी किए गए ।

अवशेष 5 अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश उनके पूर्ववृत्त आदि की जांच में विलम्ब के तथा कुछ अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अभी तक पारित नहीं हो सके और अब शीघ्र ही प्रसारित किए जा रहे हैं ।

नायब तहसीलदार के पदों पर प्रोन्नति के लिए सुपरवाइजर कानूनगो तथा संग्रह अमीनों का अनुपात

31—श्री राम करन तथा श्री राम धनी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति के लिए पांच कानूनगो तथा एक अमीन का अनुपात है जब कि कानूनगो की संख्या से संग्रह अमीन 18 गुना अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार संग्रह अमीन के कठिन कार्य को देखते हुए पदोन्नति के अनुपात में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

नायब तहसीलदार के पदों पर प्रोन्नति के लिए सुपरवाइजर कानूनगो तथा संग्रह अमीनों का अनुपात 5 व 1 का है किन्तु यह सही नहीं है कि संग्रह अमीनों की संख्या सुपरवाइजर कानूनगो की संख्या से 18 गुना अधिक है । सुपरवाइजर कानूनगो, के स्थायी पदों की संख्या 1056 तथा संग्रह अमीनों के स्थायी पदों की संख्या 8264 है ।

नायब तहसीलदार के पद के दायित्वों और संग्रह अमीनों की भू-अभिलेख, राजस्व अधिनियम और नियमों की अल्प जानकारी को ध्यान में रखते हुए शासन का विचार फिलहाल उनके पदोन्नति के अनुपात में बढ़ोत्तरी करने का नहीं है ।

आयुक्त, मुरादाबाद को साहू हरसहाय, निवासी बिलारी के परिवार द्वारा जमीन के सीलिंग में गड़बड़ी कराये जाने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

32--श्री अकबर हुसैन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि माह नवम्बर, 1981 में आयुक्त, मुरादाबाद को साहू हरसहाय, निवासी बिलारी के परिवार द्वारा अपनी जमीन को सीलिंग में भारी गड़बड़ी कराए जाने सम्बन्धी तथ्यों पर आधारित जांच हेतु धर्मबीर सिंह व राजपाल सिंह का शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसीलदार बिलारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की मांग

33--श्री रियासत हुसैन--

क्या राजस्व मन्त्री को कोई पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1982 को प्रश्नकर्ता का प्राप्त हुआ है जिसमें तहसीलदार, बिलारी के विरुद्ध जांचोपरान्त उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

जनपद जालौन, ग्राम सभा बहादुरपुर के उप-प्रधान के विरुद्ध अनियमित पट्टों के कब्जे को निरस्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

34--श्री दलगंजन सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद जालौन की ग्राम सभा बहादुरपुर के उप प्रधान ने वर्ष 1976 में अपने ही परिवार के लोगों के नाम अनियमित पट्टे करके एक एकड़ से भी अधिक हरिजन आबादी की भूमि कब्जा कर ली थी और जबकि उनके पट्टे निरस्त हो गए हैं परन्तु कब्जा बदस्तूर बना हुआ है ? यदि हां, तो उन्हें कब्जों से क्यों नहीं हटाया जा रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यह सही है कि जनपद जालौन की ग्राम सभा बहादुरपुर की भूमि प्रबन्धक समिति ने वर्ष 1978 में उप-प्रधान के परिवार के व्यक्तियों तथा सम्बन्धियों के नाम 10 पट्टे 150-150 वर्ग गज हरिजन आबादी की भूमि के कर दिए थे । इन पट्टों को जांच में अनियमित पाया गया और उन्हें 29 मई, 1931 को निरस्त

कर दिया गया है । इन पट्टेदारों से कब्जा नहीं मिल सका है । इनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ।

जनपद बलिया के अन्तर्गत बलिया तहसील में ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

35--श्री राम गोविन्द, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही तथा श्री गौरीशंकर भैय्या--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया तहसील में हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1979 से 1 जनवरी, 1982 तक कितने हरिजन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री--

बलिया जनपद के अंतर्गत बलिया तहसील में 1-1-1979 से 1-1-82 की अवधि में 16 (सोलह) ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ।

बलिया जनपद की दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा पर किसानों के बकाया रुपये का भुगतान

36-श्री राम गोविन्द, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही तथा श्री गौरीशंकर भैय्या--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद की दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा पर किसानों का कितना रुपया 26 जनवरी, 82 को बकाया है ? उसको अदा न किए जाने का क्या कारण है ? तथा बकाया रुपयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

37-श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत् वितरण खंड, झांसी द्वारा सब स्टेशन हेतु खरीदे गए एक्जास्ट फैन तथा उनका प्रयोग

38--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विगत वर्ष 1981 में विद्युत् वितरण खंड, झांसी द्वारा सब स्टेशनों को ठंडा करने हेतु जो पचास एग्जास्ट फैन खरीदे गए थे, उनमें से एक भी सब-स्टेशनों पर उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इनका प्रयोग कहां किया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री--

विद्युत् वितरण खंड, झांसी में वर्ष 1981 में कुल 9 (नौ) एक्जास्ट फैन खरीदे गए थे जो विद्युत् उपकेन्द्रों के लिए नहीं थे । अतः विद्युत् उपकेन्द्रों पर उनके उपलब्ध होने का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त एक्जास्ट फैन परिषद् के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, झांसी एवं विद्युत वितरण खंड कार्यालय, झांसी में स्थित कूलर्स के लिए खरीदे गए थे और उनका प्रयोग वहीं किया जाता है ।

माता टीला पावर हाउस के कन्ट्रोल रूम में प्रयोग हेतु क्रय किए गए एयर कन्डीशनर

39--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1979 में दस-दस हजार रु0 के दो एयर कूलर माताटीला पावर हाउस के लिए खरीदे गए थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ये दोनों कूलर कहां प्रयोग हो रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं । वर्ष 1979 में माता-टीला पावर हाउस के कन्ट्रोल रूम में प्रयोग हेतु दो एयर कन्डीशनर (न कि एयर कूलर) खरीदे गए थे जिनकी कुल कीमत लगभग रु0 19,400 थी । उक्त दोनों एयर कन्डीशनर का प्रयोग उक्त पावर हाउस के कन्ट्रोल रूम में ही किया जाता है ।

ब्लाक दुद्धी, म्योरपुर और बभनी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

40--श्री विजय सिंह--

विधान सभा के अता0 प्र0 सं0 111, दिनांक 22-1-82 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक दुद्धी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें कौन से सात गांवों तथा म्योरपुर और बभनी ब्लाक में कौन-कौन से चार गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा उक्त तीनों ब्लाकों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दुद्धी तहसील में हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण

41--श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)--

विधान सभा के अता0 प्र0 सं0 109, दिनांक 22-1-82 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्यत 6 और सामान्य योजना के अन्तर्गत एक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किन-किन गांवों में किया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजनान्तर्गत मलदेवा, जाबर खजूरी और बीडर गांवो का विद्युतीकरण

42--श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)--

विधान सभा के अता0 प्र0 सं0 110, दिनांक 22-1-82 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि निकट भविष्य में मलदेवा, जाबर खजूरी और बीडर गांवों के हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए कोई प्रस्ताव है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दायर एवं निस्तारित वादों के आंकड़े

43—श्री राम नारायन एडवोकेट—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में धारा 229(बी) एवं धारा 198 एवं 115 (पी) जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम संख्या 1, सन् 1951 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में सन् 1945 से आज तक विचाराधीन हैं ? क्या सरकार जनहित में इनके निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय प्रश्नकर्ता ने सन् 1945 से आज तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229 (बी), 198 एवं 115 (पी) के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में वादों की सूचना चाही है जबकि उक्त अधिनियम सन् 1950 का है एवं जुलाई, 1952 से लागू किया गया था । अतः प्रश्न अस्पष्ट है । इसके अतिरिक्त प्रश्न व्यापक भी है । विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दायर एवं निस्तारित वादों के आंकड़े एकत्र करने में काफी श्रम लगेगा । इसलिए वांछित सूचना की उपादेयता, उसमें निहित श्रम एवं व्यय की तुलना में, न्यून है ।

ग्राम सभा मानिकपुर, जनपद आजमगढ़ में विद्युतीकरण हेतु नागरिकों द्वारा जमा की गई धनराशि

44—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम सभा मानिकपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में नागरिकों ने विद्युतीकरण हेतु 25 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से जनवरी, 1979 में जमा कर दिया किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? क्या अधीक्षण अभियन्ता को उक्त गांव सभा के प्रधान तथा अन्य नागरिकों का पत्र दिनांक 20-8-80 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-11-80 अधीक्षण अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री सुनील शास्त्री—

ग्राम सभा मानिकपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के 14 नागरिकों ने विद्युतीकरण हेतु 25 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से जनवरी, 1979 में जमा किए थे ।

उक्त ग्राम सभा के प्रधान तथा अन्य नागरिकों का पत्र दिनांक 20-8-80 एवं प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-11-80 अधीक्षण अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ।

उक्त ग्राम का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत किया जाना है परन्तु चूंकि इस योजना में ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य बहुत कम है अतः उक्त ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका ।

ग्राम मथानी, जिला फैजाबाद में प्रधान द्वारा की गयी भयंकर धांधली एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

45--श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मथानी, ब्लाक कटेहरी, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में प्रधान द्वारा की गयी भयंकर धांधली एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 17-3-81 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सम्बन्धित शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 25 मई, 1981 को जांच एवं उचित कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से प्रश्न, कर्त्ता महोदय को भी अवगत कराने हेतु भेज दिया गया था । उक्त स्थिति से माननीय प्रश्नकर्त्ता को भी अर्धशासकीय पत्र दिनांक 25-5-82 द्वारा अवगत करा दिया गया था ।

ग्राम सभा गरियांव, जिला मैनपुरी में हरिजन बस्ती विद्युतीकरण संबंधी पत्र

46--श्री केशरी प्रसाद--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गरियांव, ब्लाक मुंगरा बादशाहपुर, जिला मैनपुरी के हरिजनों को कोई दरख्वास्त दिनांक 15-10-81 हरिजन बस्ती विद्युतीकरण सम्बन्धी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत एक हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिए निर्धारित अधिकतम व्यय के विपरीत ग्राम गरियांव की हरिजन बस्ती पर आने वाला खर्च अधिक होने की स्थिति में उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण संभव नहीं है । वस्तुस्थिति से ग्राम प्रधान, गरियांव को अवगत करा दिया गया है ।

सब रजिस्ट्रार पद की नियुक्ति में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व न प्रदान किये जाने संबंधी प्रत्यावेदन

47--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सबार्डिनेट सर्विस आफ सब-रजिस्ट्रार परीक्षा, 1979 में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व न प्रदान किये जाने के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--]

जी हां ।

सब-रजिस्ट्रार पद के नियुक्ति अधिकारी निबंधन महानिरीक्षक, इलाहाबाद हैं । उनसे आख्या मांगी गई है आख्या प्राप्त होने पर लोक सेवा आयोग से परामर्श के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम वेला, करमडीह, परगना व तहसील, जिला गोन्डा के श्री रामपल्टन पुत्र जगदत्त को भूमि का चक उनके नाम न किये जाने के संबंध मे कार्यवाही

48--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि भूमि नम्बर 1169/39, 1249/33, 1344/5, 1343/10, 1168/20, स्थित ग्राम करमडीह वेला, परगना, तहसील व जिला गोन्डा का रजिस्ट्री शुदा बनामा मूल खातादारान मुसम्मे शीतला प्रसाद आदि पुत्रगण सतगुर ने दिनांक 24-9-73 को बहक श्री रामपल्टन पुत्र जगदत्त, निवासी ग्राम करमडीह, वेला, परगना, तहसील व जिला गोण्डा के हक में कर दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश न्यायालय श्रीमान सी० ओ० गोण्डा तथा एस० ओ० सी०, गोन्डा के आदेश नुसार क्रमशः दिनांक 15-5-79, 14-10-80 को कर दिया गया है ? यदि हां, तो मुसम्मे रामपल्टन उपरोक्त को उक्त भूमि का चक उसके नाम अब तक न बनाये जाने का कारण क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम वेला करमडीह, परगना, तहसील व जिला गोण्डा के गाटा संख्या 1169/0-39, 1249/0-33, 1344/0-5, 1343/0-10 का स्वामित्व बनाने के आधार पर वाद संख्या 124 में चकबन्दी अधिकारी के आदेश द्वारा दिनांक 15-5-79 तथा उक्त गाटों के साथ गाटा संख्या 1168/0-20 अपील संख्या 1931/87/46 में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के आदेश दिनांक 14-10-80 द्वारा रामपल्टन पुत्र जगदत्त के नाम अंकित हुआ है । चकबन्दी अधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश ग्राम में चक निर्माण कार्य समाप्त होने एवं चकों का पुष्टीकरण तथा कब्जा परिवर्तन कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात् हुये हैं, जिसके कारण चकों में परिवर्तन संदर्भ द्वारा ही सम्भव है जिसकी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जगदीश प्रसाद, डाकपाल, त्रिपुरारिपुर लेखा कार्यालय, पुरवा, जिला उन्नाव द्वारा बिजली से जल जाने से हुई क्षतिपूर्ति की मांग

49--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें किसी विधायक के पत्र के साथ दिनांक 21-1-82 को श्री जगदीश प्रसाद आत्मज श्री बदलू प्रसाद शुक्ल, शाखा डाकपाल त्रिपुरारिपुर लेखा कार्यालय, पुरवा, जिला उन्नाव का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बिजली से जल जाने से विकलांग होने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

प्रश्नगत दुर्घटना के संबंध में विद्युत निरीक्षणालय द्वारा जांच कराई गई, जिसके अनुसार दुर्घटना के लिए डाक एवं तार विभाग उत्तरदायी है । श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल को हुई क्षति की पूर्ति करने के संबंध में डाक एवं तार विभाग को लिखा जा रहा है ।

ग्राम छितरापार, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती की चक की अपीलों का शिकायती-पत्र तथा निस्तारण

50--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत गांव में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के स्तर पर चकों की अपीलों का निस्तारण कब हुआ ? 6 जून, 1974 की शिकायत में प्रमुख बातें क्या थीं और जब बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के स्तर से अपीलों का निस्तारण हो चुका था तो उनके पास इस शिकायती-पत्र को भेजने का क्या औचित्य है ? संयुक्त संचालक चकबन्दी ने 51 खातेदारों जिनका रकबा 25 प्रतिशत से कम हुआ था तथा 34 खातेदारों, जिनका 25 प्रतिशत से अधिक हुआ था, में से कितनों की त्रुटियों को सही किया ? अनियमित कार्यवाही के लिए किसी अधिकारी को दंडित किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम छितरापार, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती की चक अपीलों का निस्तारण स्व0 श्री के0 पी0 सिंह तत्कालीन सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा दिनांक 29-5-74 को किया गया था । दिनांक 6-6-74 का शिकायती-पत्र, जो दिनांक 11-6-74 को चकबन्दी आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं--

1--परताल तथा खेतों की पैमाइश का कार्य सही नहीं किया गया तथा वास्तविकता के आधार पर नक्शे नहीं बनाये गये ।

2--खेतों का विनियम अनुपात नियमानुसार नहीं लगाया गया ।

3--सार्वजनिक कटौती द्वारा गूलों की व्यवस्था नहीं की गयी ।

4--चक निर्माण कार्य नियमानुसार नहीं किया गया । पचासों काश्तकारों के प्रस्तावित जोत का रकबा मूल जोत की तुलना में दुगुने से अधिक बढ़ गया तथा पचासों काश्तकारों के प्रस्तावित जोत का रकबा मूल जोत की तुलना में आधे से भी कम हो गया।

5--अधिकांश खातेदारों को 3 चक प्रस्तावित किये गये ।

6--चक आपत्तियों एवं अपीलों का निस्तारण नियमानुसार नहीं किया गया ।

7--स्वर्गीय श्री के0 पी0 सिंह, तत्कालीन, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने अपीलों का निस्तारण नियमानुसार नहीं किया ।

उक्त ग्राम की चक अपीलों का निस्तारण तत्कालीन सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा किया गया था अतः कथित शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा कराने में कोई हर्ज नहीं था। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा चक अपीलों के निस्तारण के बाद 51 चकदार ऐसे थे जिनके प्रस्तावित जोत का क्षेत्रफल उनके मूल जोत के क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत से अधिक था तथा 34 चकदारों का क्षेत्रफल 25 प्रतिशत से अधिक कम था।

संयुक्त संचालक, चकबन्दी, बस्ती के स्तर पर निगरानियों के निस्तारण के फलस्वरूप 51 चकदारों में से एक चक का रकबा कम किया गया तथा 34 चकदारों में से 4 चकदारों का रकबा बढ़ाया गया। शेष 80 चकदारों, जिनके प्रस्तावित चकों का रकबा 25 प्रतिशत से अधिक कमी बेशी रही, के संबंध में संयुक्त संचालक, चकबन्दी, बस्ती द्वारा दुरुस्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है अतः कोई अनियमितता नहीं की गई है। प्रासंगिक प्रकरण में कोई अनियमितता न पाये जाने के कारण किसी अधिकारी को दण्डित नहीं किया गया।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, लखनऊ के खाते में अनुचित रूप से धन का व्यय किये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

51--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम सत्र 82 के 2रे शुक्रवार के ता0 प्र0 सं0 1 (नत्थी क) के उत्तर के संदर्भ में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त--

माननीय विधायक द्वारा पूछे गये प्रथम सत्र 82 के दूसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में पहिले ही सूचित किया जा चुका है कि प्रश्नकर्ता के ज्ञापन दिनांक 30-9-81 के संदर्भ में कार्यवाही हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के ही स्तर से की जानी है। इस स्थिति से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को भी अवगत करा दिया गया था। उक्त विभाग द्वारा मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

52--श्री राम आसरे वर्मा--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 264 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दुद्धी क्रिश्चियन चर्च, जनपद मिर्जापुर के ट्रस्टी व चल और अचल सम्पत्ति तथा अनधिकृत काबिजदारों को बेदखल करने के आदेश

53--श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर के दुद्धी क्रिश्चियन चर्च के ट्रस्टी कौन-कौन हैं, उनके क्या अधिकार हैं? दुद्धी क्रिश्चियन ट्रस्ट में कितनी चल व अचल सम्पत्ति है? क्या यह सही है कि उक्त ट्रस्ट के अन्तर्गत 28 बीघे भूमि है जिसे कुछ इसाई व गैर इसाई गलत ढंग से कब्जा कर रखे हैं? क्या ट्रस्टी में से कोई गलत ढंग से काबिज है? यदि हां, तो क्या सरकार उस पवित्र क्रिश्चियन चर्च की सम्पत्ति को बचाने के लिए उन गलत काबिजदारों को बेदखल करने का आदेश पारित करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

दुद्धी क्रिश्चियन चर्च, जनपद मिर्जापुर के ट्रस्टी सर्वश्री सामुएल वेन्जमोन, केवल किशोर मजीह और नूह मसीह हैं।

इन्हें यह अधिकार है कि वे ट्रस्टी के रूप में चर्च में निहित सम्पत्ति की देख-भाल तथा उससे प्राप्त आय चर्च के हित में व्यय करें। उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति में दरी 4, बेन्च 6, कुर्सी 1, अलमारी मय किताब 1, भूमि 31 बीघा 13 बिस्वा 15 धूर, चर्च का मकान 3, बंगला 1 तथा गिर्जाघर 1 है। उक्त ट्रस्ट के नाम 31 बीघा 13 बिस्वा 15 धूर भूमि है, जिस पर कुछ अनधिकृत व्यक्ति जिनमें इसाई और गैर इसाई भी हैं, काबिज हैं। उक्त ट्रस्टी में से किसी के गलत रूप से काबिज होने की सूचना नहीं है। अनधिकृत काबिजदारों को बेदखल करने के लिए ट्रस्टी द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा।

54—श्री दीप नारायण—

[दिनांक 5-2-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के अन्तर्गत उत्तरित]

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड संख्या 1153 पट्टे पर दी गई भूमि को निरस्त करने की कार्यवाही हेतु आदेश

55—श्री राम आसरे वर्मा—

द्वितीय सत्र 81 के प्रथम शुक्रवार (18-9-81) के अता० प्र० सं० 30 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो पट्टे निरस्त किये गये हैं उनके नाम अभी भी तहसील के अभिलेखों (खाता-खतौनी) में दर्ज हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निरस्त पट्टेदारों के नाम खाता खतौनी में से हटाने का आदेश देगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न का प्रथम भाग

जी नहीं।

प्रश्न का द्वितीय भाग

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

56—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कितनी हरिजन बस्तियों का वर्तमान वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण किया जायगा? विकास क्षेत्रानुसार गांवों के नाम (उक्त अनुसार) क्या हैं?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद गोरखपुर में वर्तमान वित्तीय वर्ष (1981-82) में 112 (एक सौ बारह) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य है। विकास क्षेत्रानुसार गांवों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 152 पर।)

गाजीपुर जनपद में विद्युत् वितरण के मुख्य केन्द्र और उप केन्द्रों की कुल क्षमता तथा रख-रखाव पर व्यय की जाने वाली धनराशि, उद्योगों और कृषि को दी गयी बिजली

57—श्री राम नरायन, एडवोकेट—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में जल विद्युत् वितरण के कितने केन्द्र, उपकेन्द्र हैं तथा इनकी निर्धारित क्षमता कितनी है और वर्ष 1980 से अब तक इनके रख-रखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा किन-किन मदों पर ? तथा यह भी बतावें कि जनवरी, 1981 से अब तक कितने मेगावाट विद्युत् इन केन्द्रों, उप केन्द्रों द्वारा उद्योग, कृषि को अलग-अलग दी गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

गाजीपुर जनपद में विद्युत् वितरण के 3 मुख्य केन्द्र (132/33, के0 वी0) एवं 23 उप केन्द्र (33/11, के0 वी0) हैं। 132/33 के0 वी0 के 3 मुख्य विद्युत् केन्द्रों की कुल क्षमता 72·5 एम0 वी0 ए0 तथा 33/11 के0 वी0 के 23 उपकेन्द्रों की कुल क्षमता 93 एम0 वी0 ए0 है। वर्ष 1980 से अब तक 2 वर्षों में 132/33 के0 वी0 के तीन मुख्य केन्द्रों पर 1,89,450 एवं 33/11 के0 वी0 के उपकेन्द्रों पर 17,87,046 रु0 व्यय किये गये हैं। 132/33 के0 वी0 के मुख्य उपकेन्द्रों से सामान्यतया उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत् आपूर्ति नहीं की जाती है। 33/11 के0 वी0 के उपकेन्द्रों द्वारा जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक उद्योगों एवं कृषि के लिये क्रमशः 9·710 और 99·866 मिलियन यूनिट बिजली दी गई। मेगावाट में मांग केवल किसी विशेष समय के ही लिये बतायी जा सकती है।

सहकारी गन्ना विकास समिति, मुरादाबाद में व्यक्तियों पर बकाया धनराशि वसूल न किये जाने का कारण

58—श्री रियासत हुसैन—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सोसायटी, मुरादाबाद में किन-किन लोगों पर 5,000 रु0 से अधिक बकाया है और कितने वर्षों से और उसके वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सहकारी गन्ना विकास समिति, मुरादाबाद में 14 व्यक्तियों (तालिका संलग्न) पर 5,000 रुपये से अधिक ऋण अवशेष हैं। यह ऋण वर्ष 1962-63 से 1976-77 की अवधि के हैं।

इन कृषकों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति बन्द कर दिये जाने के कारण बकाया ऋण की वसूली नहीं हो पा रही है। बकायेदारों के विरुद्ध सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 92 के अन्तर्गत कार्यवाई की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 157 पर।)

चमोली जल विद्युत् योजना के अन्तर्गत एप्रोच मार्ग के निर्माण में श्री बचन सिंह की भूमि का अधिग्रहण तथा प्रतिकर के भुगतान में विलम्ब

59--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964 में चमोली जल विद्युत् योजना के अन्तर्गत एप्रोच माग निर्माण में श्री बचन सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, ग्राम चमनांऊ, पट्टी मल्ला नागपुर, जिला चमोली की कितनी कृषि योग्य भूमि क्षतिग्रस्त हुई है ? इस भूमि का प्रतिकर मय ब्याज के कितना देय है ? प्रतिकर के भुगतान में देरी की क्या वजह है ? और कब तक यह भुगतान हो जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

वर्ष 1964 में चमोली जल विद्युत् योजना के अन्तर्गत एप्रोच मार्ग के निर्माण में श्री बचन सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, ग्राम चमनाऊं, पट्टी मल्ला नागपुर, की 12 नाली 10 मुट्ठी कृषि योग्य भूमि क्षतिग्रस्त हुयी थी उक्त क्षति पूर्ति के लिये प्रतिकर भुगतान की स्थिति ज्ञात की जा रही है ।

खतौली चीनी मिल, जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय कोष के लिए की गई कटौती

60--श्री हुकम सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना चीनी मिल खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में कितने किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय बचत कोष के लिए किस आधार पर कटौती की जा रही है एवं कटौती किया गया धन क्या किसानों के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

खतौली चीनी मिल, जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय कोष के लिए वर्तमान समय में कोई कटौती नहीं की जा रही है । अतः किसानों के व्यक्तिगत खाते में उक्त योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि जमा करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री शिव शंकर पान्डेय की ग्राम सेवक के पद पर सेवा समाप्ति तथा पुनर्नियुक्ति पर विचार

61--श्री जंगबहादुर--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को यह ज्ञात है कि श्री शिवशंकर पांडेय की नियुक्ति गन्ना ग्राम सेवक के पद पर वाराणसी में 12-10-77 को की गयी थी तथा 30-12-81 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी ? यदि हां, तो सेवा समाप्त करने के क्या कारण थे ? क्या सरकार पुनः नियुक्त किए जाने के लिए विचार करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां। श्री शिवशंकर पान्डेय की नियुक्ति गन्ना ग्राम सेवक के पद पर वाराणसी में दिनांक 12-10-77 को अस्थायी रूप से की गयी थी तथा इनकी सेवायें 30-12-77 को समाप्त की गयी थीं।

श्री पान्डे की सेवा समाप्ति के कारणों की जांच करायी जा रही है और उसके परिणाम के आधार पर ही उनकी पुनर्नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री घनश्याम सिंह, ग्राम भाटाडीह, जनपद जौनपुर का उक्त गांव के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

62--श्री पंचानन राय--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री घनश्याम सिंह, ग्राम भाटाडीह तिलौरा, जनपद जौनपुर का उक्त गांव के विद्युतीकरण से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15 जुलाई, 1981 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां।

ग्राम भाटाडीह का विद्युतीकरण सामान्य राजकीय योजना के अन्तर्गत किया जाना है जिसके लिये निर्धारित नीति के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि उक्त ग्राम में विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने हेतु 35 रु0 अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर ग्राम के विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत का 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ सुनिश्चित हो जाये। ग्राम भाटाडीह में कनेक्शन हेतु 25 रु0 की अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ प्रार्थना-पत्र समुचित संख्या में प्राप्त न होने की स्थिति में इस ग्राफ का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियांव, आजमगढ़ के निर्माणार्थ अधिग्रहीत की गई भूमि से सम्बन्धित व्यक्तियों को स्थायी सेवा में नियुक्ति

63--श्री पंचानन राय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रामशब्द पुत्र स्व0 झूरी यादव, निवासी ग्राम सुराई, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ की जमीन किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियांव, आजमगढ़ के निर्माणार्थ ली गई है? क्या शासन की तरफ से आदेश है कि जिनकी भूमि मिल के निर्माणार्थ ली गई है उन्हें स्थायी सेवा में रखा जायेगा? यदि हां, तो राम शब्द को तीन वर्षों से अधिक तक दैनिक मजदूरी पर रखने का क्या औचित्य है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 ने सहकारी चीनी मिलों के लिए यह निर्देश दे रखे हैं कि जिन परिवारों की भूमि चीनी मिल के लिए अधिग्रहीत की जाय उनके परिवारों के एक सदस्य को चीनी मिल के स्थाई पदों पर नियुक्ति करने में वरीयता दी जाय। श्री राम शब्द को जब दैनिक वेतन

पर नियुक्त किया गया उस समय वे नाबालिग थे । उन्हें अब यथा सम्भव शीघ्र नियमित नियुक्ति देने का प्रयास किया जाएगा ।

बिक्री कर आयुक्त का मुख्य कार्यालय तथा ट्यूबवेल, सड़क, मोटर गैरेज, साइकिल स्टैण्ड आदि के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि

64—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि बिक्री–कर आयुक्त का मुख्यालय बटलर पैलेस में गत 25 वर्षों से ऊपर से है और बिक्री–कर विभाग ने अपना भवन लखनऊ में नहीं बनवाया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बिक्री–कर विभाग ने अपने मुख्यालय के लिए भवन लखनऊ में क्यों नहीं बनाया और बटलर पैलेस में ट्यूबवेल, सड़क, मोटर गैरेज, साइकिल स्टैन्ड आदि बनाने पर कितना खर्च किया तथा जब यह भवन सरकारी नहीं था तो इतनी बड़ी धनराशि क्यों व्यय की गई ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

बिक्री–कर आयुक्त का मुख्यालय अब बटलर पैलेस में नहीं है । बिक्री–कर विभाग का कोई अपना भवन नहीं है ।

बिक्री–कर विभाग पहले बटलर पैलेस में था और विभाग उक्त भवन व इसके प्रांगण को, जो कास्टोडियन आफ एनेमी प्रापर्टी का है, क्रय करने हेतु बराबर प्रयत्नशील रहा है । इसी कारण विभाग ने अपना कोई अलग भवन नहीं बनवाया ।

बटलर पैलेस में ट्यूबवेल, सड़कें मोटर गैरेज, ड्राइवरों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर तथा साइकिल स्टैंड के निर्माण में कुल रु0 1,96,087·59 का खर्च हुआ । इसके अतिरिक्त वर्ष 1971–72 में छः मोटर गैरेज निर्मित हुए थे ।

बटलर पैलेस प्रांगण में बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता था, कीचड़ के कारण कर्मचारियों को असुविधा होती थी अतः मुख्य फाटकों से मुख्य भवन तक कर्मचारियों तथा वाहनों की आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु सड़क की मरम्मत/निर्माण कराया गया । सरकारी वाहनों की धूप तथा वृष्टि से बचाव तथा उनकी सुरक्षा के लिए पक्के गैराज का निर्माण कराया गया । ड्राइवरों की वक्त बेवक्त सरकारी कार्य हेतु आवश्यकता पड़ती थी और रात्रि में रुकना भी पड़ता था अतः इनके लिए कार्यालय के पास निवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई । प्रांगण में फुलवाड़ी के लिए तथा कर्मचारियों के प्रयोग हेतु जल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए ट्यूबवेल का निर्माण नितान्त आवश्यक था । कार्यालय की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु तथा सुरक्षा हेतु उपरोक्त कार्य अपरिहार्य थे । बटलर पैलेस को विभाग द्वारा क्रय किये जाने की सम्भावना भी थी । इन परिस्थितियों में उपरोक्त निर्माण कार्य पर व्यय सर्वथा न्यायोचित रहा ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

सरशादी लाल शुगर मिल, मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय कोष के लिए कटौती

65—श्री हुकम सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरशादी लाल शुगर मिल, मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय बचत

कोष के लिए किस आधार पर कटौती की जा रही है एवं कटौती किया गया धन क्या किसानों के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सरशाही लाल शुगर मिल, मन्सूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय कोष के लिए इस समय कोई कटौती नहीं की जा रही है । अतः किसानों के व्यक्तिगत खाते में उक्त योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

गन्ना सहकारी समिति शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय कोष के लिए कटौती

66—श्री हुकम सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना सहकारी समिति, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों से अल्प बचत योजना, राष्ट्रीय बचत कोष के लिए किस आधार पर कटौती की जा रही है एवं कटौती किया गया धन क्या किसानों के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना सहकारी समिति, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर के किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय कोष के लिए इस समय कोई कटौती नहीं की जा रही है । अतः किसानों के व्यक्तिगत खाते में उक्त योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय गांवों में धोबीघाट व कपड़ा सुखाने वाली जमीन पर अनधिकृत कब्जा तथा सीमांकन स्थल पर पत्थर लगाने के निर्देश

67—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील बांसगांव के ग्राम माहोपार, पुरुसौली (गगहा), गजपुर, जिगिना, चबरिया, बधराई, बांसगांव खास में धोबियों की आबादी, धोबीघाट व कपड़ा सुखाने वाली जमीन पर कुछ लोगों ने जोर जबरदस्ती से अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या ऐसे कब्जों को हटाते हुए उल्लिखित गांवों की इस प्रकार की जमीनों की पैमाइश कराकर पत्थर नशब करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोरखपुर की तहसील बांसगांव के ग्राम पुरुसौली में धोबीघाट चकबन्दी में छोड़ा गया है । इस पर किसी का अनधिकार कब्जा नहीं है, धोबियों का ही कब्जा है । ग्राम गजपुर एहतमाली बधराई, जिगिना, चबरिया, बांसगांव खास व माहोपार में कोई धोबीघाट दर्ज कागजात नहीं है । अतः इन ग्रामों में धोबीघाट पर अनधिकार कब्जे का प्रश्न नहीं उठता । ग्राम गजपुर तप्पा राजपुर कोटा में अन्तिम अभिलेख चकबन्दी अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत बनाने की कार्यवाही की जा रही है । इस ग्राम में धोबीघाट हेतु साविक नम्बर 885/2 रकबा ·25 डि० नवीन गाटा संख्या 829 आरक्षित किया गया है जिस पर किसी का अनधिकृत कब्जा नहीं है । आरक्षित भूमि का सीमांकन स्थल पर कराया जा

चुका है और पत्थर लगाने के लिए जिला उप संचालक चकबन्दी को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

ग्राम परसरामपुर, तप्पा बनगवां, जिला बस्ती में बंजर एवं परती भूमि पर काबिजदारों के नाम तथा बेदखली

68--श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परशुरामपुर, तप्पा बनगवां, तहसील हरैया, जिला बस्ती में कुल कितनी भूमि 1974 में बंजर एवं परती थी ? कितती जमीन पर कौन-कौन लोग वर्ग-4 तथा अन्य प्रकार के काबिज लिखे हैं उनमें से कितने के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करके अक्तूबर, 1981 तक कितनी जमीन खाली कराई गई, कितने के विरुद्ध अब भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1974 में ग्राम परसरामपुर तप्पा बनगवां, तहसील हरैया, जिला बस्ती में 6 बीघा 3 बिस्वा। धुर भूमि अभिलेखों में बंजर अंकित थी। किसी प्रकार की कोई परती भूमि नहीं थी । वर्ग-4 में लिखे गए काबिज लोगों के नाम निम्न प्रकार हैं :--

1--राम मिलन पुत्र राम अधार ।

2--श्रीमती करोड़ा जौजे राम अधार ।

3--प्यारे लाल पुत्र राजाराम ।

4--उदय नरायन सिंह पुत्र विरोधी सिंह ।

5--राम अधार पुत्र देवी ।

6--सब इंसपेक्टर, थाना परसरामपुर ।

7--हायर सेकेन्ड्री स्कूल, परसरामपुर ।

उपर्युक्त सातों काबिजदारों के नाम 4 बीघा 3 बिस्वा 17 चर भूमि वर्ग-4 में अंकित थी । अक्तूबर, 1981 तक केवल हायर सेकेन्डरी स्कूल, परसरामपुर को छोड़कर अन्य छः काबिजदारों को चकबन्दी न्यायालयों द्वारा बेदखल किया जा चुका है । हायर सेकेन्डरी स्कूल का स्थल पर कोई कब्जा नहीं पाया गया इसलिए उसे बेदखल करने का प्रश्न ही नहीं उठता । स्कूल का नाम जो वर्ग-4 की प्रविष्टि में अंकित है उसे चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत निरस्त करने हेतु उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम मझौआ तथा पाण्डेयपुर के ताल के फर्जी पट्टे के निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही

69—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मझौआ तथा पाण्डेयपुर के नागरिकों का ताल के फर्जी पट्टे से सम्बन्धित—पत्र दिनांक 17—11—80 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 21—11—80 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

फर्जी पट्ट के निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम जमुवारी, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का अतिवृष्टि के कारण गृह अनुदान वितरण में हुई अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती—पत्र की जांच

70—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमुवारी, पो० रौनापार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का अतिवृष्टि के कारण मकानों के गिरने के अनुदान वितरण में हुई अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायती—पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 5 फरवरी, 1981 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किससे कराई गई ? जांच के समय शिकायतकर्त्ताओं को साक्ष्य का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? और जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । शिकायतों की जांच नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर की गई । जांच के समय शिकायतकर्त्ताओं को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया । शिकायती—पत्र में उल्लिखित आरोप जांचोपरान्त सही नहीं पाये गये ।

ग्राम बलीदपुर, जनपद आजमगढ़ के हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने से सम्बन्धित शिकायती—पत्र पर जांच

71—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बलीदपुर, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ के 19 हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने से सम्बन्धित शिकायतें प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 6 जुलाई, 1981 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सदन में सदस्यों द्वारा व्यवस्था बनाये रखने, उपस्थित रहने तथा सरकार द्वारा प्रश्नों के समुचित उत्तर दिये जाने की श्री उपाध्यक्ष की अपील

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदन के दोनों पक्ष से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं। आज मुझे सदन के अन्दर प्रश्नोत्तर काल में तीन घटनाओं से अत्यन्त क्षोभ हुआ। पहली बात यह है कि हमारे माननीय सदस्य प्रश्नों के समय में इतना उत्साहित हो जाते हैं कि वे अपने उत्साहों को रोक नहीं पाते और कभी-कभी उनका उत्साह बांध तोड़कर उस नदी की तरह बह जाता है, जो नदी गांव को डुबो देती है, घरों को साफ कर हर व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देती है। मैं दोनों पक्ष के सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वे अपने उत्साह को अपनी सीमा के अन्दर बंधन में रखें ताकि प्रश्नोत्तर काल शान्तिपूर्वक निबाहा जा सके। प्रश्नकर्त्ता को मैं सुन सकूं और उत्तर को सुन सकूं। अगर कगार तोड़ कर उनका उत्साह सीमा के बाहर निकल जायेगा तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं फिर भी माननीय बदन सिंह और मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ का उत्साह नहीं मानता, नदी की तरह नहीं, नाले की तरह। तो अब मैं क्या करूं। दूसरी बात यह है जिससे मुझे क्षोभ हुआ कि तारांकित प्रश्नों की संख्या 25 थी और ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि पचीसों लोग जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं वे या जो उनके सहयोगी जिनके नाम प्रश्नों में हैं, सदन में उपस्थित रहेंगे। अत्यन्त दुःख के साथ मुझे प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना है कि 25 में 11 प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित रहे। इसका मतलब यह है कि प्रश्न केवल फर्ज अदायगी के नाम पर हो रहा है, जनता के कल्याण के लिए नहीं। यह एक मुनासिब बात नहीं है। मैं सबसे अपेक्षा करता हूं चाहे इधर के सदस्य हों चाहे उधर के सदस्य हों, जब प्रश्न करें तो प्रश्न करने के बाद सदन में उपस्थित रहें। इस तरह की गैरहाजिरी सदन के कार्यों में माननीय सदस्यों की उदासीनता प्रकट करती है। एक दिन असेम्बली के चलाने में हमारे इस गरीब प्रदेश का कितना पैसा व्यय होता है, इसका अन्दाजा हम सबको होना चाहिये और प्रश्नों के समय में अगर उस पैसे का सदुपयोग न हो तो वह प्रदेश के हित की बात न होगी। इसलिये प्रदेश के हित में दोनों पक्ष के सदस्यों से मैं अपेक्षा करता हूं कि जब प्रश्न करें तो सदन में उपस्थित रहें।

तीसरी बात यह है कि शासन की ओर से आज अधिकतम जो उत्तर आये उसमें इस बात से उत्तर ज्यादा आये कि "सूचना एकत्र की जा रही है।" हम शासन से यह अपेक्षा करेंगे कि वह अपने अधिकारियों को सजग करे कि वे समय से हमारे माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समुचित उत्तर अपने विभाग के मिनिस्टरों को दे सकें ताकि वे पूरी तैयारी के साथ माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे सकें क्योंकि मेरा यह परम कर्त्तव्य है कि प्रश्नकर्त्ता को प्रश्न का उत्तर पूरी तौर से मिलना चाहिये ताकि प्रदेश के हित की कामना की जा सके।

इन तीन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्य इसमें मेरी सहायता करेंगे।

अब मैं इसके बाद नियम 301 लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 22 सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं जिनमें से पांच स्वीकार की गई और शेष अस्वीकृत की गई । पहली सूचना माननीय बदन सिंह की है ।

श्री बदन सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन..

(श्री ए0 सी0 ग्राइस के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बदन सिंह जी, माननीय ग्राइस बहुत कम बोलते हैं, उनको कुछ कहना है ।

श्री ए0 सी0 ग्राइस—

उपाध्यक्ष जी, अभी आपने सवालों के लिए बोला था, उसमें इतना और बता दें कि एक सवाल को कलैक्शन करने के लिए सरकार का कितना रुपया लग जाता है । हम यहां पूछने के लिए रहते हैं । सरकार का कितना नुकसान हो जाता है रुपये में, वह भी बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपके सुझाव से सहमत हूं । कितना रुपया लगता है उसके सही आंकड़े देने के लिए मुझे अपने दफ्तर से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अपार धन इसमें व्यय होता है जिसे इतनी आसानी से आंकड़ों में कहना बिना किसी कागजी जानकारी के मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है ।

(श्री बदन सिंह को पुनः पुकारे जाने पर)

श्री वासुदेव सिंह (खाद्य एवं रसद मंत्री)—

मान्यवर, आप ने....

श्री मोहन सिंह—

यह क्या शुरू हो गया....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय खाद्य मंत्री जी, मा0 बदन सिंह जी को बुला लिया है....

आगरा नगर के निकटवर्ती गांवों की फसलों को घोसी के पशुओं द्वारा नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बज कर 23 मिनट)

*श्री बदन सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगरा शहर के नौलखा, नई बस्ती, बालूगंज, आदि मोहल्लों की घोसियों की हजारों गायें शहर के अंचल में बसे उसरी, गुम्मद, नन्दपुरा, टुण्डपुरा, नगरा, जसराम, शिवलाजाट, कोटली, बगीची, कौलखा, रजरई, नौबरी, सेमरी का ताल व सराय गांवों के खेतों में दूध दुह लेने के बाद रात में छोड़ दी जाती हैं। यह छुट्टा गाय खेत खा-खा कर इतनी बलवती हो गयी हैं कि किसानों द्वारा हजारों रुपये खर्च कर के अपने खेतों में लगाई गई तारों की, बाड़ को भी फांद कर और खेत चर का पुनः दूध निकालने के वक्त अपने मालिकों के घर लौट आती हैं। यदाकदा कोई-कोई कमजोर गाय तारों में फंसी किसानों द्वारा पकड़ ली जाती है। तो शहर के घोसी पुलिस द्वारा परेशान करवाते हैं और शहर आने पर उन्हें बुरी तरह मारते पीटते हैं। आगरा प्रशासन भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित है पर उनके कष्ट निवारण में वह अक्षम रहा है। अपने पास खेत होते हुए भी इन गांवों का किसान आज शहर में मजदूरी कर के पेट भरता है। अभी हाल में इस वर्ष गेहूं, चना, मटर, अरहर की लगभग 4 हजार एकड़ फसल इन गायों द्वारा खाकर बर्बाद कर दी है। किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। अब वे इन गांवों को छोड़ने की सोच रहे हैं। यदि उसकी खेती की सुरक्षा की गारण्टी सरकार ने तत्काल नहीं की तो कहर की पेटी में बसे यह किसान बीसों गांवों को छोड़कर भाग जायेंगे।

अस्तु मेरी शासन से मांग है कि शहर के घोसियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर के उनको अपनी गायों को पड़ोसी गांवों की खेती में न छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाय और इन बीसों को उखड़ने से बचाया जाय।

बस्ती में नेशनल सीड कारपोरेशन द्वारा सोनालिका गेहूं का बीज प्राइवेट बीज विक्रेताओं के हाथ बेच देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शासन एवं माननीय सदन के संज्ञान में बस्ती जनपद में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा नेशनल सीड कारपोरेशन (एन0 एस0 सी0) के सोनालिका गेहूं के बीज को प्राइवेट बीज बिक्रेताओं के हाथ लगभग 125 रुपये प्रति कुन्तल अधिक लेकर बेच दिया गया है अब उसमें लगभग एक लाख रुपया लिया गया है।

घटना इस प्रकार है। वर्ष 1981-82 के बाढ़ से पीड़ित किसानों को रबी की फसल बोने के लिये सब्सीडाइज्ड दर पर यह गेहूं सीड स्टोरों के माध्यम से किसानों को 205 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से देने के लिये मेरे जनपद में लगभग 4 हजार कुन्टल का आवंटन था जो नवम्बर, 1981 में आना प्रारम्भ हुआ उसी समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में किसानों के बीज का जमाव नहीं हुआ इसलिये बीज की आवश्यकता किसानों में अधिक मात्रा बढ़ गयी। तब गोरखपुर बिहार के प्राइवेट विक्रेताओं ने उप कृषि निदेशक, गोरखपुर से सांठ-गांठ करके सीड स्टोरों से परियोजना अधिकारी कृषि, बस्ती तथा अतिरिक्त जिला कृषि अधिकार, बस्ती को 325 रुपये प्रति कुंटल देकर के लगभग 18 सौ कुंटल सोनालिका गेहूं का बीज सीड स्टोरों से सहायक कृषि निरीक्षकों को 205 रुपये की दर से प्राइवेट विक्रेताओं से भुगतान कराके ट्रकों के माध्यम से बस्ती से बाहर भेज दिया गया जब कि यह कार्य 15 दिसम्बर से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--]

15 जनवरी के बीच किया गया है जिला कृषि अधिकारी, बलिया एवं जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के प्रतिनिधि कृषि निदेशक के आदेश से बीज लेने के लिये एक सप्ताह तक परियोजना अधिकारी, कृषि, बस्ती के कार्यालय के चक्कर लगाते रहे किन्तु उनको बीज नहीं दिया गया और यह कहकर वापस किया गया कि हमारे जनपद में सरप्लस बीज नहीं है। सत्यता यह है कि जब जिला कृषि अधिकारी, बलिया एवं देवरिया के प्रतिनिधि बीज लेने के लिये आये उस समय जिले में लगभग दो हजार कुंटल से अधिक बीज सरप्लस था।

मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से मैं मांग करता हूं कि इस गेहूं स्केन्डिल की जांच सतर्कता विभाग के माध्यम से कराया जाय। मेरी यह भी जानकारी है कि यह काम पूरे गोरखपुर मन्डल के प्रत्येक जिले में उप कृषि निदेशक, गोरखपुर के सांठगांठ से किया गया है। जांच के समय बस्ती जनपद के गेहूं कांड की सारी विस्तृत जानकारी ट्रकों का नम्बर आदि सारी बातें जांच अधिकारी को अवगत कराऊंगा जिससे सारा तथ्य प्रकाश में आ जायेगा।

यह शासन से अनुरोध है कि जांच से पूर्व बस्ती के सम्बन्धित अधिकारियों एवं इस कांड के संरक्षक उप कृषि निदेशक, गोरखपुर को अविलम्ब स्थानान्तरित कर दिया जाय।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में पिछले एक वर्ष से मेडिकल स्नातकोत्तर भत्ता न दिये जाने से उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, प्रदेश के कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ आदि मेडिकल कालेजों में अधिकांश छात्रों को स्नातकोत्तर भत्ता पिछले एक वर्ष से नहीं दिया जा रहा है परन्तु दुर्भाग्यवश गोरखपुर, मेडिकल कालेज के सभी स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को यह भत्ता अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे इन छात्रों की आर्थिक दशा शोचनीय एवं गम्भीर हो गई है, जिससे बढ़ते निराशा के फलस्वरूप कभी भी हड़ताल एवं तालाबन्दी सम्भव है और स्वास्थ्य जन जीवन अवश्यम्भावी है। इन छात्रों का स्नातकोत्तर भत्ता 450 रुपया प्रति माह दिये जाने का प्राविधान है जब कि इन्टर्नशिप करने के पश्चात् स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु हाउस जाब में एक वर्ष के लिये 750 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। अधिक डिग्री प्राप्त होने पर घटाये गये अनौचित्यपूर्ण निर्धारित धन 450 रुपये प्रतिमाह दिये जाने के नियम के अनुसार भी सरकारी दीवालियापन के कारण घटाया गया भत्ता भी उपलब्ध न किये जाने से बढ़ते असन्तोष के प्रवेग में आन्दोलन एवं हड़ताल की जबरदस्त सम्भावना है। बढ़ती महंगाई के कारण सैकड़ों छात्र एवं उनके अभिभावक कर्जदार बन गये हैं। एक पत्र दिनांक 29-1-82 भी शासन को प्रेषित है।

अस्तु, मैं माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान इस लोक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जन-जीवन खतरे की ओर दिलाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से वक्तव्य की मांग करते हुये मेडिकल स्नातकोत्तर छात्रों को भत्ता दिलाने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद फैजाबाद के बुनकरों को विद्युत विभाग द्वारा बकाये के बिल भेजने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा—

महोदय, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सरकार एवं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद में स्थित टांडा, मुबारकपुर, इल्तिफातगंज, भूलेपुर, हंसवर, मुड़ेरा, शहजादपुर, जलालपुर आदि कस्बों में करीब 15,000 पावर लूम मौजूदा समय में चल रहे हैं जिसमें पूरे जनपद में लाखों बुनकर अपनी रोटी-रोजी चला रहे हैं। पावरलूम बुनकरों के समक्ष विद्युत् वितरण खंड, अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा सन् 1982 में एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी गयी है। जब कि 8-10 माह तक बुनकरों को विद्युत् बिल प्रतिमाह न देकर एकमुश्त में 6, 7 हजार रुपये का बिल बनाकर एकबारगी जबरियन वसूली हेतु बुनकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दी गयी है जिससे पूरे बुनकरों पर एक बहुत बड़ा बोझ डालकर बुनकरों को हैरत में डाल दिया गया है जिससे बुनकरों में एक गहरा आक्रोश एवं असन्तोष व्याप्त है। बुनकरों की मांग को भी विद्युत् विभाग ने ठुकरा दिया है कि सस्ते किश्त पर वसूली की जाय। इधर करीब एक माह से पुलिस फोर्स द्वारा बुनकरों के हजारों कनेक्शन काट दिये गये हैं जिससे बुनकरों को अपने परिवार की रोजी-रोटी चला पाने में अत्यन्त ही कठिनाई की अनुभूति होती है। यही नहीं बल्कि वे अपने घरों की रोटी-रोजी चलाने के लिए दिल्ली एवं बाम्बे आदि शहरों की तरफ तेजी से भाग रहे हैं।

उपरोक्त कठिनाइयों एवं विभाग द्वारा किये जा रहे मनमानी भ्रष्टाचार जैसे प्रतिमाह विद्युत् बिल न दिया जाना, फर्जी बिल बनाकर जबरियन वसूली किया जाना तथा विभाग द्वारा भांति-भांति के उत्पीड़न किये जाने की शिकायत बुनकर यूनियन, टांडा द्वारा की जा चुकी हैं। परन्तु विभाग द्वारा अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त कस्बों में पावरलूम बुनकरों को विद्युत् बिल निश्चित समय पर दिलाये जाय एवं संपूर्ण बकाये की धनराशि बीस किस्तों में किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित करे जिससे बुनकरों में व्याप्त असंतोष एंव आक्रोश का सही समय पर निवारण हो सके।

महाबीर शुगर मिल्स लि0, सिसवा बाजार, गोरखपुर द्वारा कर्मचारियों के वेतन व कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिल सिसवा बाजार, जनपद गोरखपुर द्वारा चीनी मिल मजदूरों का वेतन एवं गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य लगभग 40 लाख रुपये भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना देता हूं। मान्यवर, महाबीर शुगर मिल्स लि0, सिसवा बाजार, जनपद गोरखपुर के मिल मजदूरों का वेतन लगभग तीन माह का बकाया है और जब से इस सत्र का मीजन शुरू हुआ, वेतन नहीं दिया गया। गन्ना कृषकों के गन्ने का मूल्य भी उक्त मिल ने एक पैसा भी नहीं दिया है। उक्त जोन के कृषकों की प्रमुख खेती गन्ना ही है और गन्ना मूल्य न मिलने के कारण कृषकों के समक्ष भयंकर कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। बैल, खाद एवं आवश्यक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केदार नाथ सिंह—]

वस्तुयें खरीदने के लिये कृषकों के पास पैसे नहीं हैं। कृषकों एवं मिल मजदूरों में गहरा क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त हो गया है। दूसरी तरफ कृषि विकास में भी बाधा उत्पन्न हो गयी है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार इस विषय पर तत्काल ध्यान दे।

एक सदस्य—

यह लघु एवं सीमांत कृषक हैं,

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आपको मेरी लघुता में कोई शुबहा रह गया है।

(व्यवधान)

इसका अन्दाजा भंडारी जी को ज्यादा है कि पानी कहां जा रहा है।

[समय 12 बजकर 34 मिनट]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 में चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और चारों एक ही तरह की हैं। सूचना देने वाले सदस्य माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री, माननीय मोहन सिंह, माननीय कुबेर भंडारी, माननीय राम गोविन्द चौधरी, माननीय रियासत हुसैन, माननीय गौरी शंकर भैय्या, माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय राम हर्ष राय, माननीय मुख्तार अनीस, माननीय अकबाल हुसैन, माननीय केदारनाथ सिंह, माननीय लल्लू सिंह हैं। उसका विषय है—मंत्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा अनुचित दबाव तथा प्रताड़ना के बल पर प्रशासनिक अधिकारियों से अनुचित काम कराने के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में मैं मुनासिब समझता हूं कि सूचना से सम्बन्धित जो लोग हैं, उनमें से प्रत्येक सम्बन्धित समूह के एक-एक आदमी को सुनूं, ताकि उसकी ग्राह्यता के बारे मे में अपना दिमाग बना सकूं।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री बच्चा पाठक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया से अनुचित दबाव डाल कर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने जो कार्य-स्थगन दिया है, उसमें यह चीज, यह विषय उठाने का प्रयास किया है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर जोर, जबर-दस्ती और दबाव डाल कर विधि-विरुद्ध और अनुचित कार्य कराये जा रहे हैं। और उसका एक उदाहरण भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री, श्री बच्चा पाठक ने दिनांक 20-2-82 को अपने जिले के कार्यकारी

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहकारिता राज्य मन्त्री, श्री बच्चा पाठक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया से अनुचित दबाव डालकर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

जिला विद्यालय निरीक्षक को पेड़ पर लटकवा कर गोली मारने की धमकी दी और उससे विद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र में अपने पक्ष में अपना मन चाहा निर्णय उन्होंने कराया। इस सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य भी पेश करना चाहता हूं, जिसको मैंने आपके पास भेज दिया है।

बलिया के इस समय जो कार्यकारी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, उन्होंने शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखा है, जिसकी फोटो स्टेट कापी आपको मान्यवर, भेज दी है, उस निरीक्षक का कहना यह है कि वहां पर एक महत्वार इन्टर कालेज है। इसके प्रबन्ध तन्त्र से सम्बन्धित एक मुकदमा मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन था। उसमें 18-2-82 को एक निर्णय हुआ, जिसके अनुसार विगत चुनावों को निरस्त करके उसकी वैधानिकता पर निर्णय लेने का काम मेरे जिम्मे छोड़ा गया था। श्री बच्चा पाठक जो उस जिले के हैं और उस मामले में एक पक्ष हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये वायरलेस भेजकर सभी थानों को सतर्क कर दिया कि वह जहां भी हो उनको ढूंढा जाये। चूंकि वह एक विद्यालय के विवाद में दौरे पर गये थे। वह 19 तारीख की रात्रि में अकस्मात आ जाते हैं और उसके बाद जो पत्र कपिलदेव सिंह जी ने शिक्षा निदेशक को लिखा है, उससे मैं कुछ पंक्तियां यहां पर पढ़ना चाहता हूं। यह पंक्तियां बहुत आवश्यक हैं और उनको बिना उद्धृत किये हुए मेरी बात पूरी नहीं होगी। "मैं 18 और 19 को मान्यता प्रकरणों की जांच एवं स्कूलों के निरीक्षण के प्रसंग में स्वभाविक रूप से दौरे पर था। किन्तु 18 को निर्णय होने के बाद तुरन्त मेरी खोज 19 को प्रारम्भ हो गयी। मन्त्री जी को यह आशंका हो गयी कि मैं जानबूझ कर बाहर हूं, जबकि मुकदमें की कोई जानकारी मुझे नहीं थी और शायद जि0 वि0 नि0 इनमें कोई पक्ष में भी नहीं थे। मैं 19 की रात्रि में 12 बजे बाहर आया, क्योंकि रसड़ा में इन्टर कालेज के अध्यापकों का अनशन चल रहा था अनशन समाप्त कराने में विलम्ब हो गया। 20 की सुबह मन्त्री जी मुझ पर इतने कुपित थे कि उन्होंने कहा कि यदि आज बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं आये तो उन्होंने पेड़ से टंगवा कर गोली मरवा दूंगा। उनके ऐसे रोष के सामने मैं कैसे कह सकता था कि मुझे पत्रावली देखने या पक्ष सुनने का अवसर दिया जाये। उस जिला विद्यालय निरीक्षक पर इस तरह से साफ दबाव डाला गया, उसके बाद दूसरा पक्ष वहां पहुंचता है और अपना केस रखता है। उसने यह स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा धौंस देकर इस तरह से गलत निर्णय कराया गया है। इससे जिला विद्यालय निरीक्षक कहता है कि मुझे यहां से हटा दिया जाये, क्योंकि मैंने जो शपथ ली है न्याय और जनहित के प्रति प्रतिबद्ध रहकर कर्तव्य पालन करने की, उसमें बाधा पड़ गयी है और वह तद्नुसार निर्णय लेने में असमर्थ हो गया है।

यह एक घटना है। मान्यवर, यह पत्र उन्होंने शिक्षा निदेशक को भेजा है। आज सम्पूर्ण प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और कर्मचारी भयक्रांत आतंकित हैं कि मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य, जानबूझकर विधि के खिलाफ अपनी सत्ता का प्रयोग कर उनसे कार्य करवा रहे हैं। संसदीय लोक तन्त्र में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वे विधि और नियमों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन प्रजातन्त्र में एक निष्पक्ष ब्यूरोक्रेसी के लिये इससे एक संकट पैदा हो गया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर विचार करके चर्चा करा दें।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य अपने से सम्बद्ध एक मामले में जिसका न्यायालय में 18 फरवरी को फैसला हो चुका है कि दोनों समितियों में कौन वैध समिति है । इसका निर्णय जिला विद्यालय निरीक्षक ने ले लिया । इस समय वहां पर कोई विद्यालय निरीक्षक नहीं है बेसिक शिक्षा अधिकारी ही जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं । इस मामले में 18-2-82 को निर्णय भी हो चुका है । मंत्रि परिषद् के एक सदस्य द्वारा सभी अधिकारियों के बीच में उसे धमकी देकर कहा गया कि यदि तुमने मेरे हस्ताक्षरों को प्रमाणित नहीं किया और उक्त समिति की प्रतिबद्धता स्वीकार न की तो पेड़ में बंधवा कर मरवा दिया जायेगा । मंत्रिपरिषद् के अधीनस्थ अधिकारी हैं । एक दिन माननीय विधायक से सम्बन्धित मामले में आपने यह टिप्पणी की थी कि हमें अपने आचरण से वह साबित करना चाहिए कि हम माननीय विधायक हैं । अब माननीय मंत्री ही नियमों और कानून को ताक पर रख कर जोर जबरदस्ती बंदूक की और गोली की नोक पर काम कराना चाहते हैं, तो प्रदेश के रुल आफ दि ला का क्या होगा उनके खिलाफ कार्य करना कठिन हो जायेगा ।

अब अधिकारी इस बात पर मजबूर होगा कि वह नियमों और कानून का उल्लंघन करके जो माननीय मंत्री जी ने मौखिक रूप से कहा, उसको मानना ही पड़ेगा । इसलिए प्रार्थना है कि यदि आप इस पर चर्चा नहीं करते हैं तो हम मंत्री के कदाचार पर टीका करने से वंचित रह जायेंगे और जिस नौकरशाही से हम निष्पक्षता की आशा करते हैं, वह एक पक्ष विशेष की हो जायेगी । इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने पीड़ा भरा पत्र लिखा है निदेशक को, उसकी एक प्रति मेरे पास है, जिसको पढ़ना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं । जब आप मूल प्रश्न पर चर्चा का समय देंगे तो यह पत्र आपको दिखलाऊंगा । यह एक मंत्री के आचरण के संबन्ध में है । यह अलग से अविश्वास का भी प्रस्ताव बन सकता है लेकिन अलग अलग से चर्चा नहीं कराते हैं, तो हम अविश्वास की शक्ल में एक मंत्री के आचरण रूप में इसको उठा सकेंगे । इसलिए आप इस पर चर्चा करने की इजाजत दे दें ?

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर संविधान के अन्दर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के हर मंत्री की एक ओथ दिलायी जाती है और उसमें सीक्रेसी मेनटेन करने और जनहित में काम करने की हर चीज का आभास कराया जाता है । जो विषय इस समय आपके सामने है उसमें स्पष्ट रूप से दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो यह है कि जो मंत्री जी ने ओथ ली है, और जो मंत्री जी के आचरण वहां पर हो रहा है एक कालेज के मैनेजमेन्ट के विवाद को लेकर जिसमें दो फरीक हैं । एक फरीक बच्चा पाठक जी हैं । माननीय बच्चा पाठक एक मंत्री ही नहीं हैं, वे एक स्कूल के मैनेजर भी हैं और वहां डिसप्यूट चल रहा था । उसके निर्णय के लिए एक तारीख भी निश्चित थी । डी0 आई0 ओ0 एस0 को सूचित भी कर दिया गया था । पर उस डिसप्यूट के निपटारे के लिए यह सब किया गया जो आपके सामने अभी रखा गया । सारी चीज आपके सामने आ गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में उस पत्र की आखिरी लाइनें पढ़ना चाहता हूं उसमें उसने लिखा है कि मुझे इस जिले में रखना अब मेरे और विभाग के हित में नहीं है। मैंने 2-3 महीने काफी संघर्ष में गुजारे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक का काम तो मैं अब किसी प्रकार कर ही नहीं सकता हूं। कृपया वर्तमान परिस्थितियों में मेरे सम्मान एवं जीवन की रक्षा की जानी चाहिए।

यह मान्यवर, बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी जो डी0 आई0 ओ0 एस0 भी हैं, उन्होंने बड़े दुखी होकर लिखा है कि उनके सम्मान और जीवन की रक्षा की जाये क्योंकि वह खतरे में है। यह केवल इसलिए कि जो उस स्कूल के मैनेजर हैं वे इस मंत्रि परिषद के भी सदस्य हैं, एक मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने अपनी शक्ति का किस हद तक दुरुपयोग किया है, यह आपके सामने आ चुका है। सारे इम्तहान करीब आ चुके हैं। और जिलों में भी जहां जहां के माननीय सदस्य मंत्री होंगे, वहां भी इसी तरह का भय व्याप्त होगा। जिला विद्यालय निरीक्षकों में कि कहीं उनके साथ भी वैसा व्यवहार न हो। कहीं उनका भी अपमान न किया जाये, यह भय आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों में व्याप्त हो गया है, अपमान के साथ साथ जान-माल का भी खतरा हो गया है, इस पर कोई रोक लगाना चाहिए, इसीलिए इसकी अर्जेन्सी है और चूंकि इम्तिहान सामने आ रहे हैं, इसके महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पर आप चर्चा का अवसर दे दें।

(श्री केदार नाथ सिंह का नाम पुकारे जाने तथा विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस विषय पर 4 सूचनायें मुझे प्राप्त हुई। एक तो सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा राजेन्द्र अग्निहोत्री की है जिसमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को मैंने बुलाया। दूसरी सर्वश्री मोहन सिंह तथा कुबेर भंडारी की थी, उसमें से एक को माननीय मोहन सिंह को, मैंने अवसर दिया। एक सर्वश्री रामगोविन्द चौधरी, रियासत हुसैन, गौरी शंकर भैया, राम आसरे वर्मा तथा राम हर्षराय की थी जिसमें से मैंने श्री रियासत हुसैन को बुलाया। चौथी सूचना सर्वश्री मुख्तार अनीस, अकबाल हुसेन, केदारनाथ सिंह और लल्लूसिंह जी की हैं, इसमें से माननीय मुख्तार अनीस और माननीय अकबाल हुसैन को मैंने पुकारा वे नहीं हैं, इसके बाद मैंने माननीय केदारनाथ सिंह को बुलाया है।

*श्री केदारनाथ सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय मोहन सिंह जी तथा माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो कुछ कहा, मुझे भी एक खास बात इस विषय में बतलाना है। यह कार्य अगर माननीय मंत्री जी ने जनहित में किया होता तो क्षम्य होता, लेकिन उन्होंने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जोर-जबरन ऐसा किया है, इसलिए इस पर चर्चा होना चाहिए...

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष --

क्या जनहित में अगर जोर जबरदस्ती कोई काम किया जाता है तो वह ठीक है ?

(हंसी)

श्री केदारनाथ सिंह--

मान्यवर, वह दूसरी बात होती, मगर यह निजी स्वार्थ वश ऐसा किया गया है जिसे नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । अपने को प्रबन्धक के पद पर वैध घोषित कराने के लिए ऐसा उन्होंने अपने निजी स्वार्थ में किया है और अगर इस पर चर्चा नहीं करायेंगे, तो ऐसे काम और भी माननीय मंत्रियों के द्वारा किये जाते रहेंगे । उनका मनोबल और भी बढ़ेगा और इससे रुकावट आयेगी नहीं । इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा कराना अत्यन्त आवश्यक है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री के पुकारे जाने पर कई सदस्य खड़े हो गये)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक नया तथ्य मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री गौरी शंकर भैया--

एक सूचना मान्यवर, मैं देना चाहता हूं । बच्चा पाठक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो बातचीत हुई थी, वह टेप रिकार्डर में मौजूद है । अगर आप कहें. तो वह टेप रिकार्डर यहां सुना दिया जाय या जहां कहें वहां सुना दिया जाय ।

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

उपाध्यक्ष जी, जो सूचनायें आपको नियम 56 में मिलीं और उसके बाद आपके द्वारा शासन को भेजी गयी, उसे देखकर जो भी विषय की गम्भीरता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता । यह जो कुछ इसके अन्दर लिखा हुआ है, प्राइमाफेसी देखकर ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा विषय है कि जो इसे पढ़ेगा, उससे प्रभावित होगा और उसकी गम्भीरता को समझेगा । उपाध्यक्ष जी, जहां तक इसमें जो चार्जेज लगाया है जिनके विरुद्ध लगाये गये हैं, वह जहां मंत्री हैं, वहां वह इस सम्मानित सदन के सदस्य भी हैं और मैं समझता हूं कि जो नियमावली है, उसके नियम 289 (क) के अन्दर साफ-साफ यह प्राविधान किया गया है, जो अभी अमेन्डमेन्ट हुआ है कि अगर कोई इस तरह की प्रक्रिया हो, जहां सदन के किसी सदस्य के खिलाफ ऐसा चार्ज लगाया जाय, वहां उसे भी इसकी कापी भेजी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष --

एक चीज आप ध्यान रखें कि यह चार्ज नहीं है । यह नियम 56 में आया है । यह काम रोको प्रस्ताव है । वह चार्ज नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह भी जानते हुए कि यह नियम 56 में है इसी वजह से मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया। काम रोको प्रस्ताव का वैसे ही महत्व है। लेकिन इसे काम रोको प्रस्ताव में देना मैं समझता हूं उचित नहीं है। जहां तक एडजर्नमेंट मोशन का सवाल है, उसका मुख्य कारण जो है वह यह है कि सरकार की किसी नीति के खिलाफ कोई चार्ज किया जाय या उसको वह किया जाय, मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जरा थोड़ा सा सुनें, जब वे बोल रहे थे, तब हम लोगों ने उनकी बात सुनी। किसी भी सरकार की कोई नीति जो है, वह चार्ज का विषय नहीं बन सकता। आपका ध्यान काल-शकधर की पुस्तक के पेज 414 की तरफ आकर्षित करूंगा, जिसमें कहा है--

"दि प्राइमरी अब्जेक्ट आफ एन एडर्जनमेन्ट मोशन इज टू ड्रा दि एटेन्शन आफ दि गवर्नमेन्ट टू ए मैटर आफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस सो एज टू क्रिटीसाइज दि डिसीजन आफ गवर्नमेन्ट इज एन अर्जेन्ट। टर इन रिकार्ड टू विच ए मोशन ओर रिजोल्यूशन विद प्रोपर नोटिस विल बी टू लेट"

ऐडजर्नमेन्ट मोशन जो है उसका उद्देश्य जो है वह ऐसी चीज की तरफ आकर्षित करता है जिसका उद्देश्य सरकार की किसी नीति को क्रिटिसाइज करना हो, वह है। यहां पर जो तथ्य सामने आये हैं, मैंने तथ्य की जानकारी जाननी चाही, बहुत सी कंफिलिक्ट चीजें सामने आई हुई हैं, पहले कुछ दस्तखत की गयीं, अदालत का फैसला कुछ था, उसके बाद किसी के फेवर में दस्तखत की गई, उसके बाद फिर दूसरे के पक्ष में की गयी, फिर तीसरे के पक्ष में की गयी। इसी तरह की रिपोर्ट जो हैं वह मेरे सामने आई। डायरेक्टर को आदेश दे दिये हैं कि किसी अधिकारी को भेज कर या जो वहां के डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको भेज कर उसकी पूरी छानबीन करा कर यहां मंगाया जाय, जो आपके समक्ष भी रखे जा सकेंगे। माननीय राज्य मन्त्री के सम्बन्ध में बात कही गयी। दुर्भाग्य-वश आज यहां पर वह मौजूद नहीं है। दो चीज हैं एक तो यह कि तथ्य की जांच हमारे सामने जो आई वह कंफिलेक्टिंग है और जो सम्बन्धित व्यक्ति है वह सदन का मेम्बर है वह उपस्थित नहीं है। यह नीति विषयक बात नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में है। यह राज्य मन्त्री की हैसियत से नहीं इसको मैनेजमेंट के मैनेजर की हैसियत से या मेम्बर की हैसियत से मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो मानेंगे कि पद का दुरुपयोग है।

श्री अम्मार रिजवी--

आप तो निर्णय के स्वयं प्रतीक हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने केवल इसलिए इंगित किया कि और साफ कर दें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आपको हमेशा हम लोगों से साफ की उम्मीद रहती है। इसलिए यह कहना कि पद का दुरुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है कोई अविलम्ब निर्णय

[श्री अम्मार रिजवी--]

करना सफाई का मौका दिये बिना तथ्यों की छानबीन किये बगैर एक्स पार्टी फैसला करना इक्यूटी और न्याय के हित में नहीं होगा। मान्यवर, विषय गम्भीर है इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। विषय की गम्भीरता अलग है तथ्यों की छानबीन अलग है। एक इनडिवीजुअल से सम्बन्धित है। इसकी छानबीन करानी है। मान्यवर, सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं स्पष्टीकरण दे सकता है या जो आदेश आप दे, कर सकता है। इन चीजों को देखते हुये मेरा अनुरोध है कि कार्य स्थगन में जो प्रस्ताव आया है मैं समझता हूं कि यह कार्यस्थगन का प्रश्न नहीं बनता और इन सारी चीजों को मान्यवर, देखने का कष्ट करें। कार्यस्थगन में यह चीज नहीं आती है। एक इंडिवीजुअल का मामला लेकर इसकी चर्चा काम रोको में नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

कुछ अन्य तथ्य है आप उसको सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी, आप विरोजें। आप का नाम नहीं था।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा नाम है।

श्री गौरी शंकर मैथ्या--

मान्यवर, बेसिक शिक्षा अधिकारी और बच्चा पाठक जी की वार्ता का टेपरिकार्डर लाया हूं। आप इजाजत दे दें तो यहां सुना दूं नहीं तो कमरे में सुना दूं। टेपरिकार्डर में उनकी आवाज आई है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विरोजें।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द--

मेरे जिले का मामला है, मुझे सुन लें।

श्री राम आसरे वर्मा--

गम्भीरता के बारे में मंत्री जी ने बतलाया आप मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका नाम समूह के अन्तर्गत आया है उसमे एक आदमी को सुन लिया इसलिए आपको नहीं सुनूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे खड़े होने पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह खुली ज्यादती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका नाम ग्रुप में था ।

श्री राम आसरे वर्मा-- [× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं । आप का बोला हुआ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मैं खड़ा हूं तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप आज्ञा दे दें तो बोलूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विरोजें । जिद करने से इजाजत नहीं मिलेगी । जब दल के नेता बोल चुके तो आपके बोलने का सवाल नहीं है । मैंने आप सब की भावना को सुना ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा व्यवस्था का सवाल है । मेरा कोई नेता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्यवस्था का प्रश्न गलत समय पर उठा रहे हैं । इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, सुन लें ।

नोट--[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी, आप बैठें। इस तरह से जिद करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप बैठेंगे नहीं तो मुझे अपना निर्णय रिजर्व करना पड़ेगा। मैंने हर समूह के एक-एक सदस्य को ग्राह्यता के ऊपर सुना। समूह में जब नाम सामूहिक रूप से आता है तो एक-एक आदमी को सुनकर सदन का काम निस्तारित होता है। काम को गति देने के लिए एक-एक व्यक्ति को उसकी ग्राह्यता और गम्भीरता पर सुना और फिर उस पर गम्भीरता से सोचा। सुनने के बाद तीन बातें दिमाग में आती हैं। मोहन सिंह ने ग्राह्यता पर कहते हुये यह कहा कि विषय गम्भीर है, पद का दुरुपयोग है और यह भी कहा कि हम इसको अविश्वास के प्रस्ताव की शकल में ला सकते थे, लेकिन अगर हमें चर्चा का समय दिया जाय तो यह बात सामने आ सकती है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने ग्राह्यता के विषय में अपनी बात कही और यह कहा कि यह एक व्यक्ति के चरित्र का सवाल है, लेकिन संयोग से वह व्यक्ति मंत्रि परिषद् का एक सदस्य है।

श्री मोहन सिंह--

संयोग से।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा काम सूत्र बोलना है भाष्य आप करेंगे। अब प्रश्न यह आता है कि बात गम्भीर है अपनी जगह पर इसको इन्कार नहीं किया जा सकता है। अगर मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य द्वारा उनके पद के दुरुपयोग की बात सामने आवे तो उसे नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह काम रोको का विषय बनता है? उसका उत्तर स्वयं मोहन सिंह ने दिया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नियम 58 (7) को देख लें। हम एक मन्त्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकते।

श्री उपाध्यक्ष--

मोहन सिंह ने कहा। अब सवाल यह है कि इसका निस्तारण कैसे हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कैसे रोकी जाये। शासन में जो लोग हैं उनसे हमको प्रोटेक्शन कैसे मिले यह बात विचार करना होगा। निश्चित रूप से मा० मोहन सिंह का दिमाग इसमें साफ है कि यह चर्चा का विषय है। यदि उनको इस पर बात करने का अवसर मिले तो इस पर रोक लगाई जा सकती है और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

सामान्य प्रशासन का बजट आने वाला है 17-18 तारीख को।

(व्यवधान)

जब तक बात पूरी न हो तब तक आप लोग न बोलें। इन तमाम विषयों को देखते हुये और शासन की बात को सुनते हुये मेरे दिमाग में जरा भी संशय नहीं रह गया है कि पद का दुरुपयोग हुआ है। इसलिये शासन से मैं अपेक्षा करूंगा कि वह और तथ्यों की जानकारी करके और माननीय मुख्य मंत्री जो इस पूरे शासक दल के नेता हैं वह इस पर अपना वक्तव्य दें ताकि हमारे सदस्यों के मन में और उनके माध्यम से प्रदेश की जनता के मन में जो एक आशंका की भावना उत्पन्न हो रही है वह दूर हो और वह तभी हो सकेगी जब पूरे तथ्यों की जानकारी

सामने आ जाय। आप सब ने तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन एक पक्ष का तथ्य सामने नहीं आया। इसको देखते हुये मैं ऐसा सोचता हूं कि इस पर काम रोको प्रस्ताव के बजाय मुख्य मंत्री द्वारा इस पर वक्तव्य आना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर वक्तव्य कब आ रहा है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, 7 तारीख को जजमेंट होने वाला है, 5 तारीख हो गयी है, आपने इसकी गंभीरता देख लिया। आपने निर्णय दिया कि चीफ मिनिस्टर की नोटिस में आकर इस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य आयेगा लेकिन इसमें केवल यह जोड़ दें 7 तारीख को निर्णय के लिये रखा है उसमें दोनों पक्षों को सुनें। चूंकि घटना बीच में हो गयी, इसलिये एक तो उसका निर्णय रोका जाय। दूसरी चीज जल्दी से जल्दी चूंकि परीक्षायें जल्दी होने वाली हैं, इसलिये एक-दो दिनों में ही इस पर अंतिम कार्यवाही मुख्य मंत्री ने क्या किया है वह सदन के सामने आना चाहिये।

श्री मित्र सेन--

कल के बाद होली की छुट्टी हो रही है और फिर 12 को सदन बैठेगा। इसलिये वक्तव्य कल इस पर दिलवा दें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं प्रार्थना करना चाहता था कि जो आपने व्यवस्था दिया या या देंगे वह शिरोधार्य है लेकिन ऐसे विषय की गंभीरता को सरकार आगे कैसे रोकेगी चूंकि मंत्रि परिषद् के एक मंत्री से संबंधित नीतिगत मामला शासन का हो गया है। इस पर वक्तव्य हो जायेगा लेकिन प्रार्थना करना है कि वक्तव्य जल्दी से जल्दी हो। इसके लिये प्रार्थना है कि कल आदरणीय सदन उठ जायेगा, इसलिये कल सायं 4 बजे तक वक्तव्य आ जाय। मान्यवर, दूसरी प्रार्थना करनी है कि केवल वक्तव्य होगा नियम 56 में जैसा होता है और स्पष्टीकरण हम नहीं कर पायेंगे। इसलिये निवेदन है कि नियमों का निलम्बन कर दें और जो वक्तव्य आये उस पर चर्चा हो जाय चूंकि अग्रेतर बहुत से तथ्य हमारे पास हैं। माननीय सदन के एक मंत्री की वार्ता का टेप रिकार्ड है। टेप रेकार्ड को यहां सुनने की आप अनुमति देंगे या नहीं, यह बात आप पर निर्भर है। लेकिन हमारे पास बहुत से तथ्य हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिस समय मुख्य मंत्री का वक्तव्य हो तो उसके बाद चर्चा हो जाय क्योंकि हमारे पास और उस जिले से संबंधित जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं वह भी इस संबंध में कहना चाहेंगे तो मान्यवर, तथ्य आ जायं और उसके बाद कार्यवाही हो। इसलिये आप वक्तव्य के बाद चर्चा करने का अवसर दें।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं पत्र पूरा नहीं पढ़ पाया था आपने राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को मौका दे दिया था। मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ा इसलिये कि जब चर्चा का अवसर आयेगा तो हम उन तथ्यों को रखेंगे। मान्यवर, आपकी मंशा भी है कि ऐसी चीजों पर अंकुश लगाया जाय और जनता भी समझ सके कि सरकार के मंत्रिमंडल में किस प्रकार के किस स्वभाव के लोग बैठे हुए हैं। यह आपकी मंशा को पूरी

[श्री मोहन सिंह--]

नहीं करना चाहते हैं इसलिये वक्तव्य के बाद चर्चा भी हो जाय । सत्ता पक्ष के बहुत से विधायक खासतौर से भोला पाण्डेय इससे संबंधित बहुत से तथ्य सदन के सामने रखना चाहते हैं वह रख नहीं पाये हैं । इसलिये वक्तव्य के बाद चर्चा का अवसर हो जाय । यदि यह बात आप अपने निर्णय में कह देंगे तो बहुत अच्छा होगा ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी, बच्चा पाठक के बीच में बातचीत हुयी है और जो जिलाधिकारी ने अपनी बात कही है श्रीमन् टेप रिकार्ड में सारी आवाज टेप है । अगर आप इजाजत दें तो माइक में मैं जोड़े देता हूं नहीं तो आप अपने चेंमबर में सुन लें ।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गौरी शंकर भैय्या, आप बैठें, रिपीटीशन हो रहा है ।

श्री भोला पाण्डेय--

आप जनपद के विधायकों को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप चिन्ता न करें यह सभी आपके जनपद के ही लोग हैं ।

श्री भोला पाण्डेय--

सत्ता पक्ष के लोगों की बात सुन लीजिये जो उस जिले के हैं ।

एक सदस्य--

यह नेता सदन की कुर्सी से कैसे बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

हमारे सामने माननीय रियासत हुसैन, माननीय मोहन सिंह ने, जिन बातों को मैंने कहा था उनको दोहराया कि भविष्य में यह घटनायें न हों और उन पर रोक लगायी जा सके । साथ ही यह भी दोहराया कि यह बात सबके सामने आ जाय, बहुत सारी चीजें जो ग्राह्यता के नाम पर कह नहीं सके हैं उनको कहने का भी अवसर मिल सके । इन लोगों ने यह भी कहा कि अगर वक्तव्य होता है तो उसके बाद उनकी बात भी सुनने का अवसर दिया जाय । इसलिए वक्तव्य तो आना ही है । मैं जानना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र कब वक्तव्य दिला सकते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कल ठीक रहेगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आपने निर्देश दिया कि मुख्य मंत्री जी द्वारा वक्तव्य सदन के सामने आवे । मुख्य मंत्री जी कल दिल्ली गये हैं सरकारी काम से, कुछ वहां बैठकें हैं । 8 तारीख को शाम को वापस आयेंगे । तो होली के बाद 12 या 13 मार्च को यह वक्तव्य दिया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

12 तारीख को यह वक्तव्य आवेगा लेकिन वक्तव्य के साथ ही लोगों को स्पष्टीकरण का भी अवसर दिया जायगा ताकि आपके वक्तव्य के बाद, जो बातें इनकी प्रकाश में नहीं आ सकी हैं वह भी प्रकाश में आ सकें और आम लोगों के मन में जो कलुष आ गया है उसको दूर करने में सहायक हो सके । इस प्रकार, 12 तारीख को यह वक्तव्य आयेगा और स्पष्टीकरण का अवसर विरोध पक्ष को दिया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, 7 तारीख को डी0 आई0 ओ0 एस0 ने तारीख लगायी हुई है बलिया में निर्णय करने की, जब तक वक्तव्य न आ जाय तब तक निर्णय दिया जाना उचित न होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रियासत साहब, आप बुजुर्ग आदमी हैं, क्या न्यायालय की कार्यवाही पर भी.

श्री रियासत हुसैन—

यह न्यायालय में नहीं है, मान्यवर, डी0 आई0 ओ0 एस0 (डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स) के यहां है ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग एक-एक करके बोलें । क्या आपका आशय यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक इस पर 7 तारीख को निर्णय देने वाले हैं ?

श्री मोहन सिंह—

जी हां, मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि जब तक वक्तव्य न हो जाय, तब तक उसको टलवायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें ताकि 7 तारीख को डी0 आई0 ओ0 एस0 का होने वाला निर्णय कोई और जटिलता पैदा न करे ।

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 54—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग, अनुदान संख्या 56—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (सेवायोजन)

[समय 1 बजकर 16 मिनट]

श्रम एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,83,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 82,97,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,83,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,24,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 37, अनुदान संख्या 54, अनुदान संख्या 56 तथा अनुदान संख्या 57 इन चारों पर मैं एक साथ ही अपना मत व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहिले श्रीमन्, मैं इस सदन के सामने प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा की समस्या को लेकर उपस्थित हुआ हूं। श्रीमन्, आप भली प्रकार जानते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य भी जानते हैं कि इस देश का और प्रदेश का दैन्य उसी समय दूर हो पायेगा जब लोगों के हाथ, लोगों के गुण, लोगों का श्रम समन्वित होकर उत्पादन के रूप में अभिव्यक्त हो। सदियों से हम विचार करते आये हैं, पुरुषों की बात तो छोड़ ही दीजिए, देवताओं की जब कभी कल्पना की ईश्वर के बारे में भी जब कभी हम सोचते हैं तो हम गुण नहीं भूले हैं। सदियों से यह विवाद चला आ रहा है कि क्या ईश्वर निर्गुण है या सगुण है? कुछ भी हो निर्गुण मानने वाले लोग भी यह मानते हैं सगुण को मानने वालों की तरह से यह मानते हैं कि ईश्वर के गुण ने ही सृष्टि को जन्म दिया है, धरती की सर्जना की है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह गुण ईश्वर की सत्ता का प्रतीक है। गुण ईश्वर से बड़ा है। 'ब्रह्म राम ते नाम बड़ वर दायिक बरदानि' जब ईश्वर को सगुण रूप में अवतार लेना पड़ता है तो यह सत्य है कि मनुष्य को गुणों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा।

हमारा प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबले में इस दिशा में पिछड़ा हुआ है। निश्चय ही हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं रही। फिर भी जो भी स्थिति हो, उस स्थिति में आप देखेंगे कि आपके प्रदेश में 8 ऐसे संस्थान हैं, कालेजेज हैं जोकि डिग्री स्तर की शिक्षा देते हैं। तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा वहां दी जाती है। उनमें से प्रमुख और वर्षों से पुरानी रुड़की यूनीवर्सिटी है जिसका जन्म बीज रूप में वर्ष 1845 में हुआ था।

[इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री केशरी प्रसाद पीठासीन हुए।]

जब गंगा की नहर खुद रहीं थी। उसके साथ रुड़की यूनिवर्सिटी जन्मी और वह देश की एक ख्याति प्राप्त संस्था बन गई है। उसमें हम आज केवल 335 छात्र ही ले पाते हैं। इसके बाद इलाहाबाद की मोती लाल इंजीनियरिंग कालेज आया जिसने 200 विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। कुछ प्रयास दयाल बाग में, उस दयाल बागी सम्प्रदाय के लोगों ने किया उन्हें दयाल बाग में एक इंजीनियरिंग कालेज खड़ा किया जहां हम केवल 60 विद्यार्थी भेज पाते हैं। पंत नगर में भी पंत कालेज, इंजीनियरिंग और टैक्नालाजी स्थापित हुआ जिसमें 90 छात्रों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। गोरखपुर मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज में 140 छात्र पढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट का भी जन्म एक छोटे स्कूल के रूप में सन् 1914 में हुआ। फिर वह कुछ और बढ़ा। विगत कई वर्षों में वह भी डिग्री कालेज के रूप में कार्य कर रहा है और उसमें टेक्सटाइल प्रोद्योगिकी की शिक्षा 55 विद्यार्थियों को दी जाती है। एच0 बी0 टी0 आई0, 1921 में शिक्षा संस्थान बना। उसमें 55 लोगों को हम ले पाते हैं। कुछ प्रयास भाई केदार नाथ सिंह जी ने सुल्तानपुर में किया था। वहां कमला नेहरू संस्थान कायम हुआ।

(एक सदस्य द्वारा कुछ बोलने पर)

श्रीमन् अभी तो हाल हमारा कितना खराब है, पहले वह देख लें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी केवल 1135 व्यक्तियों के लिए ही हम सुविधा दे पा रहे हैं हायर टेक्निकल एजूकेशन की। यह बात जरूर है कि हमारा विचार टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट में कुछ सीटें बढ़ाने का है क्योंकि कुछ नये विषय आ गये हैं, मैंने मेड फाइबर भी उभर पर आ गया है। केवल रूई से अब कपड़ा नहीं बनता. टेक्सटाइल केमेस्ट्री भी आ गई है। श्रीमन लखनऊ में आज तक इंजीनियरिंग कालेज न हो, इसका अभाव खटकता है और इसलिये खटकता है कि आप को टेक्नालाजी एजूकेशन विभाग की रिपोर्ट मिली होगी, विशेषकर जब उसके अन्त में ही आप देखेंगे उससे आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले टेक्निकल स्कूल 1892 में कायम हुआ था।

हां, वह परिशिष्ट एक बात नहीं बताता है कि वह घटना कैसे घटी। जो घटना वह उसके जन्म की तिथि से भी अधिक जानने योग्य है, और वह यह है कि एक 22 वर्ष का नौजवान था जिसको जन्म देने का सौभाग्य हरदोई जिले के एक युगल दम्पत्ति को था जो पिहानी के थे। उन्होंने उस बालक को सीतापुर

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--]

जिले में जन्म दिया । मेरा तात्पर्य श्री गंगा प्रसाद वर्मा से है । सन् 1885 में जब वह 22 वर्ष का था और जब वैसे साधन नहीं थे जैसे आज हैं, वह बम्बई गया, वह उस कांग्रेस के जलसे में शामिल हुआ जिसने कांग्रेस को जन्म दिया उसने लाइब्रेरी खोली थी । वह लाइब्रेरी मौलिक रूप से पहले पुराने लखनऊ में चौक की तरफ चला करती थी । बाद में 1907 में दादा भाई नौरोजी ने उसकी नींव अमीनाबाद में रखी । उसी नींव पर 1923 में तेज बहादुर सप्रू ने वह नींव रखी जो गंगा प्रसाद वर्मा हाल के रूप में मुखरित हुई । मैं कहना चाहता हूं कि उस गंगा प्रसाद वर्मा के प्रयास से ही वह इन्स्टीट्यूट कायम हुआ । उस व्यक्ति ने यह काम किया यद्यपि वह स्वयं कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं था । लेकिन जहां पर उन दिनों 1905 में गोभी और सब्जी बोई जाती थी वहां पर उसने अपने हाथ से वाटिका बनाई । अमीनाबाद जो घंटाघर बना है और जो दो पार्क आप देखते हैं वह उसके ही बनाये हुए हैं । यह सब 1910 में हुआ जब लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था 1914 में वे इस सदन के सदस्य थे । ऐसा टांउन प्लेनर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अंग्रेज इन्जीनियरों में भी कोई नहीं था । कांग्रेस की शताब्दी आने वाली है इसलिए मैंने गंगा प्रसाद वर्मा की चर्चा की । आप 1880 की आर्मी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें उसमें तत्कालीन गवर्नर साहब के साक्ष्य हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको इस बात का ख्याल रखना है कि लखनऊ के अन्दर कोई उद्योग न लगाया जाय क्योंकि 1857 के गदर के कारण यह लोग स्वभाव से विद्रोही बन गये हैं । हम चाहते हैं कि उस अभाव की पूर्ति हो और आपकी हमको सहायता मिले । उसके लिये हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है । चूंकि यह क्षेत्र भी हमारे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसलिए अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चय ही उनका समर्थन भी हमको प्राप्त हो जायेगा । हम चाहते हैं कि आप इस हेतु हमारा समर्थन करें ।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट की बात बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रही थी । बहुत पहले भारत सरकार का उत्तर प्रदेश के लिये उसका आफर था । उस समय शिक्षा मंत्री डा० नूरुल हसन थे । लेकिन उत्तर प्रदेश में यही नहीं तय हो पाया कि हम उसे किस जगह पर बनायें और आपस के झगड़े का नतीजा यह हुआ कि वह अहमदाबाद में पहुंच गया । बात तो आज से 1 वर्ष पुरानी है लेकिन हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के इस अभाव की पूर्ति हो यदि अब तक न हुयी हो अब हो जाये । श्रीमन्, यह तो मैंने उन कालेजेज के बारे में कहा जिनमें हम उच्च तकनीकी शिक्षा को देते हैं । वैसे हमारे यहां डिप्लोमा स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाले 27 ऐसे इन्स्टीट्यूट हैं जो सरकार स्वयं चलती है और 18 ऐसे हैं जिनमें सरकार अनुदान देती है । 3 को हम विशिष्ट डिप्लोमा वाली संस्था मानते हैं । इस प्रकार से इन तीनों वर्गों को मिलाकर 48 ऐसी संस्थायें हो जाती हैं जिनमें हम 8570 छात्रों को ही प्रशिक्षित कर रहे हैं । यह कोई दशा अच्छी नहीं है । कुछ ऐसी नई घटनायें घटीं जिससे कुछ माध्यमिक स्कूल भी पैदा हो गए थे । वह भी चल रहे हैं । उनमें हमारे 660 विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं अब इस वर्ष वित्तीय संकट की जो स्थिति है वह आपसे छिपी नहीं है, न सदस्यों से छिपी है । इस वित्तीय अभाव व संकट के बाद भी गाजियाबाद, शाहजहांपुर, जगदीशपुर में पालीटेक्निक की स्थापना कर 90-90 विद्यार्थियों को लेने का निर्णय हो चुका है ।

एक सदस्य--

देवरिया के लिये क्या हुआ ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

देवरिया के लिये मैं आपको वचन देता हूं । इसके अलावा बांदा, उन्नाव और महिलाओं के लिये कानपुर में पोलीटेक्निक खोलने का प्राविधान है । आपका आशीर्वाद चाहिये । इसके साथ ही यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनमें प्रयास यह भी हुआ कि उनके ज्ञान को, उनके कौशल को देहातों तक ले जाया जाय । यह प्रयास कुछ कम्युनिटी टेक्निकल एजुकेशन की कल्पना करके किया गया । यह हमारा प्रयास इलाहाबाद, चन्दौली और लखनऊ में पालीटेक्नीकी की सहायता से ये हो रहे हैं । इनमें 25 हजार रुपये रिवाल्विंग फंड लगा है । उससे रेफ्रिजरेटर बनाने, फर्नीचर बनाने, स्टील आलमारी बनाने और कुछ रूरल टेक्नोलाजी सम्बन्धी काम करने का प्रयास किया गया है ताकि कम से कम जो ज्ञान उनको है, उसका लाभ नीचे तक पहुंच जाय । हम कुछ सुविधायें ऐसे लोगों को, ऐसे छात्रों को देने का प्रयास कर रहे हैं । जिनमें लगन है उनको स्कालर शिप देकर और अधिक प्रशंसित करने का प्रयास कर रहे हैं । उससे अच्छे नम्बर से पास छात्र देश के अन्दर और बाहर जाकर शिक्षा पा सकते हैं । इस स्थिति में मुझे यह कहना है कि इस बात के सिवा हमारे सामने कुछ और भी बातें हैं । वह यह कि हम कुछ सीटें भी बढ़ाना चाहते हैं । हम कुछ और पोलीटेक्निक खोलने का इरादा कर रहे हैं । उनमें से जैसा कि मैंने पहले कहा, देवरिया, बांदा और उन्नाव है । अब आप उस गति में सहायक बन जायं तो निश्चित ही हम लोगों के अन्दर वह प्रतिमा, वह पुरुषार्थ जागृत कर ले जायेगा जो नियोजित होकर प्रदेश को आग बढ़ा सकेगा । यह मैंने पहली मांग के सम्बन्ध में कहा ।

दूसरी मांग जो रखी है आपके सामने रखी है, वह पर्यावरण इनवायरमेंट इकोलाजी से सम्बन्धित हैं । इस सम्बन्ध में हम अब कुछ बातें बतलायेंगे । देखने में यह उतना मूर्त रूप, फल देने वाली बात न लगे, लेकिन विज्ञान के बीज बोने का कार्य आज कल के वैज्ञानिक युग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जब विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत वर्ष पीछे पड़ता जा रहा है और देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में प्रदेश पीछे हट रहा है तो इस क्षेत्र में आवश्यक होगा, हम कुछ करें । इस दिशा में इसीलिए, आप मानेंगे, कुछ करना आवश्यक है, क्यों ? क्योंकि आप या हमारे बीच कोई भी, मतभेद हो लेकिन उद्देश्य एक है । प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हम सभी लाना चाहते हैं । इस धरती की उर्वरता की क्षमता को देखते हुये, उसकी काया को देखते हुये और बढ़ती हुई आबादी की आंधी को देखते हुये, सिवाय इसके कि हम साइन्स और टेक्नोलोजी को टटोलें और देखें कि हमें परिस्थिति और पर्यावरण क्या दे सकते हैं और कोई चारा नहीं रह जाता है ।

माननीय रियासत भाई, इस प्रश्न पर. . . .

श्री रियासत हुसैन--

आप तो इतिहास बता रहे हैं कि सड़की कब बना. . . .

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जनाब, जनाब....

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय मंत्री जी, इस में प्रिन्टिंग की गलती हुई है। अनुदान की धनराशि के पहले प्रस्ताव जो किया गया है उस में लिखा गया है 31 मार्च, 1973। मान्यवर, इसे भी देख लें।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

इसे मैंने 1983 पढ़ा है।

हां, तो मैं यह कहना चाहता हूं, रियासत भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिये अभी मैं टेक्निकल एजूकेशन के डिमान्ड नं0 37 की बात कर रहा था। अब परिस्थिति व पर्यावरण की बात कर रहा हूं। मैं भ्रम में अभी नहीं आया। श्रीमन्, मैंने इन की तरफ इसलिए कहा....

श्री रियासत हुसेन--

श्रीमन्, मुझे इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है कि अभी तो आप इतिहास बता रहे हैं तो हमारे लिए भी समय बचेगा, यह चिन्ता हो रही है।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

धैर्य रखिये। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब संत विनोबा भावे ने भूमिहीनों को भूमि दिलाने का आन्दोलन चलाया उस समय देश के बड़े समाजवादी कवि ने एक बात कही थी। और वे कवि थे गोपाल शरण सिंह नैपाली। उन्होंने कहा था अगर देश के लिए मांग तो जन, धन मिला, मिलने से मांग, मुसाफिरों से तू क्या मांगे, धरती से मांग, गगन से मांग। इसलिये तो हमारी यह मांग धरती से, गगन से है। आप स्वीकार करिये। इसलिये सदन स्वीकार करे। मैं आप की बात कर रहा हूं..

एक सदस्य--

यह मांग मंत्री से है..

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

हमारी मांग इनसे है। बहरहाल, इस क्षेत्र में तीन दिशाओं में कार्य हो रहा है। एक तो हमारा निदेशालय है जिसमें कि पर्यावरण और इकौलोजी में नियंत्रण रखने की व्यवस्था कायम हो रही है। कई बार इस सदन में प्रश्न उठा कि गोमती का जल प्रदूषित हो रहा है, गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है जलाशयों के जल का प्रदूषण हो रहा है चाहे नैनीताल लेक हो, चाहे रिहन्द की लेक हो, उसको देख लें और जो भी मकान बनाये जाने से, इन्डस्ट्रीज लगाये जाने से, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जो एफलुवेन्ट निकल रहा है, उससे सामाजिक स्वास्थ्य की हानि हो रही है। उसे कैसे रोका जाय? इसकी जांच करने और तय करने के लिए पहली बात निदेशालय को कायम करने की व्यवस्था है...दूसरे इससे सम्बन्धित एक परिषद् है। उसमें वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट्स हैं जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी हैं। उसकी एक कार्यकारिणी है जिसके सचिव हमारे अध्यक्ष हैं। वे परिस्थिति व

पर्यावरण के विषय पर विचार करके निर्णय लेते हैं। उसने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिये हैं।

मान्यवर, हमने एक रिमूट सेंसिंग सेन्टर भी कायम किया है जिसके माध्यम से, सेटेलाइट के द्वारा भूतल पर क्या परिवर्तन हुआ है इसका अध्ययन करते हैं। बुन्देलखंड रीजन में दो-तीन वर्षों में जो सरफेस जल के स्तर में बदलाव हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। उससे हम चिन्तित हैं। उसके द्वारा इसके कारण जानने का भी प्रयास वह सेन्टर कर रहा है वह यह भी सोच रहा है कि शारदा सहायक कैनाल जो बनी है और जो वहां उसके कारण वाटर लांगिंग हो रही है इसको कैसे रोका जाय। उस क्षेत्र में हमारा प्रयास चल रहा है। प्रयास ही नहीं, हमने कुछ काम भी किया है। गोमती नदी के हमने 25 स्थानों से जल के संपुल लिये हैं। उनका अध्ययन किया है उसकी एनालिसस आने वाली है। हमने रिहन्द जलाशय और नैनीताल के जलाशय के पानी का भी अध्ययन किया, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है। साथ ही उस क्षेत्र में लोगों के बीच जितनी अधिक चेतना फैल सके उसको फैलाने के लिये हमने यूनिवर्सिटी से मिलकर, एक्सपर्ट्स से मिल कर वर्कशाप आयोजित किये हैं, सेमिनार आयोजित किये हैं। ऐसा एक सेमिनार हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में 4/5 जून 1981 को तथा आई0 टी0 आर0 सी0 ने 5 जून को इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स के सहयोग से इस तरह का सेमिनार 17/18 अक्तूबर को आयोजित किया।

यहां पर मैं नैनीताल में बनी वेधशाला के बारे में जिक्र किये बिना नहीं रह सकता हूं। यह वेधशाला 1951 में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की कल्पना से जन्मी थी कुछ दिन तक संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में वह रही और फिर वहां से वह नैनीताल पहुंची। इस वेधशाला में ऐसे यंत्र हैं जैसे एस्ट्रोफोटोमोटर, कम्परेटर्स माइक्रोफोटोमीटर और क्वार्टज क्लाक इत्यादि। मैं कोई वैज्ञानिक तो नहीं हूं लेकिन इतना बता सकता हूं कि यह क्वार्टज क्लाक एक सेकेन्ड का दस लाखवां हिस्सा भी बता लेती है। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कभी कभी हमारे यहां मौसम बदल जाता है, बादल नहीं आते उसके सम्बन्ध में हमारी वेधशाला क्या कर सकेगी। हमारी जो परिषद् है वह स्कालर्स को एनकरेज करती है; यूनिवर्सिटियों को मदद देती है और उसकी मदद से आगे रिसर्च भी हम करने का प्रयास करते हैं। इसके अच्छे और लाभकारी परिणाम भी हमारे सामने आये हैं। मान्यवर, मैं कोई कुशल कृषक तो नहीं हूं लेकिन मुझे जानकारी है कि वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके अनुसार एक अध्ययन बनारस यूनिवर्सिटी में एग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट में कराया गया जिसका अध्ययन फिर से आई0 सी0 ए0 आर0 ने किया, उसका प्रयोग किया और उसके फलस्वरूप उसके अच्छे परिणाम व्यवहार में लाये गये। उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी अपनी कसौटी पर कसा उसके अन्तर्गत बनारस और गाजीपुर में गन्ने की सी0 ओ0 1148, सी0 ओ0 एस0 770, तथा 1157, मक्के की गंगा सफेद-सफेद जौनपुर, दिअरा कम्पोजिट तिपखिया तथा धान साकेती-4, आकाशी कावेरी, पूसा-44, पूसा-150 की वैराइटी सफलतापूर्वक उगाई जा रही हैं। शुष्क क्षेत्रों में भी कुछ हो सके इस संबंध में कानपुर एगीकल्चर यूनिवर्सिटी की मदद से अनुसंधान हुए और पाया गया कि सिंचाई के साधन कम हैं और जो सूखे क्षेत्र हैं उनमें टाइप 17 अरहर या प्रभात-41 अच्छी मात्रा में हो सकती है। प्रभात-41 जिसे आप

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--]

कहते हैं उसकी पैदावार 16 क्विंटल पर हेक्टेयर तक पायी गयी है। इसी प्रकार चना भी है..

श्री रियासत हुसैन--

कुछ एग्रीकल्चर के लिये भी छोड़ दीजिये समय का भी ख्याल रखें।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

आज ही तो समय मिला है। तो चना की वैरायटी पी 518, टी-3 सबसे अच्छी हुई है। इसी तरह सरसों टी0 एल0 4 अच्छा साबित हुई है। बरना किस्म की सरसों की उपज अधिक होती है। तो यह जो हमारे साइंटिस्टों ने काम किया है उनका परिणाम है।

खाने की चीजों के अभाव में पत्तियों से भी प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है इसका भी एक्सपेरीमेंट हुआ। पान जो हमारे मित्र बहुत खाते हैं उसकी भी मदद हम कर रहे हैं। पान की खेती महोवा में और बंधरा में इसको डेवलप कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

घूटी पिलाइये।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

घूटी पिलायेंगे ताकि आप बीमार न हों। साथ ही देवरिया में जो हल्दी होती है उसकी क्वालिटी अच्छी न होने से मूल्य मद्रास की तुलना में कम मिलता है। तो मैसूर की जो वैरायटी है उसको ग्रो किया गया है और उसका अध्ययन करके प्रयोग करने की बात हो रही है।

अंत में जिसके लिए हम और आप सब से अधिक चिन्तित हैं कि इनरजी की कमी का क्या होगा। इसलिये हमने सोलर इनरजी की बात सोंचना प्रारम्भ की है। यह प्रयास थरमल और हाइड्रो प्रयास अलग है उनमें हमने काफी प्रयास किया है। हम सोलर इनर्जी पैदा करने की बात सोंच रहे हैं। सुल्तानपुर जिले में चार सोलर फोटो वाला टाइक पम्प तथा दो विंड मिल स्थापित कर प्रयोग हो रहा है। इस वर्ष देवरिया, रायबरेली, मथुरा आदि में सोलर इनरजी कांपलेक्स स्थापित करने का विचार है। तो इससे सोलर इनर्जी पैदा होगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में ऊन की तरक्की के लिये भी प्रयोग हुआ है। वहां पर जो ऊन बनता है उसमें अच्छे किस्म का ऊन बने और धागा मजबूत हो, इसके लिए चरखे की अच्छी डिजाइन बना रहे हैं। उससे सूत शीघ्र निकले और मजबूत होगा। इसी तरह से कौटन टैक्सटाइल के लिये आवश्यक सूत की किस्म में सुधार के लिये एक 12 स्पिन्डिल वाले चरखे का विकास किया है जिसके प्रयोग से मिल जैसा सूत मिलेगा। जब एडवांसिटी होती है तभी लोगों में तकनीकी ज्ञान का विकास होता है।

अब मैं अपनी उस मांग पर आता हूं जिसे श्रम कहते हैं। श्रम के क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है उसमें इस ओर से और उस ओर से दोनों तरफ योगदान मिला

है। इस क्षेत्र में मत में विभिन्नता के कारण लोग चिन्तित रहते हैं। इसमें सब जगह सहमति होना मुश्किल हो पाती है। जो भी 10, 15 टि-पार्टाइट सम्मेलन हुए जिनकी सूची गिनाने में समय नहीं लेना चाहता हूं उनमें जहां हमें राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस को सहमति प्राप्त हुई वहां आप लोगों के श्रमिक संगठनों की सहमति है। हां, एक बात का गर्व हमें जरूर है या यह कहिये कि ईश्वर का ऐसा विधान इस सरकार के लिए था, 80 के पहले जाने कितने सम्मेलन आयोजित हुए, लेकिन वह बिना सहमति के उठ गये उनमें कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। हमारा यह सौभाग्य रहा।

(व्यवधान)

अब बहुत से लोगों की यह मांग हो गई है तनख्वाह तय करने के लिए एक टाईप बनाया जाए। बहरहाल निवेदन यह कर रहा हूं आप सब लोगों के सहयोग से 45 उद्योगों में, जिनकी सबकी सूची लगी है मिनिमम वेजेज ऐक्ट और 13 ट्रीपार्टराइट कान्फ्रेन्स जो हैं, उनसे मजदूरों का वेतन बढ़ा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकार का श्रेय केवल ऐतिहासिक मात्र है। असली श्रेय उन मजदूर नेताओं और श्रमिकों को है, जिन्होंने इस प्रदेश की मौलिक संस्कृति को समझते हुए और इस देश की प्रेरणा वृति को समझते हुए, जिसको गांधीवादी वृत्ति कहा जाता है, जो इस धरती के कण-कण में समाया हुआ है, न्यायोचित सहयोग दिया वह चाहे आई0 एन0 टी0 यू0 सी0 हो ए0 आई0टी0 यू0 सी0 हो, एच0 एम0 एच0 हो या भारतीय मजदूर संघ हो या अन्य कोई संस्था हो सभी श्रेय के भागीदार हैं। तो कम से कम आपने इस विभाग में जो सबको मिला-जुला कर चला रहा है कम से कम एक रुपया जोड़ दिया होता तो अच्छा रहता। श्रम मंत्री की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं सोचता हूं आप लोग श्रम विभाग की मांग में वृद्धि कर एक नई प्रेक्टिस शुरू कीजिये।

श्रीमन्, एक बात है श्रम विभाग का जो भी संचालन करते हैं, उसकी बड़ी ही दयनीय दशा होती है। उसकी दशा उतनी ही दयनीय है जितना बेचारा एक बहुत बड़े ट्राफिक आई0 लैन्ड का कांस्टेबिल की। अगर वह किसी को रोकना चाहता है वे रुकते नहीं, सायकिल वाले तो वह रुकने वाले नहीं हैं, न पैदल चलनेवाला रुकने वाला है और न मोटर वाला रुकने वाला है। ट्राफिक कांस्टेबिल के पास कोई पिस्तौल नहीं है जो थानेदार के पास होती है और न उसके पास धन वा स्टेप्स ही है। तो ऐसी स्थिति के विभाग को यदि आपकी सहमति न मिले तो बल हमें कहां से आएगा ? वह वर्षों पुराना विभाग है, इसमें कोई नई योजना नहीं बनाई है। हम वह परिस्थितियों वश नहीं कर पाते। लेकिन जब कहीं भी मूल्यांकन होता है तो वह एब्सोल्यूटली नहीं तुलनात्मक होता है। उसकी सिद्धियां और उपलब्धियों की आप तुलनात्मक बात करते हैं। तो निश्चय ही हमें आपकी सहमति और सहयोग से जो सफलत दो वर्षों में मिली है, वह पिछले एक शतक से इस प्रदेश और सरकार को अज्ञात है।

और मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं और कह रहा हूं। क्योंकि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में विधाता ने जब इसकी परिकल्पना की थी तो पता नहीं उनके मन में क्या ख्याल रहा होगा। यहां के सन्तों ने अवश्य सोच रखा था कि बिना अपोजीशन के डेमोक्रेसी चलती नहीं। सन्तों की भाषा तो ग्रामीण की

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---]

भाषा है उसी भाषा में उनके कथनानुसार एक कहावत प्रचलित है---'निन्दक नियरे राखिये आंगत कुटी छवाये, बिन साबुन, पानी दिए निर्मल करे सुभाय ।' जिस समय सन्त लोगों ने ऐसे सुन्दर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया आज की पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी नहीं थी वह ग्रामीण डेमोक्रेसी थी । तो आप हमें निर्मल करते जाइये, ठीक है । लेकिन जितनी बात हम आपकी मानते जाते हैं, उनको तो आपके द्वारा स्वीकार किया जाये । मुझे इस शासन पर गर्व है जिसके मंत्री होने के नाते हिन्द मजदूर सभा के नेता श्री जय प्रकाश जी के मरने के पहले चाहे जैसी अप्रिय घटना घटी हो मुझ को डियरनेस एलाउन्स का पंच माना है और मेरे निर्णय की बात पत्र में शासन को भेजकर मेरे निर्णय की सराहना की है । बोनस के विवाद के लिए भी ऐसा ही उन्होंने मुझे पंच माना है हमारे इस सदन में जब मैंने पार्टिसीपेशन की बात कही थी तो आपको क्यों संदेह हुआ था । मैंने सीक्रेट बैलट की बात कही । कहां पर यह बात नहीं है, मुझे बता दें । अगर हम अपने मजदूर डायरेक्टर को पब्लिक सेक्टर मे पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें कुछ समय तो लगेगा ही, लेकिन आपको पता तो लगता ही रहता है कि कहां क्या हो रहा है । बहरहाल आपको सभी सूचना होती रहती है । तो जब श्रम जगत में काम करने वाले आपके साथियों का हमें सहयोग है तो आप भी यहां पर बैठ कर मुझे सहयोग दें यह अनुरोध है । भाई राम नरेश जी का सहयोग है, दत्तो पंत थंगड़ी का है लेकिन यहां पर भाई राजेन्द्र कुमार गुप्त का न हो, मकबूल हसन का सहयोग है लेकिन भाई रियासत हुसैन और मोहन सिंह जी का सहयोग न मिले, उचित न होगा । तो कम से कम हमें उसी प्रकार का आप सहयोग दें, यह कामना है ।

अन्त में मैं अपने आई० टी० आइज० और एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज की बात कहता हूं । उस फील्ड में भी हम लगे हुए हैं, उनमें कुछ नयी योजनाओं को लाने की बात है वह हम करेंगे ।

अब अगर कुछ कहने को रह गया हो तो जब आप अपने-अपने सुझाव रखेंगे तो श्रीमन्, यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं निवेदन करूंगा क्योंकि सदस्यों की उत्कन्ठा जल्दी बोलने की है । मेरा यह भी निवेदन है कि आज रचनात्मक कार्य के लिए यह थोड़ी सी परम्परा बदल भी दी जाय तो अनुचित न होगा । जब इतिहास और संस्कार बदलते हैं तो आप पुरानी परम्पराओं को क्यों न बदल द जब हमें आप के श्रम संगठनों का समर्थन मिलता है तो कम से कम यहां जो उनके नेता बैठे हैं, उनका भी समर्थन मिले, यही चाहता हूं ।

(समय 2 बजकर 3 मिनट)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37- प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54- विज्ञान एवं प्राद्योग विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 56–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभाग नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, मंत्री महोदय ने किसी इतिहास के फिलास्फर की तरह हिन्दुस्तान की तालीमी तारीख दुहरा दी, हमें खुशी है कि हमें वह मालुमात आज यहां पर हासिल हुई, जो यहां के बाहर न हो पातीं। वह हमें माननीय मंत्री महोदय से मिल गयी। लेकिन हैरत इस बात की है कि जितनी देर आप बोले हैं, उसमें, आपका जो मेन ईशू है मजदूर उस पर केवल 5 मिनट कुछ कहने की आपने जहमत गवारा की है, बाकी समय में आप इधर–उधर की बातें कहने में ही मसरूफ रहे। जब हम श्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने उसवर्ग का नाम आता है जिसमें मजबूरियों, दुख और अपमानों के बीच से उभरता हुआ एक नाम 'मजदूर' निकलता है। आज के दिन उसी के संरक्षण की मांग की जाती है। इस तरह हम मजदूर का कितन अपमान करते हैं और यह मजदूर वह है जो हिन्दुस्तान की सरहदों पर पूरे मुल्क की सलामती के लिए अपने मजबूत हाथों से अस्लाह तैयार करता है, हथियार बनाता है। खेतों में जिसका खून पसीना बनकर बहा करता है वो मजदूर जो हमारे खाने के लिए अनाज पैदा करके देता है, जो हमारे लिबास के लिए तरह–तरह के कपड़े बना कर देता है, जो हमारे रहने के लिए बड़ी–बड़ी आलीशान इमारतें बनाता है, खाने के लिए उम्दा किस्म का गिजा तैयार करता है और वही मजदूर आज हमारे यहां नंगा है, भूखा है, बेआसरा है

(शेम शेम)

नहीं मिन्नत कशे ताबे शनीदन दास्तां मेरी,
खामोशी गुफ्तगू है बे जुबानी है जुबां मेरी।

यह शेर मजदूरों की जानिब से था और अब अपनी तरफ से कहता हूं :–

दर्दे मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ,
जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ।

मान्यवर, सरकार का यह कहना है कि जहां मिल मालिक और मजदूर में झगड़ा होगा, सरकार मजदूर का साथ देगी। लिहाजा अगर मिल मालिक और मजदूर का झगड़ा होता है तो सरकार का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह मजदूर की हिमायत करे, मजदूर का पक्ष ले, लेकिन होता उसके उल्टा है। सरकार मिल मालिकों का पक्ष लेती है। आप स्ट्राइक को ही लीजिए। आखिर आपके पास यह मापने का कौन सा पैमाना है कि स्ट्राइक हुई है या नहीं। किसी मिल में हड़ताल होने या न होने का फैसला आप इस बात से करते हैं कि आपके पास मिल मालिक ने क्या सूचना भेजी है। उसके पास से क्या टेलीग्राम आपके पास आया है, उसे आप देखते हैं। मैं एक जिन्दा मिसाल आपके सामने पेश करना

[श्री मुहम्मद आजम खां—]

चाहता हूं। कानपुर में 3 महीने से इन्डस्ट्रियल गैसेज फैक्टरी, फजलगंज में चल रही है। पुरानी मिसाल में रामपुर रजा टैक्सटाइल मिल की दे रहा हूं। कानपुर में 24 दिसम्बर से हड़ताल चल रही है। वहां से 100 मजदूर मिल मालिकों ने निकाल दिये। त्रिवेणी शीट ग्लास वर्क्स, नैनी, इलाहाबाद में हड़ताल चल रही है। यहां जब हड़ताल की गयी तो लेबर कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि आप हड़ताल वापस ले लीजिये, हम आपके साथ कोई जुल्म नहीं होने देंगे। न सिर्फ इलाहाबाद में, बल्कि उत्तर प्रदेश में जहां भी हड़ताल होती है, हमारा यह नकारा लेबर डिपार्टमेंट, जिसकी फौज नाकारों, लंगड़ों की फौज हर जिले में मौजूद है। मैं मंत्री जी से यह बात कहते हुये झिझक महसूस नहीं करता कि बहुत से मामलात के बारे में आपने अपने जमीर के मुताबिक बात कहने की नाकाम कोशिश की है। बहुत सी बातें नहीं कह पाते। मान्यवर, लेबर डिपार्टमेंट कंसिलियेशन आफिस हर जिले में मौजूद है, मगर उसका काम यह नहीं है कि मजदूर की हिमायत का कोई काम करे, बल्कि सरकार की खुफिया नीतियों को मिल-मालिकों को पहुंचाना उसका काम है और मिल मालिकों से मजदूर का जासूसी का काम कर दलाली का काम करता है। इसके एवज में उसको मिल मालिक से उजरत मिलती है। बहेरहाल मान्यवर, इंडस्ट्री की डिफनीशन यह है कि मजदूर और पैसा लगाने वालों दोनों की साझीदार होंगी और दोनों के मिलाप से इडस्ट्री चलेगी। हमें यह पूछने की इजाजत होनी चाहिए, मसलन जैसा मैंने कहा कि रामपुर रजा टेक्सटाइल मिल का 1979-80 का नफा 96 लाख रुपये का था और मजदूर को क्या दिया गया। कितना बोनस दिया गया। मजदूर की कितनी मांगें ऐसी हैं, जो आज तक नहीं मानी गयीं।

मंत्री महोदय, आपको मालूम है अच्छी तरह से कि रामपुर रजा टेक्सटाइल की हड़ताल इस देश और प्रदेश की सबसे बड़ी हड़ताल थी जो 7 महीने तक रही, आपने इसलिए कुचल दिया कि उसको चलाने वाला लीक दल का आदमी था। यानि मैं था। हमारे मुख्य मंत्री चूंकि राजा हैं, उनकी हमारे नवाबजादे से रिश्तेदारी है। आपने मुझसे कहा कि आपका मेम्बर पार्लियामेन्ट जो रामपुर का एम0 पी0 है, आपकी पार्टी का है, ने इज्जत की बाजी लगा रखी है। आपको उनको देना चाहिये, नहीं दिया। आपने राज मंगल पाण्डेय एवार्ड नहीं दिया। आपने उनकी पिछली मांगों को पूरा नहीं किया। 29 मजदूर निकाल दिये गये। 7 महीने तक मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी गयी। ऐसे में मजदूरों पर क्या गुजरी जरा अपने गरेबान में जो बोसीदा है, गंदा है, आंख डाल कर देखें कि 1 महीने की मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, तो क्या महसूस होता है, हर रोज उसके आने का इंतजार करता हूं। लेबर की तनख्वाह ढाई-तीन सौ रुपया माहवार होती है, वह उसको अगर नहीं मिलती, तो उसके घर पर चूल्हा नहीं जलता। 7 महीने तक उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, तो क्या गुजरी होगी। उनकी हड़ताल को नाकामयाब करने के लिए सरकार और मिल मालिक एक हो गये। उस हड़ताल में 29 मजदूरों को निकाल दिया गया। हमारे मंत्री महोदय बैठे हुये हैं। टैक्सटाइल के मजदूरों को इंसाफ नहीं मिला। आपकी सरकार और आपके राज्य मंत्री उनके यहां जाकर दावतें लें। मान्यवर, आपके राज्य मंत्री ने हड़ताल तोड़ने वाले का काम किया है। आपकी सरकार ने जिसे कोफेपोसा में एमरजेंसी में जेल में रखा था, ये उसके घर दावत खा के मौजें उड़ाते थे।

मंत्री महोदय ने अपनी बात एजूकेशन से शुरू की थी और मैंने अपनी बात मजदूरों के उत्पीड़न से शुरू की है। मैं इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी इसी

मजदूर को मानता हूं, जो वाकई इस देश को चला रहा है। हम दरअसल मजदूर की पूरी बात हाउस में कहते हुये शरमाते हैं। मसलन एक मर्तबा जब राज मंगल पाण्डेय मंत्री थे, 1970 की बात है, श्रम के बजट पर बोलते हुए उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया था। हमारे साथी ने यह कहा कि क्योंकि कपड़ा की मिलों में इतनी गर्मी होती है और मजदूरों के लिए इतनी घुटन होती है कि काम करना मुश्किल पड़ता है कूलर का इंतजाम करा दिया जाय। मुझे हैरत इस बात की होती है गालिबन सरकार एक ऐसी मशीनरी है, जो जाता है, उसी की तरह चलने लगता है। उस वक्त मंत्री जी ने कहा था कि आप मजदूर के लिये कूलर की बात करते हैं, हाउस में भी कूलर नहीं है। लेकिन मान्यवर, चाहे टैक्सटाइल मिल में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे कालीन का काम करने वाला मजदूर हो, जरीदांजी और कढ़ाई का काम करने वाला मजदूर हो, बल्ब की फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो उसमें इतना सफोकेशन होता है आप सही डेटा कलेक्ट करवा लें अन्दाज हो जायेगा।

मान्यवर, मैंने टैक्सटाइल मिलों का नाम इसलिये लिया कि यह सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 1854 में पहला कारखाना बाम्बे में लगा था जो किसी पारसी पाइनियर कावस जी बानभाई दसर ने लगाया था उसके बाद कानपुर में यह सनत आयी और फैली तथा बढ़ी। मुझे इस बात की खुशी है कि टैक्सटाइल मिलों का नाम भारत की पूरी दुनियां में है। मान्यवर, फैक्ट्री में काम करने वाला वदनसीब मजदूर जब चलती गाड़ी का पट्टा टूटता है, मंत्री जी कहीं ज्यादा तजुर्बेकार हैं और मेरा उनसे कहीं कम उम्र का तजुर्बा है, मशीन का पट्टा टूटने पर मजदूर का दिल छत से जाकर टकराता है और उसका मांस और हड्डी कीमा बन कर जमीन पर बिखर जाता है। काम रुक जाता है, मशीनों की लाइन बन्द हो जाती है। मिल मालिक दौड़ा आता है, वह नाराज होता है, कि मजदूर के खून के धब्बे से कपड़े का थान खराब हो गया है। और काम भी रुक गया इससे मेरा नुकसान हुआ। उसको मजदूर के मरने का दुख नहीं होता है क्योंकि ऐसा तो आये दिन हुआ करता है। लेकिन जो मजदूर वहां पर खड़ा है वह सोचता है कल इस हादसे का शिकार कौन होगा क्यों कि इस प्रकार पट्टे से मरने वाला मजदूर कल हममें से कोई एक सख्श होगा। इसके बाद जब माननीय मंत्री जी की गाड़ी मिल के दरवाजे पर जाती है तो मिल का मजदूर नारा लगाता है हमको न्याय चाहिये, इन्कलाब जिन्दाबाद। माननीय मंत्री जी मजदूरों के बीच में नहीं जाते वह मिल मालिक के घर जाते हैं चाय की मेज पर बैठ कर बात होती है। जैसा रामपुर में हुआ और मंत्री जी जैसा कि स्मगलर के घर जाते हैं दावतें खाते हैं, आखिर-कार इंक्वायरी होती है और रिपोर्ट आती है कि मजदूर को मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। मजदूर मारा गया इसकी पत्नी विधवा और औलादें यतीम हो गयी। मान्यवर, मैंने अपनी बात मजदूरों से शुरू की और माननीय मंत्री जी ने अपनी बात एजूकेशन से और मिल मालिकों से शुरू की। मान्यवर, इस सूबे में एक अन्धकार फैल रहा है। बेशक उसे रोकने की जरूरत है।

एक सदस्य—

रोशनी है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

इसको आप रोशनी समझ रहे हैं । 1975 से 77 के एमरजेन्सी को भी आपने रोशनी समझा था ।

श्री वामोदर शर्मा--

जब लोग भट्ठियों में डाले गये वह भी समय देखा था पता ही नहीं चला कि उनकी रिपोर्ट हुई या नहीं ।

श्री खैरुल बशर--

अपने कारनामों को देखें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आपस में बात न करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

हमारे एक साथी ने रोशनी की बात कही । सावन के अन्धे को हरा ही हरा नजर आता है । जब इमरजेन्सी लगी थी तो आपकी नेता ने बड़ी बहादुरी का काम किया । हम लोग तो बनारस जेल में बन्द थे हमने एक छोटा सा ट्रान्जिस्टर रख रखा था । मैं एक दिन शाम को एक तफसिरा बी० बी० सी० लन्दन से सुन रहा था । उसमें कहा गया कि हिन्दुस्तान को 65 करोड़ आवाम में सिर्फ एक मर्द रहता है जिसका नाम इन्दिरा गांधी है । तो जिस रोशनी की हमारे साथी ने बात की मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि 1975 में जबकि इमरजेंसी लागू थी मजदूरों को दबाने का पूरा माहौल बना हुआ था तब जय प्रकाश नारायण चाहे बिहार के हों, सियासी मौत मार दिये गये चाहे मोदीनगर के हों वह मिल मालिक की गोली से मार दिये गये । आपके राज्य में मारे गये हैं, एक साल पहले आपके शासन में जय प्रकाश मारे गये हैं । आपके गुंडों ने मारा है सितम यह है मारा जाये मजदूर और मिल मालिक के मकान पर पी० ए० सी० और सी० आर० पी० का पहरा बैठा दिया जाये । आपको मैं आंकड़े दे रहा हूं । मैंने तो सिर्फ मजदूरों की तकलीफों की बात की है मैंने आपके विभाग पर कोई रिमार्क नहीं किया है ।

मैंने जब अपने गरेबां के किये थे टुकड़े,

तुमको क्यों अपना गरेबां याद आया ।

मैंने आपकी काली करतूतों को अभी नहीं बताया है । आपकी काली करतूतों की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि यहां पर कहने के लिये वक्त काफी नहीं है । सन् 75 की इमरजेंसी में उस वक्त इस प्रदेश में 82 रिकग्नाइज्ड हड़तालें हुयी थी और उससे मुतासिर होने वाले मजदूरों की तादाद 2,94,884 थे । मान्यवर, मजदूरों के पास आखिर और सबसे घिनौना हथियार, सबसे बुरा हथियार हड़ताल का होता है । मजदूर उस वक्त इसका इस्तेमाल करता है जब सिवाय इसके कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है कोई दूसरा चारा नहीं होता है । इसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि नो वर्क नो वेज । काम नहीं होगा तो उजरत नहीं मिलेगी । मजदूर की हालत का आपको अंदाजा जरूर होगा । मजदूर के पास 3 महीने या तीन वर्ष, 6 महीने या 6 वर्ष का

राशन नहीं होता है। मजदूर के पास केवल एक दिन से ज्यादा का राशन नहीं होता। लिहाजा वह हड़ताल का जब फैसला बहुत मजबूरी के आलम में लेता है इसका मतलब है कि उसमें जब जुल्म को बर्दास्त करने की कूबत बाकी नहीं रहती है तो वह हड़ताल के घिनौने हथियार का सहारा लेता है। बेशक जब हड़ताल होती है तो मुल्क का नुकसान होता है, सूबे का नुकसान होता है और सबसे बड़ा नुकसान उस मजदूर का होता है जो हड़ताल करता है।

मैं मंत्री जी के भाषण पर लौटता हूं शुरू में अपनी बात आपने तालीम से शुरू की थी। जाहिर है कि अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूसंस की तरक्की नहीं होगी तालीम याफ्ता जहन तैयार नहीं हो सकते और टेक्नोलाजिकल डेवलपमेन्ट नहीं हो सकता। मान्यवर, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूसंस की जो हालत है वह आपके सामने है। टेक्निकल इंस्टीट्यूसंस के अंदर बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, करप्शन है। हम सबको ईमानदारी से यह बात सोचनी चाहिये कि वाकई जिस जगह पर हम खड़े हैं वह जगह कैसी है, उस जगह की क्या हालत हो गयी है। चाहे रूलिंग पार्टी के हों या अपोजीशन के हों आज यह देखना जरूरी हो गया है कि देश और समाज की क्या हालत हो रही है। सबसे ज्यादा मोअज्जिज दो पेशे हैं एक तो जुडिशियरी और दूसरे हमारे टीचर्स। जुडिशियरी का यह हाल है क्योंकि मैं वकील रहा हूं, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पेशकार रिश्वत लेता है। एक शराब की बोतल पर दफा 60 का मुकदमा छूटता है। जहां हमारा नेशनल करेक्टर यह होगा तो सिवाय इसके कि देश और समाज की तबाही हो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मान्यवर, शिक्षक वर्ग जो इस देश की बुनियाद बना रहा है उसकी भ्रष्टता का यह हाल है कि जब तक टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ायेगा तब तक बच्चा पास नहीं होगा। वहां शिक्षक जो बेसिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल, डिग्री कालेजेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, वह टीचर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूशनस में पढ़ाते हैं। लिहाजा वही स्टाफ जब टेक्निकल इंस्टीटयूसंस में पहुंचता है जो अपने मास्टरों को घी का कनस्तर पहुंचाते थे और ट्यूशन पढ़ते थे वही पेपर आउट कराते हैं साथ जुआ खिलाते हैं शराब पीते हैं अयाशी करते हैं। इसलिये हम जिस नये समाज का और टेक्निकल एजूकेशन का निर्माण कर रहे हैं उसमें भ्रष्टता है जिसको रोकने की जरूरत है। मान्यवर, टेक्निकल एजूकेशन की हालत यह है कि लड़का क्या नम्बर लाया है क्या डिवीजन है इसकी बात नहीं है बल्कि देखा यह जाता है कि लड़के की माली एप्रोच क्या है और उसने कितना पैसा अध्यापकों को दिया है। इससे टेक्निकल वर्ग भ्रष्ट होगा। सपना हम यह देख रहे हैं कि बढ़ती हुई मांगों को देखते हुये हमारे पास टेक्निकल ज्ञान ज्यादा होगा और वह दूसरे देशों में जायेंगे। मान्यवर, मंत्री महोदय महसूस करें कि एक तरफ हम टेक्निकल इस्टीट्यूसंस खोल रहे हैं और मसलन एक साल में एक हजार आई0 टी0 आई0 पास और डिप्लोमा होल्डर्स हो रहे हैं लेकिन नौकरियां 100 को मिलें तो बचे हुये 900 की खपत सरकार कैसे करेगी, इस पर सरकार को सोचने और ध्यान देने की बात है। मान्यवर, कानपुर में लड़के अनशन पर बैठे हैं। श्री देवेन्द्र सिंह सचान की मौत हो गयी है और अभी भी अनशन जारी है। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां जो रेसिडेन्शियल फेसिलिटी कम हैं जिससे वहां के लड़के मांग कर रहे हैं व मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि उनकी मांग को पूरा किया जाय और रहने की व्यवस्था की जाये।

[श्री मुहम्मद आजम खां--]

मान्यवर, जैसा मैंने अर्ज किया था कि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा कपड़े की मिलें हैं और रीढ़ की हड्डी है कपड़ा मिल मजदूर की खास समस्यायें हैं। मसलन राज मंगल पांडेय एवार्ड को बहुत सी कपड़ा मिलें लागू नहीं कर रही हैं, मसलन 45 रुपये की बढ़ोत्तरी को बहुत सी मिलों में लागू नहीं किया गया, मसलन 20 रुपये की बढ़ोत्तरी लागू नहीं की गयी। मान्यवर, यह बात विपक्ष के नाते नहीं कह रहा हूं बल्कि जैसा हमारे यहां हुआ, मैंने आपसे कहा कि यह आपका डर है कि इसका श्रेय अपोजीशन को मिल जायेगा, तो श्रेय आपको ही मिलेगा। जैसे पहले हमारे यहां मंत्री महोदय तशरीफ ले गये थे, यह खुश होने की बात है मन्त्री जी के लिये कि कभी नेहरू जी के लिये इतना बड़ा मजमा उन्हें लेने के लिये स्टेशन गया था, दूसरी बार इतना बड़ा मजमा मेरे ताल्लुक से हमारे मन्त्री जी को मजदूरों का लेने के लिये गया था। जब नेहरू जी रामपुर गये थे, तो शहर को कुछ देकर आये थे और जब मन्त्री जी गये तो रोजी छीनकर आये थे, यह फर्क था।

अब मैं टेक्सटाइल के बाद शुगर की सनद की तरफ आ रहा हूं। खास बात यह है कि कितनी बढ़ोत्तरी स्वीकार करते हैं। पिछले साल गन्ने के मजदूरों का 50 रु0 माहवार बढ़ाया। मांग यह रही है कि जिस रेशियो से मंहगाई बढ़े उसी रेशियो से मजदूरों की तनख्वाह बढ़े। मंहगाई बढ़ी दूसरे रेशियो से और आपने सिर्फ 50 रु0 माहवार बढ़ाया इसके अलावा चाहे गन्ने का मजदूर हो, या शक्कर का मजदूर हो या दूसरी फैक्ट्री का मजदूर हो मान्यवर मजदूर के लिये बड़ी समस्या रहने की समस्या है। हमारे पास लेबर कालोनीज हैं, लेकिन हमें खेद है कि लेबर कालोनीज में आधे से ज्यादा लोग वह हैं, जो मजदूर नहीं हैं। रामपुर में 50 प्रतिशत लेबर के मकानात गैर मजदूरों ने घेर रखे हैं और 50 प्रतिशत मकानों पर टेलीविजन का एण्टीना लगा हुआ है। आपका विभाग काम नहीं करा पाता। आपने जो अस्पताल खोले हैं, उनकी हालत यह है कि दवा अक्सर गायब है।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, मैं एक जानकारी सदन को और दे दूं, मेरे सामने विधान परिषद् में विरोधी पक्ष से यह प्रस्ताव आया था कि जो लेबर कालोनीज हैं, उसमें नान-लेबर रह रहे हैं उन्हें निकाला जाय। उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके ही विधान परिषद् के सदस्यों की एक कमेटी को उसकी जांच करने का, योजना बनाने का दयित्व सौंप दिया है। इसलिये इस बात की चर्चा यदि यहां न करें तो अधिक उचित होगा।

श्री मुहम्मद आजम खां--

आपके इस बयान का खैर फौरन करना चाहिये।.....

(सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान।)

मुझे ऐसा लगता लगता है कि आपको कुछ तकलीफ हो रही है।

एक सदस्य--

शायद यह लेबर रूम में जाना चाहते हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

ऐसी तकलीफ में कभी-कभी तो आर्टीफिशियल पेन्स दिए जाते हैं, जब उनसे काम नहीं चलता तो सीजरियन किया जाता है। मुझे नहीं पता सत्ता के सदस्यों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी।

मान्यवर, कमेटियां तो बहुत बनती रहती हैं....

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, आपका प्रोटेक्शन चाहिये। विधान परिषद ने निर्णय किया कि विधान सभा उस पर अगर राय न दे तो अच्छा है। विधान परिषद् का निर्णय है, विधान सभा कमेन्ट न करे, यही संसदीय की परम्परा है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, शायद मैं अपनी बात ठीक से कह नहीं पाया। मैंने उस कमेटी का पहले ही खैर मकदम कर लिया है। दूसरी बात यह कह रहा हूं कि जो मकानात दूसरे लोगों ने घेर रक्खे हैं, उसका रिपोर्ट अपने अपने जिलों में मौजूद हैं, जिसे देखा जा सकता है।

मैंने 1975 के आंकड़े दिये थे अब मैं 1981 की इत्तला, जो आपकी ही किताब में छपी है, आपको देना चाहूंगा कि लेबर के मामले में डिपार्टमेन्ट कितना कामयाब है या नाकामयाब है। इसका अन्दाजा इस चीज से लगता है कि कितनी हड़तालें हुई, कितने लाक आउट हुए, कितने ले-आफ हुये और कितने मजदूरों को निकाला गया। वर्ष 1981 में 245 हड़तालें हमारे प्रदेश में हुई और इसमें अजीब बात यह है मान्यवर, कि उन होने वाली 245 हड़तालों में सबसे ज्यादा हड़ताले उनकी तरफ से हुई, जिनकी अपनी कोई यूनियन नहीं है। ऐसे 130 संगठन हैं, जिनकी अपनी कोई यूनियन नहीं है। उसमें सी0 आई0 टी0 यू0 की तरफ से 46 हड़तालें हुई, जिसमें कि 1,28,124 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 1,28,124 लोग यानी करीब 1 करोड़ लोगों को खाने को खाना नहीं मिला। 1 करोड़ लोगों का ख्याल न हमारी सरकार को है और न हमारे माननीय मन्त्री जी को।

अब मैं आपका ध्यान उन मजदूरों की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिनमें अधिकतर नेगलेक्टेड तबका है। जो समाज की निगाहों से निगलेक्टेड रहते हैं। जैसे राज, मजदूर, कुली, होटलों में काम करने वाले, रिक्शा, तांगा चलाने वाले लोग, ठेली खींचने वाले लोग और पत्थर तोड़ने वाले लोग। सरकार इनको प्रोटेक्शन नहीं देती है सरकार जिसको प्रोटेक्शन देती है, वे हैं मिल में काम करने वाले लोग, दफ्तरों में काम करने वाले लोग, लेकिन वे करोड़ों इन्सान जो फुटपाथ पर सोते हैं और फुटपाथ पर ही मर जाते हैं, उनके बारे में हमें मालूम नहीं होता है और न ही सरकार को मालूम होता है। वे बेचारे यही भाग्य लेकर शायद पैदा होते हैं कि उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता और ऐसे ही वे मर जाते हैं।

35 साल की आजादी के बाद भी हमारे सूबे में यही नहीं पता चल पाया कि कितने लोग नान-रजिस्टर्ड फैक्टरीज में काम करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं

[श्री मुहम्मद आजम खां—]

जो रिक्शा चलाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ठेला खींचते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो होटलों में काम करते हैं। लिहाजा जरूरत है, इस बात की कि इसका बड़ा सर्वे किया जाय कि असल में ऐसे तबके की तादाद क्या है, उनकी समस्यायें क्या हैं ? और उनकी क्या उजरत होनी चाहिये।

अपने सुझाव में मैं एक बात कहने वाला हूं कि जब तक मजदूर वर्ग को समाज में मुअज्जिज स्थान नहीं मिलेगा, उसकी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ़ा जायेगा, उसकी तरफ गौर नहीं किया जायेगा कि इसकी भी जरूरतें हमारी जरूरतों की तरह से हैं, इसकी भी ख्वाहिश होती है, खाना खाने की जब इसे भूख लगती है। हमारे बच्चे की तरह इसके भी बच्चे होते हैं, रिक्शा वाले की बेटी इसलिये भाग जाती है, क्योंकि उसके पास गुजारे भर का पैसा नहीं है। जब तक इन बातों को हम अपनी रुह में जगह नहीं दे पायेंगे, उनके दर्द को अपना दर्द नहीं समझ पायेंगे, तब तक इनकी दशा वैसे के वैसी ही रहेगी। बीड़ी, जरदोजी, कालीन बनाने वाला मजदूर तथा छोटी इन्डस्ट्रीज में हमारे सूबे में काम करने वाले मजदूरों का वेतन समान नहीं है। मैंने उस दिन भी इस बात को कहा था पर मन्त्री जी ने हमारी बात को काट दिया था। मैं मन्त्री जी की बात को गलत तो नहीं कहूंगा पर सन् 1970 में श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने बीड़ी के उद्योग में लगे हुये मजदूरों के सम्बन्ध मे बोलते हुए कहा था, उसका सार यह था कि उन्हें साढ़े तीन रुपये से लेकर 4 रुपये तक उजरत मिलती है, जबकि उस वक्त साढ़े चार रुपये और 4 20 रु0 का रेट था। आपकी सरकार के मन्त्री ने माना था कि मालिक लोग जो उजरत कहते और लिखते हैं, वह देते नहीं हैं।

उस दिन मैंने सिस्टम समझाने की कोशिश की थी कि एक हजार बीड़ी बनाने की एवज में मजदूरों को 4 से 6 रुपया मिल पाता है। बीड़ी मालिकान की छोटी-छोटी ब्रांचेज हैं जो यह काम कराती हैं। मजदूर को पहिले बीड़ी बनाने के लिए पत्ता लाना पड़ता है, उस पत्ते को छांटना है, रात को भिगोता है, सुबह उठकर उसको लोहे की पत्ती से काटता है, फिर उसकी नसें छूरी से साफ करता है कच्ची पत्ती, पक्की पत्ती को अलग-अलग करता है गली, सड़ी हुई पत्तियों को छांटता है' फिर सुखाता है और वह भी इस नजाकत से कि गीले टाट से बन्द कर दिया जाता है, ताकि न ज्यादा गीला हो न सूखा। अगर पत्ती सूख गई तो इसकी कीमत उस मजदूर को देनी पड़ती है। जो तम्बाकू लेकर वह आया है, मसलन, एक हजार बीड़ी में एक कि0 ग्रा0 लगनी है और अगर 100 ग्राम ज्यादा लग गई तो उसकी कीमत उसकी मजदूरी से काट ली जाती है और इसके बनाने मे कितनी मेहमत, कितना समय लगेगा, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। अगर बीड़ी की सनद की समाप्त कर दिया जाये तो लोगों की रोटियां नहीं मिलेंगी, बेटियां नहीं ब्याही जायेंगी। मुझे फख्र है कि मैं उस जगह रहता हूं, जहां दोहरी गुलामी थी, आजादी से पहले अंग्रेजों की और उसके बाद नवाबों की, राजाओं की। जब नवाबों की गाड़ी सड़क पर निकलती थी तो नवाबों के महल खास बाग से किले तक बुलन्द दीवार खड़ी कर दी गयी थी, ताकि उनके पीछे रहने वालों पर उनकी नजर जा सके, उनकी आंख उन लोगों पर न पड़े जो नंगे हैं, भूखे हैं। जबरन मासूमों की असमत महलों में लूट ली जाती थी, तो श्रीमन्, मैं उस शहर से ताल्लुक रखता हूं, जहां बीड़ी बना कर अपनी बेटियां ब्याहते हैं, 16, 17, 18 साल तक की लड़कियां अपने खुद दहेज तैयार करती हैं। ऐसे ही

रामपुर अमरोहा, बरेली, शाहजहांपुर है, जायस है, इलाहाबाद है जहां सिर्फ बीड़ी का काम होता है । अगर इस सनद को फरोज नहीं दिया जायेगा तो जब

(हंसी)

मजदूरों के दुःख की बात होती है तो सत्ता पक्ष की ओर से कहकहे निकाले जाते हैं । मैंने किसी पार्टी की बात नहीं कही थी, मैंने तो बीड़ी मजदूरों की तकलीफ बयान की थीं और हमारे कांग्रेसी साथी ने कहकहे लगाये, इसी से हम अन्दाजा कर सकते हैं कि हमारे साथियों में कितनी हया है ....

श्री अधिष्ठाता—

आप जजबात को उभारने की कोशिश न करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, इस तम्बाकू की बू से 80 प्रतिशत लोगों को टी0 बी0, दमा हो जाता है ठीक उसी तरह से जैसे टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले मजदूरों को हो जाता है । हमारी यह सरकार एक हजार बीड़ी पर एक पैसा मजदूरों का काटती है, चिकित्सा के लिए । हमारे यहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, शाहजहांपुर में, जायस में, इलाहाबाद में, किसी जगह किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई डाक्टर नहीं है । तो जरूरत इस बात की है कि इसको प्रोटेक्शन होना चाहिये और जो मैंने उस दिन भी कहा था कि पूर्वी प्रदेश और पश्चिमी प्रदेश के मजदूरों में जो असमानता है, पूर्वी प्रदेश के मालिक 4 रु0 और पश्चिमी प्रदेश के मालिक 6 रु0 प्रति हजार देते हैं और होता यह है कि वे पश्चिमी प्रदेश से माल लाने के बाद बीड़ी पूर्वी प्रदेश में बनवाते हैं और उसके बाद बनी हुई बीड़ी आती है दोहरा बोझ मजदूर पर पड़ जाता है लिहाजा वह मजदूर जो एक हफ्ते में दो रोज काम करता है और एक महीने में 8 दिन काम करता है जैसा कि शक्कर की मिल में काम करने वाले एक मजदूर को तीन महीने की तन्ख्वाह मिलती है और बीड़ी का मजदूर 8 दिन एक महीने में काम करने के बाद उसके पैसे को खाता है और शक्कर का मजदूर तीन महीने के पैसे को खाता है । पूर्वी प्रदेश के मजदूरों और पश्चिमी प्रदेश के मजदूरों में जो फर्क है उसे खत्म किया जाय ।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझावों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं । मान्यवर, बच्चे हमारे देश और प्रदेश में काफी तादात में काम करते हैं और हमारे मंत्री जी ने चाइल्ड लेबर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है । 1982 में पहली बार इंग्लैंड में इस सिलसिले में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि बच्चों से काम न लिया जाय और केवल उन्हीं बच्चों से काम लिया जाय जो मजबूरन लाजिम हो मसलन कोई विधवा औरत है, उसके छोटे–छोटे बच्चे हैं तो जाहिर है कि वह बच्चा काम करेगा लेकिन वह कितने समय तक काम करेगा और उसे क्या दिया जायेगा उसके बारे में तय किया गया था लेकिन अगर आप यहां के आंकड़े देखें तो 1978 में 16 लाख 25 हजार बच्चे इस प्रदेश में काम कर रहे थे और इसमें 92 परसेंट वह बच्चे हैं जो गांवों से ताल्लुक रखते हैं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ

[श्री मुहम्मद आजम खां--]

लाना चाहूंगा कि आप चाइल्ड लेबर की तरफ ध्यान दें और आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कि जब तक हम अपने प्रदेश के लोगों में मजदूरों के लिए हमदर्दी और इज्जत का माहौल नहीं पैदा करेंगे तब तक मजदूरों की भलाई नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे आप नसबन्दी का लिटरेचर बांटते हैं, नफरत और साम्प्रदयिकता को दूर करने के लिए लिटरेचर बांटते हैं उसी तरह से आप जब तक मजदूरों और मालिकों के भेद को, ऊंचे और नीचे वर्ग में जो खिचाव है जब उसको दूर करेंगे तभी यह खत्म हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहां लेबर बोर्डस हैं उनमें तमाम मुकदमें पेन्डिग पड़े हुए हैं। यह जिला स्तर से मंडल स्तर पर जाता है जिससे इसमें बहुत वक्त लग जाता है इसलिए जैसा कि कहा गया कि स्पेशल कोर्ट्स खोले जायेंगे तो मैं यह चाहता हूं कि स्पेशल कोर्ट्स खोलने का जो सरकार ने फैसला लिया था वह फैसला जल्दी अमल में आ जाय और इसमें मेरा सुझाव यह है कि जो सेंसेटिव एरिया है वहां पर किसी हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई कोर्ट का जज अगर नियुक्त कर दिया जाय तो वही जज वहां पर इंक्वायरी करे और उन मुकदमों का फैसला करे।

एक बात मैं लेबर कालोनीज के बारे में कहूंगा। लेबर कालोनीज के सिलसिले में मैं कह चुका हूं कि जो लेबर कालोनीज बनी हुई हैं उनको खाली कराया जाय और नई कालोनीज भी बनाई जायं और जिन मजदूरों को यह मकान दिया जाय उनकी तन्ख्वाह से छोटी-छोटी दरों में पैसे काटकर वह मकान उनके नाम कर देना चाहिए ताकि नौकरी छोड़ने के बाद उन मजदूरों को फुटपाथ पर न जाना पड़े। इन्हीं सुझावों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

[समय 2 बजकर 48 मिनट]

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत श्रम बजट के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई आजम खां हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं और मैं भाई आजम खां की बड़ी इज्जत करता हूं लेकिन जब भाई आजम खां बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वे गेट मीटिंग में भाषण कर रहे हैं, असेम्बली में नहीं बोल रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने आजम खां कहा, जब कि उनका सही नाम आजम खाँ है। कम से कम उनका नाम तो ठीक से लिया करें।

श्री राम नारायण पाठक--

उर्दू में डब्बल मीटिंग होती है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय मंत्री जो सुझाव दे रहे हैं कि पहले ही उन्होंने टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी ।

श्री राम नारायण पाठक—

मान्यवर, मैं एक बात अदब के साथ अपने भाई आजम खां से कहना चाहता हूं कि जो मेरे स्मगलर के यहां खाने की बात उन्होंने कही, अगर इस हाउस के बाहर कहे होते तो उनको ज्यादा आनन्द आता । इस तरह की बात सदन में एक तरह से सदन का सही इस्तेमाल नहीं कहा जा सकता कि जो मन में आवे वह कह दिया जाय यह सोच कर कि सदन में बोलने पर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यही बात अगर वे हाउस के बाहर कहते तो शायद उनको इस का अन्दाजा लग जाता कि इस तरह की बात कहां कहनी चाहिये और कहां नहीं कहनी चाहिये ।

अब मैं आपके सामने श्रम बजट के विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूं । 1981–82 में देश में जो औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिये त्रिदलीय सम्मेलन हुआ तथा जो बाई पार्टीइट मीटिंग्स हुई, उनके द्वारा मजदूरों की समस्याओं को हल किया गया और उससे इस प्रदेश में औद्योगिक शान्ति बनी रही । त्रिदलीय सम्मेलन द्वारा बहुत से उद्योगों में मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ायी गयीं, जिनमें कपड़ा उद्योग है, इंजीनियरिंग है, केमिकल है, शुगर है, चमड़ा उद्योग है और कई उद्योगों में उनकी तनख्वाहें बढ़ीं और उनकी तनख्वाहें बढ़ाने में हमारे साथियों के साथ आपके भी सारे साथी थे जिनका जिक्र दीक्षित जी ने किया, कि उनके हरदिल अजीज दोस्त हैं, मुझे अफसोस है कि जब त्रिदलीय सम्मेलन में, बाई पार्टीइट मीटिंग के द्वारा यह सब हुआ, तो अगर उनको कंडम करने का उनका विचार था, तब तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है लेकिन सवसम्मति से मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ायी गयी हैं ।

इस सरकार ने सफाई मजदूरों के सम्बन्ध में जो किया है, उनके जीवन को ऊंचा उठाने व उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिये वह बहुत ही सराहनीय कार्य है । 1981–82 में मजदूरी की दरें जो न्यूनतम वेजेज अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 22 अनुसूचित नियोजनों की मजदूरी दरों का निर्धारण और पुनरीक्षण हुआ जिसकी जानकारी शायद भाई आजम खां को नहीं थी इसलिये वे बोल गये । वह मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत आज तक कभी भी न्यूनतम वेतन का निर्धारण इतना नहीं हुआ है जो इस बार किया गया है ।

वृद्धावस्था पेंशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत ठोस कदम उठाया गया है और अब पेंशन की राशि जो पहले 50 रु0 थी उसे 60 रु0 कर दिया गया है । बंधुआ मजदूरों के बारे में सभी को जानकारी है कि लगभग 2956 बंधुआ मजदूरों पर 51 लाख रु0 खर्च हुआ और उनको पुर्नवासित किया गया । प्रबंध में जो भागीदारी है अभी जबाव जो दीक्षित जी देंगे तो शायद आजम खां से यही निवेदन करूंगा कि मौजूद

[श्री राम नारायण पाठक--]

रहेंगे तो यह जो भागीदारी है इससे मजदूरों की पारटिसिपेशन इन मैनेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है। बहुत से उद्योगों में उसे लागू किया गया है औद्योगिक शांति को उसे काफी बल मिला है और उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है

मान्यवर, इस वर्ष काफी मामले हल किये गये। गाजियाबाद और मिर्जापुर में असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर का पद और उन का दफ्तर कायम किया गया है जिससे वहां का काम तेजी से चल सकेगा। इतना ही नहीं श्रम विभाग में डिसेन्ट्रेलाइजेशन की भी प्रक्रिया चालू कर दी गई है जिससे जहां मजदूरों का कनसेन्ट्रेशन ज्यादा है वहां उनकी बात सुन कर तत्काल उस पर फैसला किया जा सकेगा।

मान्यवर, मैं प्रशिक्षण के बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है उस सिलसिले में कल कारखानों में पूरी कोशिश की गई कि टेक्निकल, हमारे आई० टी० आई० के द्वारा चाहे वह टर्नर हो, फीटर हो, कारपेन्टर हो, स्मिथ हो और तमाम जो हाइली टेक्निकल जाब हैं उन के बारे में शिक्षा दी गई है उत्तर प्रदेश का कोई कारखाने का मालिक यह नहीं कह सकता कि उस के पास इस टेक्निक को जानने वाला आदमी नहीं है। इस के अलावा जो सोफिसटिकेटेड मशीनरी हमारे प्रदेश में आ रही है उन के लिए कारीगर देने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। भारत सरकार द्वारा देहरादून, हलद्वानी, कानपुर, लखनऊ, निगोडा में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है,। हमारी प्रदेश की सरकार ने उन को भवन और जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

मान्यवर, रोजगार के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक मैनपावर प्लानिंग और इम्प्लायमेन्ट जनरेशन काउन्सिल की स्थापना हुई है और उसके साथ लोगों को स्वतः रोजगार दिलाने के बारे में कार्यवाही हो रही है। मैं यही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप देखेंगे कुछ समय में हमारे प्रदेश में काफी लोगों को नौकरी दिलायी जा सकेगी।

मान्यवर, हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष घोषित किया है और हमारे उधर के साथी भले ही उसका स्वागत न करें लेकिन इस प्रदेश और देश के मजदूर उसका स्वागत किए हैं। उसकी जिन्दा मिसाल आप को इससे मिलेगी कि 19 जनवरी को जो भारत बन्द का विरोधी नारा दिया तो मजदूरों ने उस नारे को विफल ही नहीं किया बल्कि हमारे मुख्य मन्त्री के आह्वान पर उत्पादन को बढ़ाया और, श्रीमन्, श्रीमती इंदिरा गांधी और मुख्य मन्त्री के हाथों को इस तरह मजबूत किया। आज यह कोई नहीं कह सकता कि इन प्रदेश का मजदूर विरोधियों के साथ है। इस प्रदेश का मजदूर हम लोगों के साथ है ...

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अधिष्ठाता--

जब तक मन्त्री जी नहीं बैठते आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते, आप तशरीफ रखें...

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, मन्त्री जी बैठ गये । मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप यह कह रहे हैं कि भारत बन्द नहीं हुआ । मैं मानता हूं भारत बन्द नहीं हुआ, दबा दिया, मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत बन्द तो दबा दिया, हरिजन उत्पीड़न क्यों नहीं दबा दे रहे हैं । इनके माने हैं, हरिजन उत्पीड़न करा रहे हैं ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आप तशरीफ रखिये । आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाकर मखौल सा किया है, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम नारायण पाठक--

आपका जवाब देने वाले बहुत से लोग हैं ।

एक सदस्य--

आप यह बता दें कि उस दिन नेशनल हेराल्ड और स्वतन्त्र भारत को छोड़कर कौन सा अखबार छपा था ?

श्री राम नारायण पाठक--

मान्यवर, मैं आखरी बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । हमारे साथी चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज दुनियां के सामने क्या स्थिति खड़ी हो गयी है । आप यह मानकर चलें कि जब-जब इस मुल्क ने गरीबी को दूर करने के लिये तेजी से डेवलपमेन्ट का काम फैलाया पण्डित नेहरू ने किया तो 1962 में चाइना का हमला हो गया, उससे देश की प्रगति रुक गई । सन् 65 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया तो पाकिस्तान का हमला हुआ, जिसमें कि हजारों करोड़ों रुपया सुरक्षा में खर्च किया गया और डेवलपमेन्ट के कार्य रुक गये । इसी तरह से सन् 70 और 72 में बंगला देश की लड़ाई हमारे ऊपर थोपी गई, जिससे कि यहां के सारे डेवलपमेन्ट के कार्य रुक गये और श्रीमती इंदिरा गांधी को हजारों करोड़ रुपये सुरक्षा पर खर्च करना पड़ा ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हमारे पड़ोसी देशों में हथियारों की होड़ हो रही है और जो इन्टर नेशनल साजिश हो रही है, उसकी गफलत में हमको नहीं रहना चाहिये । आप सोचिये कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे । आज इस मुल्क में कितना उत्पादन सुरक्षा के क्षेत्र में मजदूरों ने किया है । आपको ताज्जुब होगा कि बंगाल में जहां कि भारत बन्द का नारा दिया गया था, वहां पर 80 प्रतिशत डिफेंस मजदूरों ने काम किया । बंगाल के श्रममन्त्री ने हमसे कहा कि सुरक्षा विभाग के लोग हड़ताल नहीं करेंगे, वे हमें सहयोग देंगे और इस तरह से उनके 80 प्रतिशत लोगों ने काम किया । मैं आपकी बातों का

[श्री राम नारायण पाठक--]

जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन आग्रह करना चाहता हूं, कि आज इस मुल्क की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि इस मुल्क का मजदूर जानता है कि उसने जो नारा दिया था--आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को वापस लाएंगे, वह सफल हुआ है। इस मुल्क के मजदूरों को यह जानकारी है कि इस मुल्क में वेजेज इरोजन हो रहा है। इससे कोई इंकार नहीं करेगा। यहां का मजदूर जानता है कि यूरोप का जो मजदूर है, उनको हर तरह की सुविधा है, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे यहां के मजदूर की उतनी तनख्वाह नहीं है, सोशल सेक्योरिटी नहीं है, उतना सोशल बेनेफिट नहीं है जब कि वह उनसे कम उत्पादन नहीं कर रहा है, जिसका पैदा किया हुआ माल दुनियां के बाजार में बिक रहा है। यहां का मजदूर जानता है कि हमारी अच्छी तनख्वाह नहीं है फिर भी वह दुनियां के मुकाबले में अच्छा उत्पादन करता है।

हमारे यहां के लाखों लोग, मुसलमान भाई अरब के मुल्कों में गये हुए हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, वे पाकिस्तान को नहीं भेजते हैं, अरब के बैंकों में जमा नहीं करते हैं. उनका रुपया सीधे हिन्दुस्तान में आता है और इस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपया आ रहा है। वे भी मजदूर हैं, हमारे भाई हैं। एक आखिरी बात कहूंगा। भाई आजम खां ने फेमिली प्लानिंग की बात कही। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों का यह नारा है---रोटी कपड़ा और मकान।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यह चौराहे का भाषण कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शांति बनाये रखें।

श्री राम नारायण पाठक--

यह आपका भी नारा रहा कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिन्दुस्तान। लेकिन हुजूर आपने कभी इस पर सोचा नहीं। जहां तक रोटी का सवाल है, उसमें देश आत्मनिर्भर है, जहां तक कपड़े का सवाल है उसमें भी देश आत्मनिर्भर है, लेकिन मकान के बारे में आजम भाई ने कहा था तो उसमें भी अगर हमारी आबादी 36 करोड़ से 40--45 करोड़ ही हुई होती तो मकान भी सबको मिल गए होते, लेकिन हमारी आबादी 70 करोड़ हो गई है। वह कमेटी जिसमें आप भी हैं, जिसका जिक्र दीक्षित जी ने किया, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी घुस गये हैं जो पुलिस को ले जाकर खाली कराना पड़ेगा तो उनको जब आप निकाल बाहर करेंगे, तब मैं आपकी बहादुरी देखूंगा।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, माननीय श्रम मन्त्री जी शायद चले गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह यह न भूलें कि जिस प्रदेश के वे श्रम मन्त्री हैं, वह पूरा देश विकासशील देशों की फेहरिस्त में है। वे यह भी न भूलें कि जब पिछले दिनों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कानकुन कानफरेन्स में आपकी नेता तसरीफ ले गयी तो वहां दुनियां के 22 गरीब से गरीब मुल्कों का एलान हुआ. उसमें आपका मुल्क बंगला देश को छोड़कर सबसे गरीब मुल्क था। आप जिस गरीब सूबे के श्रम मन्त्री हैं, उसमें 5 लाख बोंडेड लेबर दो रु0 से ढाई रु0 रोज कमाता है। देश में 20 घराने जो हैं वह पूंजीपतियों के हैं, जिनमें बिड़ला भी शामिल है, जिनकी एक साल की आमदनी 1980 की आमदनी एक अरब 40 करोड़ रु0 है और इसमें टाटा भी शामिल है, जिसकी 1980 में एक साल की आमदनी एक अरब 8 करोड़ रु0 है। तो बिड़ला एक नम्बर में और टाटा दूसरे नम्बर पर हैं। तो आपकी रेंज बिड़ला से लेकर उस गरीब लेबर तक, जिसकी आमदनी ढाई से तीन रु0 तक बंधुवा लेबर के रूप में जो काम करता है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको सुन लीजिये। आप सब लोग सुबह टोस्ट मक्खन खाते हैं। नीचे का टोस्ट जो गर्म है, वह है पूंजीपति और उसके ऊपर मक्खन लगाई और फिर उसके ऊपर एक सूखा टोस्ट रख दीजिये। तो माखन आप हैं और ऊपर का सूखा टोस्ट लेबर है बीच का मक्खन पिघल कर नीचे टोस्ट में चला जाता है तो वहां पोजीशन आपकी है। आप कैपिटलिस्टों में चले गए।

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जो मजदूर हैं, वे दो तरह से मजबूर हैं। महंगाई की परेशानी में आकर वह दिन व दिन की परेशानियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और इसके लिए एवार्ड तय होता है, उसका कार्यान्वयन न होने की वजह से वह मजबूर हो जाता है और स्ट्राइक का नोटिस देता है, लेकिन उसकी दूसरी मजबूरी है कि उसके घर में इतना पैसा नहीं होता है कि वह दो चार महीने खाना खा सके, क्योंकि वह रोज कमाता है और रोज खाता है। तो दो चार दिन बाद जब घर में बच्चे भूखों मरने लगते हैं तो बीबी चिमटा और तवा खटकाती है और कहती है कि यहां बच्चे भूखों मर रहे हैं, तुमको नेता-गिरी सूझी है और वह मजबूर हो जाता है, तो यह उसकी दूसरी मजबूरी है और वह आपके माध्यम से कैपिटलिस्टों के सामने हथियार डाल देता है और वह मामला समाप्त हो जाता है। तो आप यह काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, अब आप देखें टेक्निकल एजूकेशन, जहां विभाग के विकास का काम है, वह आपके पास है। लेबर वेलफेयर का काम आपके पास है। चाहे कारखाना लेबर हो, चाहे एग्रीकल्चर लेबर हो, चाहे भठ्टे का लेबर हो, चाहे चूड़ी कारखाने का हो या पट्रीज वाला हो, किसी छोटे उद्योग में हो या बड़े उद्योग में हो। यह सारे का सारा लेबर जो हजारों की तादाद में है और करोड़ों की तादाद में उनसे पलने वाले आदमी हैं, उनकी तरफ आप देखते हैं या गिने चुने कैप्टलिस्ट घरानों की ओर आप देखते हैं? आप केवल बड़े घरानों की ओर देखते हैं। यदि आप इतने सारे मजदूरों की तरफ देखेंगे तो आपके सामने सही तस्वीर आजाएगी। चाहे रामपुर का मजदूर हो, चाहे उन्नाव का हो, चाहे मोदी का हो, उसकी जब हड़ताल होती है, उसमें जो रोल आता है, उसके बाद अन्तिम अंकुश आपका ला ऐण्ड आर्डर के नाम पर लगता है और मजदूर के ऊपर डंडा पीटा जाता है। क्योंकि आखिरी क्षण कैप्टलिस्ट ला ऐण्ड आर्डर के नाम पर लेता है। उसकी जिन्दा मिसाल मोदीनगर की है, जिसमें उनका नौजवान नेता शहीद हो गया था। वहां के मजदूरों की हड़ताल हुई आपकी यूनियन और एस0 एम0 एस0 की यूनियन के बीच विवाद का मामला था, दोनों में टकराव था। उनकी हड़ताल हुई, बन्द हुई, मुख्य

[श्री रियासत हुसैन—]

मंत्री जी बीच में पड़े, फैसला हुआ, जिसके फलस्वरूप एक बड़ी धनराशि मोदी को मजदूरों को देनी थी। मोदी ने, आपके नेताओं ने और लोकल पुलिस ने यह परिणाम निकाला कि मुख्य मंत्री जी जब बीच में पड़ गये तो हमें इतना रुपया देना पड़ा, इसलिए इनके पढ़े लिखे नौजवान नेता को समाप्त कर दिया जाए तो आगे वह नौबत नहीं आने पाएगी। तो आप सबकी साजिश से उसका फिजीकल लिक्वीडशन कर दिया गया। तो ला ऐण्ड आर्डर के नाम पर आप लेबर को कुचलते हैं, क्रश करते हैं।

क्या आपने कभी सोचा है कि बीड़ी में लगा हुआ, चूड़ी उद्योग, बर्तन उद्योग में लगा हुआ मजदूर, जूता उद्योग में लगा हुआ मजदूर या खिलौना बनाने के उद्योग में जो मजदूर लगा हुआ है इनके सबके वेल्फेयर के लिए आपने क्या-क्या काम किया है? क्या आपने कभी सोचा इनमें जो नाबालिक बच्चे मजबूर होकर, गरीब मां-बाप की मजदूरी बढ़ाने के लिये, लगे हुए हैं उनको इस विवशता में मजदूरी न करनी पड़े? आपने ऐक्ट तो बना दिया और ऐक्ट तो सब हैं, लेकिन क्या ऐसे ऐक्ट्स को लागू करने की जिम्मेदारी आप पर नहीं किसी और पर है। आप केवल यह सोचते हैं कि कैसे आपके इन्टक का नाम हो, उसका लाभ हो और उसके लीडर्स का काम बने। केवल आप उसी विंग के मजदूरों की बात सोचते हैं और अन्य पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब आप यह बजट मांग रहे हैं तो आप इन्टक के लीडर की हैसियत से नहीं मांग रहे हैं, बल्कि आप पूरे प्रदेश के श्रम मंत्री के रूप में मांग रहे हैं, आपको देखना होगा हर मजदूर को, हर उद्योग के मजदूर का हित हो चाहे वह जिससे एफीलिएटेड हो। यदि वह मजदूर है तो उसके वेल्फेयर की जिम्मेदारी आप पर है। इसलिए आपको इस पर सोचना होगा वरना कोई फायदा नहीं होगा। बहजोई ग्लास वर्क्स में हड़ताल हुई, अन्तिम नतीजा उसका क्या निकला? आपने कानून बनाया कि ले आउट्स नहीं होंगे, लेकिन उसको लेकर आपने कितने कैप्टलिस्ट्स को जेल में भेजा है? नतीजा उसका क्या है? हमारे मुरादाबाद में एक पुतलीघर है, कपड़े का कारखाना है, उसका या उसके जैसे मजदूरों का शोषण हो, तो यदि वह संविधान के अन्तर्गत आपसे कोई सुविधा मांगते हैं, न्याय मांगते हैं, कुछ अधिक मजदूरी मांगते हैं तो इसमें क्या दोष है। राज्य मंत्री जी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान कि आपको चिन्ता है उनकी रोटी, कपड़े और मकान की भले ही आपके प्रधान मंत्री को हो या न हो। बदायूं में क्या हुआ जब कहा गया था कि इंदिरा मइया रोटी दो छोटी दो या मोटी दो, तन ढंकने को लंगोटी दो। कम से कम आपके राज्य मंत्री ने रोटी, कपड़े और मकान की बात तो कही।

लेबर के मामले में आपने एक कानून बनाया कि जिस कारखाने में 500 मजदूर होंगे वहां पर आप एक लेबर वेलफेयर आफिसर नियुक्त करेंगे। मेरा निवेदन है कि इसको आप 250 की संख्या कर दीजिए। इस समय साइंटिफिक एज है और मैकेनाइजेशन का ज्यादा प्रचलन है। जहां पहले 4 लेबर काम करते थी अब इस प्रकार की मशीनें आ गयी हैं कि एक लेबर से ही काम चल जायेगा। 500 की संख्या को आधार मानकर आप बड़े-बड़े कारखानों में ही लेबर आफिसर की नियुक्ति कर सकेंगे।

जहां तक बान्डेड लेबर का प्रश्न है उनके लिए आपकी जिम्मेदारी है। यह आपके 20 प्वाइन्ट्स में बड़ा ही महत्वपूर्ण प्वाइन्ट है। आपने इसको तब माना है जब हरियाणा में कहा गया कि जो इस कानून को नहीं मानेगा उसको पेड़ पर लटकना पड़ेगा।

जहां तक एग्रीकल्चरल फार्म्स की बात है वहां पर अनऔर्गेनाइज्ड लेबर है जो लाखों की संख्या में है, उनको आर्गेनाइज्ड लेबर करने की आपकी जिम्मेदारी है। आप ट्रेड यूनियनों के लीडर हैं उनके लीडर भी बनिये।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। जिस लेबर से आपका ताल्लुक है वह गरीब लोग हैं बिना पढ़े लिखे लोग हैं। मैं मांग करता हूं कि आपके लेबर डिपार्टमेंट में, और जगह को तो छोड़ दीजिए वहां पर जो हरिजनों का परसेन्टेज है उसको बढ़ाइये। भूमिहीन है, गरीब है वही मजदूरी करता है तो सबसे पहला काम आप यह करें कि हरिजनों का परसेन्टेज 18 से भी 2 ऊपर 20 कर दीजिए। यदि आप उनका रिजर्वेशन पूरा कर देंगे तो लेबर के इन्टरेस्ट की बात आपका विभाग सोच सकता है।

मुझे आशा है कि आप फिर बड़े से बड़े से लेकर नीचे तक जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी लीजिए और कृपा करके इन कैपिटलिस्ट्स के लिए मक्खन मत बनिए, कुछ मजदूरों के लिए भी करिए?

श्रीमती पुष्पा चौहान––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय श्रम मंत्री, जगदीश चन्द्र दीक्षित जी द्वारा प्रस्तुत राज्य के हर भाग के विकास को लक्ष्य लिए हुए इस प्रसंशनीय बजट पर बोलने का अवसर दिया। आर्थिक प्रगति का एक मात्र उपाय, उत्पादक वर्ष को सफल बनाने वाले इस सुनियोजित बजट का बड़ी शान से समर्थन करती हूं साथ ही विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत बेबुनियादी प्रस्ताव का मैं घोर विरोध करती हूं प्रदेश का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पर्वतीय हो, चाहे पश्चिमी या पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे बुन्देलखंड का क्षेत्र हो, सभी को प्रगति को ध्यान में रखते हुये यह बजट बनाया गया है। श्रमिकों के कल्याण के लिये, महिलाओं के कल्याण के लिये तथा प्रदेश की उन्नति के लिये तरह–तरह के कदम उठाये गये हैं। श्रमिकों के हित के लिये तरह–तरह की योजनायें बनायी गयी हैं। उनके हित का कोई कार्य ऐसा नहीं बचा है जिसे इस सरकार ने न किया हो सभी बातों पर विस्तार से यहां कहना तो सम्भव नहीं है, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहती हूं कि जहां तक विरोध पक्ष का सवाल है। उनकी कोई नीति नहीं है, उनको कोई काम दिखायी ही नहीं देता। माननीय विरोधी दल के नेता का कहना तो यह है कि हम देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन मान्यवर, व्यवहारिक रूप से उनकी करनी और कथनी में लेशमात्र भी सामंजस्य नहीं है रत्ती भर भी तालमेल नहीं है। उनकी बातें केवल विरोध करने के लिये और कहने के लिये ही हैं।

मान्यवर, हमारी सरकार ने यह वर्ष उत्पादकता वर्ष अर्थात उत्पादन बढ़ाने का वर्ष घोषित किया और उसके लिये प्रयास शुरू किया तथा पूर्णरूपेण

]श्रीमती पुष्पा चौहान--]

कृतसंकल्प है । तो उसी समय विरोध पक्ष वालों ने भारत बन्द का नारा लगा कर यह सरकार के हर अच्छे काम में रोड़ा अटकाते हैं, भले ही उसमें इनको सफलता हाथ लगी या न लगी, भले ही उनके गलत कामों के कारण देश रसातल में चला जाये, इन्हें इसकी कतई चिन्ता नहीं है । इन विरोध पक्ष वालों ने चाहे भारत बन्द के अवसर पर, चाहे किसी चुनाव के अवसर पर, चाहे किसी आन्दोलन को लेकर, चहे भारत बन्द के प्रश्न को लेकर या किसी और बन्द को लेकर जब-जब सर उठाया है, देश की जनता ने उसका करारा जवाब दिया है । 19 तारीख का भारत बन्द जब सफल नहीं हुआ, तो अपनी खीज मिटाने के लिये स्वंय ही यह लोग यह कहने लगे कि हमारा इरादा भारत बन्द का था ही नहीं,उस प्रश्न का इनके पास कोई जवाब नहीं कि उस दिन इनके उंगलियों पर गिन लेने लायक मुट्ठी भर कार्यकर्त्ता भारत बन्द के दिन, दूकानें बन्द करवाते क्यों फिर रहे थे । अगर उनका इरादा भारत बन्द का नहीं था तो यह सब क्यों किया जा रहा था । दूसरी तरफ यह भी उस पक्ष से बार-बार कहा गया कि भारत बन्द सफल हुआ है, गांव-गांव में भारत बन्द सफल रहा है ।

यह विरोध पक्ष दो बातों में बुरी तरह व्यस्त है, एक तो सरकार की बुराई करने के लिए तथा दूसरे कोई दूसरा विकल्प ढूंढ़ने के लिये । विकल्प कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में खरीदी जा सके । न ही यह भानुमती के पिटारे में रखी हुई मिलेगी । इस विरोध पक्ष को कोई विकल्प तब तक नहीं मिलेगा, जब तक इस भारत भूमि पर अटल ध्रुवतारे की तरह जगमगाने वाली हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जीवित हैं और जिनका आज विश्व में अपना स्थान बना हुआ है ।

अभी तो यह डकैतों के ही हिमायती थे, अब तो ये मजदूरों और पिछड़े वर्ग की भी याद करने लगे हैं । मुझको एक कहानी याद आ रही है । एक घोड़ा था और वह रोज नमक की बोरियों को नदी के इस पार से उस पार ढोया करता था तथा आराम से दूसरे किनारे पहुंच जाया करता था । एक गदहा प्रतिदिन इस क्रिया को देखा करता था । एक दिन उसकी बारी आई । उसकी पीठ पर रूई की बोरी लदी हुई थी, चूंकि वह रोज घोड़े को देखा करता था कि घोड़ा रोज नदी में डुबकी लगाया करता था । तो गधे ने कहा कि रोज यह डुबकी लगाता है, तो शुरू में ही नदी में डुबकी लगाई और वह दो कदम भी न चल सका धारा में बहकर डूब गया, क्योंकि उसके ऊपर कपास का बोझा लदा हुआ था । वह वर्ग पैसे से गरीब लेकिन बुद्धि का बहुत धनी है । ये निर्धन वर्ग अच्छी तरह जानता है कि चौधरी साहब के पास आंखों में झूंठी चमक पैदा करने वाली थैली हो सकती है । लेकिन उनके भूखे पेट, डंठों से छिले नंगे पैर की कसक में डूबा हुआ कलेजा केवल श्रीमती इंदिरा गांधी में ही है ।

अन्त में मैं वक्त की कमी के कारण जो कहने को थीं, लेकिन वह कही नहीं जा सकती हैं । इनकी नीति विरोधी है और इनका तो काम ही विरोध करना है । मान्यवर, एक लूले और अपंग ढीले-ढाले विरोधी दल के साथ हमारी सत्ता पक्ष की सरकार को घिसकना पड़ रहा है । मैं अब भी उनसे कहती हूं कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आये, तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता । अभी भी समय है और देश की राजनीति की भलाई के लिए जनता की भलाई के लिए इनको सोचना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का पुनः समर्थन करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री आजम खां द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय श्रम मन्त्री जी का भाषण मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने एक मार्मिक अपील की मजदूरों के हित में कि जहां तक मजदूरों के विकास का सवाल है, उनके उत्थान का सवाल है, उसमें विरोधी दल के लोग उनके साथ सहयोग करें। यह उनकी भावना अच्छी थी। मान्यवर, वह स्वयं मजदूर ट्रेड यूनियन के नेता रहे। उत्तर प्रदेश में उनका एक योगदान है। लेकिन जिस भावना के साथ वह कल तक काम करते रहे आज वह मन्त्री होने के बाद किंचित नहीं रहे, अन्यथा वह शासन की उपलब्धियों में दिखाई देते, तो शायद इनकी बात का असर हम लोगों पर पड़ता।

इनके द्वारा जो आँकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों से मैं यह तथ्य प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा, जिससे कि यह सिद्ध हो जायेगा कि सरकार मात्र घोषणाओं तक ही सीमित है और जहां तक उनके कार्यान्वयन का सवाल है, उसमें केवल एक वर्ष की तुलना कीजिए तो इनके कदम पीछे गये हैं। अभी-अभी वार्षिक कार्य विवरण 1981 प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ जब मैंने देखा और इसका पहला पन्ना खोला। इसके अभ्यास 3 में पहले पन्ने पर दिया हुआ है, जो उन्होंने घोषणा की कि हमने रोजगार के अवसर बढ़ा दिए हैं। लेकिन आखिर में खुद कहते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, जबकि अनुसूचित रिक्त स्थान 67 654 था। 40 हजार लोगों को काम दे सकते हैं। ये 30 हजार स्थान कहां चले गए। किसके पास चले गए, कहां नौकर रखे गये। सेवायोजन कार्यालय का इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी तरह से आप देखें अनुसूचित जाति के बारे में बहुत ऊंची बात कही गई है। इसमें यद्यपि विरदावलि गाई गई है कि इसमें अनुसूचित वर्ग के लोगों को ज्यादा अवसर दिया है। लेकिन मान्यवर, आप देखें कि 1980 में 9,905 और 1981 में 9,443 अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को रोजगार दे पाए हैं। इस प्रकार पिछले साल से इस साल रोजगार देने में कमी हुई और यह पीछे चले गए हैं।

मान्यवर, अभी माननीय बहन जी हमारी बोल रही थीं तो उनके भाषण में महिलाओं पर चिन्ता व्यक्त की गई। मान्यवर, आप आंकड़े देखें तो वर्ष 1981 में 54068 महिला अभ्यार्थियों का पंजीयन सेवायोजन कार्यालय द्वारा किया गया, जिसमें से 2277 महिला अभ्यार्थियों को सेवायोजित कराया गया है। इसलिए शासन की ओर से कोई प्रगति नहीं दिखाई गई है। यही नहीं वर्ष 81 के अन्त में सजीव पंजी पर 89978 महिलायें पंजीकृत हैं।

मान्यवर, राज्य मन्त्री ने जो मजदूरों की हड़तालों के बारे में कहा है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1980 में 192 हड़तालें हुई और 1981 में 254 हड़तालें हुई हैं। अर्थात् आप पिछले आंकड़ों को देखें तो आपके समय में जब मन्त्री जी पहले मजदूरों के आंदोलन को प्रोत्साहन देते थे, लेकिन जब मन्त्री हो गए तो इनके समय में मजदूर और बेचैन हो गया है और इसलिए उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी हो गया है, जिससे आपके समय में हड़तालों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

संख्या बढ़ रही है, चूंकि उसको अपना हक नहीं मिल रहा है। मान्यवर, नियम बनाकर हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मंत्री जी जानते होंगे कि हमारे देश में हड़तालें ज्यादा होने का क्या कारण है। मान्यवर, दूसरे देशों में काले बिल्ले लगाकर, धरना देकर और आमरण अनशन की नोटिस देकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है और उनकी बातों पर ध्यान दिया जाता और हस्तक्षेप होता है। लेकिन देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां जब तक आदमी मरने की कगार पर नहीं आ जाता तब तक शासन हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए हमारे देश में हड़तालें होना एक अंग बनता जा रहा है।

मान्यवर, इसी संदर्भ में राज्य मन्त्री जी ने घोषणा किया था कि प्रबन्ध में भागीदार योजना बनाई है। यह योजना बनी तो लेकिन खास कुछ नहीं है। मैं निजी पूंजीपति की बात नहीं करता हूं, वे तो शोषण करते ही हैं, किन्तु सरकार एक आदर्श सेवायोजक है और उसके नियंत्रण में पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, यदि उनमें भागीदारी नहीं मिलेगी तो पूंजीपति से भागीदारी की बात सोचना व्यर्थ होगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जितने निगम आपके हैं, एक सीमेन्ट निगम को छोड़कर वहां केवल गुप्त बैलट से चुनाव बोर्ड आफ डाइरेक्टर पर हुआ, बाकी में घोषणायें आपकी अपनी जगह सही हैं, लेकिन भागीदारी और किसी अंडरटेकिंग में नहीं किया है।

मान्यवर, आप इसी तरह देखें कि जितने निगम बने हैं, उनको 16 अप्रैल 1975 को माडल सर्विस रूल्स भेज दिये गये हैं। लेकिन मैं जानना चाहती कि क्या एक भी निगम और पब्लिक अंडरटेकिंग हैं, माडल सर्विस रूल्स लागू किये हों। कहीं लागू नहीं किया गया है। इसी तरह नकदीकरण अवकाश की सुविधा किसी निगम में है और कहीं नहीं है। मान्यवर' इसी तरह अभी कर्मचारियों के के लिए वेतन आयोग रिपोर्ट आई। क्या मैं पूछ सकता हूं कि निगम के कर्मचारियों का वेतन आयोग रिपोर्ट कहां है, उसको आप लायें। क्या उसका हो रहा है? उसमें तो यह सरकार सेवा योजक है, अन्डर-टेकिंग्स हैं, मैंने मांग की है कि उन अन्डरटेकिंग्स की रिपोर्ट को लाइये। अभी डेलीवेजेज की बात की जा रही है। आपके सचिवालय में ही राज्य कर्मचारी निगम के अन्दर 2 रुपये रोज पर लड़के काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कहीं कुछ दिया जा रहा है और कहीं कुछ इसी तरह से राज्य परिवहन निगम का 1948 में राष्ट्रीयकरण हो गया परन्तु उसमें भी फुटकर-फुटकर बातें चली आती हैं।

अब सरकार ने घोषणा की है कि दाल, तेल, आटा में मिनीमम वेजेज लागू कर दिया गया है। मैं सीतापुर की बात कर रहा हूं जहां से हमारे मन्त्री जी ने लोक सभा का प्रतिनिधित्व किया है, क्या उनको स्वयं इस बात की जानकारी नहीं है कि अपने अर्ध कुशल और कुशल लेबर में वह डिस्टिंगशन नहीं कर पा रहे हैं?

श्री पाण्डेय का जो एवार्ड है बनस्पति उद्योग के बारे में गाजियाबाद में जो फैक्ट्री है, हमारे सीतापुर में सुहागिन की फैक्ट्री है इन सब में कहीं भी राज मंगल पाण्डेय एवार्ड लागू नहीं हुआ है। अभी सीतापुर में मजदूरों ने हड़ताल की है। वे आपके सामने आने वाले हैं, मैं देखूंगा कि आप क्या करते हैं?

मान्यवर, डेली वेजेज का मामला है, 1974 में आपने उसको 7 रु० घोषित किया था। प्राइस इण्डेक्स निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जो घोषित किया

है, वह मिलता नहीं है, प्राइस इण्डेक्स अलग से बढ़ रहा है । क्या उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है । 1957 में आप जानते हैं कि 15वां सम्मेलन हुआ है उसका निर्णय हुआ कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन दिया जायेगा । क्या कारण है कि हमारी आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन आप लागू नहीं कर सके ?

अब मैं दूसरी बात बतलाना चाहता हूं । मन्त्री जी को जानकारी होगी कि ग्रेच्युटी का मामला जो है । ग्रेच्युटी देने का मानक है कि 15 दिन को मान कर ग्रेच्युटी दी जाती है परन्तु विद्युत बोर्ड में सबसे ज्यादा अन्डरटेकिंग्स हैं वह अभी तक 30 दिन का महीना मान कर ग्रेच्युटी देती हैं । यदि आदमी लड़ेंगे और चले जायेंगे तो आप कहेंगे नहीं, हड़ताल नहीं कर सकते ।

एक जो आपके यहां कैन्सीलेशन की व्यवस्था है उसमें मान्यवर, संराधन अधिकारी के पास मामला जाता है । वह समझौता कराने का प्रयास करता है और यदि समझौता नहीं करा पाता है तो मामले को तथ्यहीन, महत्वहीन कह कर दाखिल दफ्तर कर देता है । तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब संसाधन अधिकारी के पास मामला जाता है तो जब वह मामले को महत्वहीन कह कर दाखिल दफ्तर करता है तो इससे पूंजीपतियों का लाभ होता है, इससे पूंजीपति फलता और फूलता है । महत्वहीन मामला घोषित करने की कोई सीमा होनी चाहिये । मैं मांग करता हूं कि साफ-साफ कि किसी को महत्वहीन और किसी को बलशाली करते हैं ये लोग, यह प्रथा बन्द होनी चाहिये ।

वह समझौता कराने का प्रयास करा रहे हैं । तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त होना चाहिये । एक भी पार्टी अगर व्यथित है तो उसे हक होना चाहिये कि लेबर ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट में जाय । उसके फैसले की एक अपील की व्यवस्था भी होनी चाहिये । अभी तक अपील की व्यवस्था हाईकोर्ट में है, आप जानते हैं कितना खर्चीला है ।

दूसरी बात, प्राइस इन्डेक्स बढ़ाने की जो विधि है, वह दोषपूर्ण है । वेतन आयोग की रिपोर्ट आयी श्री पंचानन राय लड़े, अध्यापक लड़े और 35 रु0 के स्थान पर 150 रु0 तक बढ़ा दिया गया । जिस सिद्धान्त और आधार पर शिक्षकों को सुविधा दे दी उसी आधार पर यह जो हमारे मजदूर हैं नंगे भूखे, इन मजदूरों के वेतन में बढ़ोत्तरी न करने का क्या कारण है । हमारे आजम साहब जब कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे, आजम साहब ने जो मजदूरों की कालोनीज हैं, उनकी चर्चा की । पिछले 15-20 साल से वह रह रहे हैं । आपको भी जानकारी होगी कि उनका किराया अब रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से 1975 से बढ़ा दिया गया । मजदूर उसमें रह रहे हैं, आप उनका किराया 1975 से बढ़ा दें यह ठीक नहीं है । यह सुप्रीमकोर्ट का जजमेन्ट है, हाईकोर्ट का निर्णय है कि ऐसा कोई काम जिसके करने से व्यय पड़ता है, वह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होना चाहिये । अगर किराया बढ़ाना है तो कमेटी बनाइए ।

इतनी गन्दगी है, सीवर व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, नालियां फुल । मजदूर मर रहा है, इसकी व्यवस्था कराइए ।

वृद्धावस्था पेन्शन के सम्बन्ध में मैंने कई बार मांग की है कि यह मिलनी चाहिये । मैं आंकड़ों से साबित कर सकता हूं कि पिछले वर्ष से इस वर्ष कम

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

है । पहले 40 रु0 मिलती थी, फिर 50 रु0 हुई, कम से कम 80 रु0 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन आप कर दीजिये । इसमें इधर या उधर बैठने वालों की बात नहीं है, जो नंगे हैं, भूखे हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी उनकी तरफ ध्यान दें । इसके साथ ही मैं श्री आजम खां द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, मैं माननीय श्रम मन्त्री को 1940 से जानता हूं, वह एक तकनीकी ज्ञान रखने वाले श्रमिकों के नेता के रूप में काम कर रहे हैं । आज उनका जो बजट भाषण सुना यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह अब कृषि पंडित भी हो गये हैं ।

अब वह चने की प्रजातियों, राई और सरसों की जातियों का अच्छा शोध करा रहे हैं और उसके बाद महोबे के पान में भी खोज कर रहे हैं । मान्यवर अब चूना लगाना बाकी रह गया है तो उनसे यह अनुरोध करूंगा कि इसम तरक्की न करें नहीं तो मोहन सिंह जी को बड़ी शिकायत हो जायेगी ।

किसी भी प्रदेश की श्रम नीति के सम्बन्ध में 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं । पहली तो यह कि श्रम शांति होनी चाहिए, दूसरी मजदूरों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति और तीसरी यह कि उत्पादन बढ़ता हो । अब इन तीनों कसौटियों पर श्रम नीति को जब हम कसते हैं तो प्रतीत होता है कि हमारे यहां की श्रम नीति सफल रही है । औद्योगिक शांति को देखें तो पिछले वर्षों में की अपेक्षा प्रदेश में अधिक शांति रही । सामूहिक सौदेबाजी को लें तो आप देखेंगे कि तमाम उद्योगों में श्रम मन्त्री जी ने त्रिदलीय सम्मेलन बुला कर, मजदूरों की समस्यायों वेतन, महंगाई–भत्ते आदि के सम्बन्ध में, महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं और बाजार कर्मचारियों के बारे में भी जिन पर शाप एण्ड कमर्शियल ऐक्ट लागू होता है, जो दूकानों में काम करते हैं, उनके सम्बन्ध में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि बड़े–बड़े नगरों में, महानगरों में एक–एक कमेटी बना दी गई है जो ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में, वेतन पुनरीक्षण और दूसरी समस्याओं के सम्बन्ध में निर्णय करेगी । अब मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि जो यह निश्चय किया गया है उनको शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने की कृपा करें ।

मन्त्री जी ने घोषणा की है कि प्रबन्ध में मजदूरों की साझेदारी होगी । यह प्रसन्नता की बात है लेकिन इसका कार्यान्वयन तेजी से नहीं हो रहा है । मुझे सन्देह है कि अगर इसका कार्यान्वयन तेजी से नहीं हुआ तो इसका भी वही हश्र होगा जैसे पहले एक बार वर्क्स कमेटियां बनने की बात हुई थी और वह नहीं बनी तथा प्रबन्ध में मजदूरों की साझेदारी का प्रस्ताव करना पड़ा...

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, 10 मिनट से ऊपर हो गये, कोरम के अभाव में सदन चल रहा है, क्या यह सही है ?

श्री अधिष्ठाता--

कोरम तो है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, उन्नाव में रैलीज इन्डिया का मामला है, जो सदन में अनेकों प्रकार से उठाया गया, मैं उसके सम्बन्ध में मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि रैलीज इन्डिया में जो कान्ट्रैक्ट लेबर का सिस्टम है उसको अविलम्ब समाप्त कर दिया जाय और इसके साथ ही साथ इस समय तक काम बन्द है, वहां पर साधारण वातावरण पैदा करने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उसमें उत्पादन शुरू हो सके और मजदूर भी आ कर अपना काम कर सके। कानपुर में बहुत से कारखाने बन्द पड़े हैं, उनके मजदूर साल-साल भर से, 6-6 महीने से बेकार पड़े हैं, उनके जीवन-यापन की समस्या पैदा हो गई है। इस लिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस बात का प्रयत्न करें कि जो कारखाने काफी समय से बन्द पड़े हैं और मजदूर बेकारी के आलम में पड़े हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाय, कारखाने खुलवाने के लिए सरकार की ओर से पहल होनी चाहिए।

समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, और सभी माननीय सदस्य जो मजदूरों की समस्याओं से सम्बन्धित हैं उन्हें इस बात की जानकारी है कि अनेकानेक कारखानों में बोनस का भुगतान नहीं हुआ है और इस सिलसिले में वहां के मजदूरों को आन्दोलन करना पड़ता है कल भी जूट मिल के मजदूरों ने कानपुर में ऐसा ही एक प्रदर्शन किया था तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जब बोनस के लिए एक कानून बना हुआ है तो जो मिल मालिक इस कानून का पालन नहीं करते हैं और मजदूरों को बोनस नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा चलाने की पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कई ऐसे कानून हैं जैसे पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट यह बहुत पुराने कानून हैं इसमें कुछ सामयिक परिवर्तन होने की आवश्यकता है। एक दिन माननीय मन्त्री जी ने प्रश्नों से उत्तर के दौरान यह कहा था कि यह केन्द्रीय सरकार का कानून है और इसमें परिवर्तन केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जा सकता है तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस समय राष्ट्रीय स्तर पर श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन होता है उस समय ऐसे प्रश्न जो कि समय-समय पर उठाने की आवश्यकता है, वह अपनी ओर से उठायें जिससे मजदूरों का बहुत भला होगा।

मान्यवर, मन्त्री जी ने इसके अतिरिक्त प्राविधक शिक्षा का भी बजट आज प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जो आई0 टी0 आई0 हैं, उनमें जो ट्रेड चलते हैं, समय-समय पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए और अच्छे ट्रेडों की जगह-जगह पर बढ़ा कर उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मान्यवर, प्रायः प्रदेश के सभी जिलों के केन्द्रों में पालीटेकनिक हैं लेकिन उन्नाव जनपद में कोई पालीटेकनिक नहीं है इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्नाव जनपद में भी एक पालीटेकनिक खोला जाय। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे जिले में प्रदूषण बहुत फैल रहा कुछ ऐसी फैक्टरीज हैं जिनका पानी नाले के रूप में मैदानी क्षेत्रों में आता है और उससे पंगुता की बीमारी फैलती जा रही है। गवर्नर साहब तो वहां जा कर देख भी चुके हैं, अतः मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसे कल

[श्री भगवती सिंह विशारद--]

कारखानों में पानी के निकास के लिए बन्द नालों की या कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे जन-जीवन में उसका बुरा प्रभाव न पड़े। यह प्रदूषण उन्नाव जिले से कानपुर जिले में पहुंच गया है और यह प्रदूषण कानपुर के लेबर विभाग में भी पहुंच गया है और श्रम विभाग बजाय मजदूरों की समस्यायों पर विचार करने के उद्योगपतियों की समस्याओं पर विचार करने लगा है। इस बात को इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि अगर रैलिस इन्डिया के मामले में लेबर डिपार्टमेन्ट ने पहल की होती तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। अन्त में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से अन्य जगहों पर मजदूरों को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यवाही की जा रही है उसी तरह से उन्नाव जनपद में भी मजदूरों की सुख सुविधा के लिए कार्यवाही करें।

धन्यवाद।

(समय 3 बज कर 50 मिनट)

श्री मित्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मुहम्मद आजम खां द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, श्रम विभाग का जन्म इस लिए हुआ है कि किसी देश के श्रमिकों के बारे में कुछ ऐसे कार्यक्रम और नीतियां अपनाई जाये कि उनका कल्याण होगा लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जितनी भी सरकारों के श्रम मन्त्री हुए वह या तो बेशर्म निकले या उन्होंने श्रम के महत्व को समझा नहीं। श्रीमन्, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी कहीं कोई मान्यता रह ही नहीं गई है।

और श्रीमन्, इस देश का श्रम विभाग और हमारे श्रमिक जिस देश की रीढ़ हैं, पूरी देश की अर्थव्यवस्था श्रमिकों के कन्धों पर खड़ी है, वह श्रमिक इतना उपेक्षित है कि इनका विभाग भी ऐसा लगता है कि श्रमिकों के लिए नहीं है बल्कि पूंजीपतियों के पोषण के लिए बना है। जो मजदूरों का रक्षक होना चाहिए था वह पूंजीपतियों का रक्षक हो गया। मजदूर उपेक्षित हो गये और यह हमारे श्रम मंत्री जी जो श्रमिकों के हित के कानून बनाने के सबसे बड़े दावेदार हैं वह पूंजिपतियों की दावतें खाने लगे। नतीजा यह निकला कि हमारा मजदूर तबाही और बरबादी के कगार पर पहुंच गया है। जब तक इस जिन्दगी को लेकर वह मैदान में नहीं उतरता तब तक यह सरकार सुनने वाली नहीं है। वह अपनी भूख की ज्वाला को लेकर के सड़क पर उतरे तब इस सरकार के कान में जूं रेंगता है। यहां तक देखा गया है कि इनकी कोई नीति नहीं है। श्रमिकों के बारे में, श्रमिकों के बारे में कोई प्लानिंग नहीं है। यदि यह योजनाबद्ध होते, तो महंगाई के साथ साथ तो उनके वेतन और न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोत्तरी करते। जब मजदूरों की मजदूरी महंगाई के साथ नहीं बढ़ेगी तो नतीजा होगा उनका शोषण होगा और शोषण के खिलाफ मजदूर लड़ेगा, क्यों कि वे समझते हैं कि हमारे भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं। जब वह उसके अनुकूल आचरण करता है तब सरकार के सामने कानून व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होता है। मजदूरों के पैर टूटते हैं तब कानून व्यवस्था का प्रश्न बन जाता है तो यह नतीजा होता है जैसा श्रमिक असंतोष प्रदेश के विभिन्न श्रमिक संस्थानों में बदस्तूर बना हुआ है। श्रीमन, श्रमिक असंतोष को रोकने के लिए आज तक कोई योजना नहीं बनाई गई। एक चीज यह कहते हैं कि हम त्रिदलीय सम्मेलन के जरिये समस्याओं का निदान करा रहे हैं। बहुत से ऐसे कानून इन के बने हुये हैं। आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली बात है। कहीं निचले स्तरों में न्यूनतम वेतन भी लागू नहीं है। अभी हमारे माननीय सदस्य राजेन्द्र गुप्त जी कह रहे थे। अभी हमारे सचिवालय में ही ऐसे मजदूर हैं कि उनको दो रुपये

मजदूरी मिलती है चाहे वह ठेके पर हो या विभाग की तरफ से हो । नीचे स्तर से ले कर ऊपर स्तर तक मजदूरों की मजदूरी में, न्यूनतम वेतन में और बन्धुआ मजदूरों में ऐसी असमानता है कि जैसे लगता है कि उनकी जो प्राथमिक आवश्यकतायें हैं वे पूरी नहीं हो पा रही हैं ।

इसी तरीके से मान्यवर, जो माननीय श्रम मंत्री जी के पास जो टेक्निकल कालेजेज हैं उनकी स्थिति क्या है ? एक तो सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि जो हमारी आवश्यकतायें हैं उनके अनुसार उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जैसे सुई बनाने की जरूरत है , कपड़े की जरूरत है या दूसरी चीजों की जरूरत है , हमारी जिन्दगी की उपभोग की जो चीजें हैं उनके अनुसार उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए । दूसरी बात ट्रेनिंग से निकल कर उनके लिए कुछ प्लानिंग होनी चाहिए । जितने ट्रेनीज निकले उनको हम खपा सकें । इस प्रकार की कोई योजना इस सरकार के पास नहीं है । आज तक किसी प्रकार ऐसी योजना नहीं बनाई गई है । जो हमारे कारखानों में माल तैयार हो रहा है उसकी खपत कहां होगी, जो हमारे विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनीज निकल रहे हैं उनके रोजगार का प्रबंध कहां होगा, इसकी कोई योजना नहीं है । इससे एक बेकारी पैदा होती चली जा रही है और बेकारी इस स्तर तक पहुंच गयी कि देश के अन्दर दो करोड़ लोग बेकार हो गये हैं । उनमें बहुत से ट्रेंड लोग भी हैं । कानपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे सुल्तानपुर का टेक्निकल कालेज हो, चाहे और कोई ट्रेनिंग कालेज हो आज वहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है भाई-भतीजावाद है ।

कानपुर विश्वविद्यालय के बारे में नामालूम कितने पम्पलेट्स छपे, वहां के कुलपति के विरुद्ध और सचिव के विरुद्ध । सरकार उससे कोई अलग नहीं है । सरकार को इसकी जानकारी न हो । ऐसी बात नहीं है लेकिन सरकार उसमें कुछ करने में असमर्थ है । यह चीज देखने की है कि मंत्रिस्तर तक यह बात पहुंच गयी है, उसे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । लेकिन जो हमारे ट्रेनिंग देने वाली संस्थायें हैं उनमें भाई-भतीजावाद व लूट खसोट जितना हो रहा है, अगर उसकी जांच विभागीय स्तर से हट कर अलग से जांच करायी जाय तो बहुत स्पष्ट रूप से सारी बातें सामने आ जायेंगी । इन शब्दों के साथ में कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

नियम यह है कि कोई प्रबन्धक या प्रबन्ध समिति का सदस्य अपने किसी रिश्तेदार को उस संस्था में सर्विस नहीं दे सकता है जिसमें वह स्वयं हो । यह चीज देखने में आयी है कि अपट्रान के प्रबन्धक ने स्वयं अपने ही लड़के को वहां सर्विस दे रखी है ।

श्री रामयश सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम के बजट पर बोलने का अवसर दिया है । मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय श्रम मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह सामयिक बजट है । परन्तु एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि इस बजट में जो धनराशि दी गयी है वह

[श्री रामयश सिंह—]

बहुत ही कम है । क्योंकि यह प्रदेश बहुत बड़ा है इसकी समस्यायें भी बहुत हैं । श्रम विभाग की जागरूकता तथा माननीय श्रम मंत्री जी और माननीय राज्य श्रम मन्त्री जी के इनके प्रयत्नों से ही प्रदेश के अन्दर औद्योगिक शान्ति दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बहुत अच्छी रही । जहां तक भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही संस्थाओं में कार्य दिवसों की क्षति का सवाल है, वहां राजनीतिक हड़तालें होने से तो कार्य दिवसों की बहुत क्षति हुई ।

जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार के कारखानों का सवाल है, वहां नातजुर्बेकार अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी उदासीनता और हठवादिता के कारण ही मजदूरों की समस्याओं का समाधान न करने की वजह से तमाम कार्य-दिवसों की हानि हुई है । पंडित जवाहर लाल नेहरू जो जब इस देश में पब्लिक सेक्टर लाये थे तो उन्होंने यह आशा की थी कि देश के पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के सामने एक आदर्श उपस्थित करेंगे । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज पब्लिक सेक्टर में जो उत्तर प्रदेश सरकार के कारखाने हैं, उनमें मजदूरों की जो समस्यायें हैं, अधिकारी उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और इस वजह से कार्यदिवस की हानि हुई है । जहां तक वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात है आर्डिनेंस के जरिये प्रदेश की सरकार ने लागू की है इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं परन्तु जो गुप्त मतदान की प्रणाली डाली जा रही है । उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे औद्योगिक शान्ति को खतरा है, पैदा हो जायेगा क्योंकि जो यूनियन चुनाव हारेगी वही मजदूरों की नाजायज मांगों को लेकर हड़ताल करने की कोशिश करेगी । इससे और अधिक कार्यदिवसों की क्षति होगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पता नहीं कि माननीय श्रम मन्त्री जी तथा श्रम विभाग को इस बात की जानकारी है या नहीं कि तमाम यूनियनों ने श्रम विभाग में बोगस मेम्बरशिप वार्षिक विवरण के माध्यम से दिखाया है । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इसकी आप जांच करायें तथा उसकी रोकथाम के लिये जरूरी है कि आप चेक-अप सिस्टम लागू करें जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने की है । वहां पर चेक-अप सिस्टम लागू है जो कि बहुत ही सफल वहां पर हुई है । चेक-अप सिस्टम में मजदूर जिस यूनियन का सदस्य होता है वह मैनेजमेंट को लिखकर यह देता है कि मैं अमुक यूनियन का सदस्य हूं, वह सदस्यता शुल्क उसकी तनख्वाह से ही कटकर यूनियन के फन्ड में चली जाती है । इस प्रकार गुप्त मतदान प्रणाली को समाप्त करके जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने चेक-अप प्रणाली अपनाई है, उसी तरह से यहां भी चेक-अप प्रणाली लागू कर लें । इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि औद्योगिक अशांति का खतरा दूर हो जायेगा और बोगस मेम्बरशिप भी समाप्त हो जायेगी ।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मन्त्री ने यह वर्ष 1982 का उत्पादकता का वर्ष घोषित किया है । इसको इस प्रदेश के मजदूरों ने इन्टक के नेतृत्व में भारत बन्द के नारे को विफल ही नहीं किया है बल्कि उस दिन और दिनों की अपेक्षा उत्पादन बढ़ा कर प्रधान मन्त्री जी की घोषणा को साकार किया है । मैं अपने माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वे मालिकों के बजाय मजदूरों के अधिक निकट हैं । उन्होंने मालिक और मजदूर झगड़े में हमेशा मजदूरों का पक्ष लिया है और यही कारण है कि

मजदूरों ने मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिये इन्टक के नेतृत्व में 19 तारीख के भारत बन्द के नारे को विफल कर दिया ।

एक और बात में विपक्षीय वार्ता के सम्बन्ध में, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, कहना चाहता हूं । एक द्विपक्षीय समिति में मैं भी हूं और मैंने उसको देखा है कि दोनों पक्ष मालिक और मजदूर आपस में बैठकर तय कर लेते हैं । इसी तरह से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को सन् 1973 से एक समिति चल रही है, वह काफी सफल चल रही है । सब लोग आपस में बैठकर फैसला करते हैं । इससे औद्योगिक शांति कायम रहती है ।

इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मन्त्री, श्रम मन्त्री एवं माननीय श्रम राज्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके हस्तक्षेप से 22 उद्योगों के मजदूरों की तनख्वाह में बढ़ोत्तरी जैसे चीनी उद्योग में, चमड़ा उद्योग में हुई । मोदीनगर का सवाल एक माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया है । मैं कहना चाहता हूं कि मोदीनगर में आज जो प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है वह बेमिसाल है । आई० एन० टी० यू० सी० के कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर जाने से रोका जाता है, उनको मारा-पीटा जाता है, उनकी टांगें तोड़ दी गई हैं, उनको अपंग बना दिया गया है । मान्यवर, मोदीनगर में जय प्रकाश की हत्या के सम्बन्ध में स्वयं जार्ज फर्नांडिज ने कहा कि जय प्रकाश की हत्या में मोदी का हाथ हो सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर 4 इन्टक के लोगों का मर्डर हुआ है और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उसमें विरोधी लोगों का हाथ था । लाठी-डंडे के बल पर इन्टक के शांत प्रिय मजदूरों को काम पर जाने से एच० एम० एस० के गुन्डों द्वारा रोका जाता है और इस तरह से 4 आदमियों को जान से हाथ धोना पड़ा है । आई० एन० टी० यू० सी० के लोगों के 200 मकानों को लूट लिया गया है, मकानों को लूटा जाता है, उनको काम पर नहीं जाने दिया जाता है । इस सम्बन्ध में मैंने सरकार का ध्यान तथा प्रशासन का ध्यान बार-बार आकर्षित किया है और मन्त्री जी से भी बार-बार कहा कि इसके लिये आप विधान सभा सदस्यों की एक कमेटी बिठा दें जो इन सारे मामलों की जांच कर लेगी और सारे फैक्ट्स की जांच करने के बाद उसका निराकरण कर लें । लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि उन शांत-प्रिय मजदूरों को प्रशासन और एच० एम० एस० के लोगों ने इतना परेशान कर दिया है कि वे भूखों मर रहे हैं इन्टक के शांत-प्रिय मजदूर 30 जनवरी से आमरण अनशन न्याय के लिये कर रहे हैं और आज यह स्थिति है कि 15 मजदूरों को जेल में डाल दिया गया है ।

मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार तुरन्त उसमें हस्तक्षेप करें । जहां तक विपक्षी पार्टियों का यह कहना कि सरकार इंटक का फेवर करती है वह बिल्कुल गलत है । मैं कहता हूं कि 30 जनवरी से मोदीनगर में अनशन हो रहा है, वह केवल न्याय को मांग कर रहे हैं इंटक के लोगों की मांग है कि हमारे जो मकान छीन लिये हैं और लूट लिये हैं उन्हें हमें वापस दिलाया जाय, हमें काम पर जाने में सुरक्षा प्रदान की जाय । हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं कि सुरक्षा की गारंटी होगी ।

लेकिन मैं देख रहा हूं मोदीनगर में जो घटना घटी है वह प्रदेश में कहीं नहीं हो रही है । यहां पर गलत लांछन लगाया जा रहा है आज जितनी भी

[श्री रामयश सिंह---]

फैक्ट्री हैं उनमें इंटक के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। छितौली फैक्ट्री में इंटक के 8 आदमियों को डिसमिस किया गया है जिसमें वहां के इंटक के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी भी हैं, पंजाब शुगर फैक्टरी, रामकोल, देवरिया में इंटक के जनरल सेक्रेटरी को डिसमिस किया गया है। बाराबंकी में टैक्सटाइल फैक्ट्री में आई0 एन0 टी0 यू0 सी0 के लोगों को निकाला गया है। अभी 11 जनवरी को परतापुर कताई फैक्ट्री में जिसमें जार्ज फरनांडिस गये थे इंटक के लोगों को लाठी-डंडों से मारा और गोली चलाई। 19 जनवरी को मोदी पौन लि0 में इंटक के लोगों को रोका गया। विरोधपक्ष के लोग जनतंत्र की दुहाई देते हैं। परन्तु वे ही लोग इन्टक के शांतिपूर्ण मजदूरों को सताने की कोशिश कर रहे हैं। (लाल बत्ती होने पर) मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

जहांतक टेक्निकल एजुकेशन का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं हरिद्वार, रानीपुर में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का एक बहुत बड़ा कारखाना है वहां पर डिप्लोमा कोर्स के लिए पोलिटेक्निक कालेज खुलना चाहिये। लेकिन माननीय श्रम मन्त्री जी ने जहां-जहां के उदाहरण दिये उसमें हरिद्वार का नाम नहीं लिया है। हैवी इलेक्ट्रिकल का कारखाना होने के कारण वहां टेक्निकल वर्कर्स की बहुत जरूरत है, अगर वहां पर पालिटेक्निकक खुल जाता है तो जो लोग बेकार बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जायेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हरिद्वार में पोलिटेकनिक स्कूल खोला जाय। अन्त में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आप समाप्त करें। मैंने फखरे आलम साहब को बुला लिया है आप बैठें।

श्री रामयश सिंह---

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं तो मैं आई0 टी0 आई0 के बारे में कह रहा था।

श्री अधिष्ठाता---

नहीं। अब आप बैठें, तशरीफ रखें।

श्री फखरे आलम---

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, ख्वाब से बेदार होता है जरा मजदूर अगर, फिर सुला देती है, उसको हुकमरा यह की शाहरी बजट हमारे श्रम मन्त्री जी ने रखा है, यह मजदूरों को दबाने वाला बजट है। इस बजट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, यह बजट टाटा, बिड़ला ने बनाया है। यह बजट ऐसे श्रम मन्त्री की तरफ से आया है जो वर्षों से लेबर लीडर रहे हैं। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि लेबर लाज जो अंग्रेजों के जमाने के हैं, उनको खतम कर आज-सरेनौ लेबर लौज बनाये जायें और उनमें इस बात का ख्याल रखा जाय कि मजदूर को मजदूरी तुरन्त मिल जानी चाहिये, मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने और बोनस बढ़ाने का हक हो। अगर उसे लेबर कोर्ट में जाना पड़े या ट्रिब्यूनल में जाना पड़े और फिर हाई कोर्ट में जाना पड़े तो उसमें बहुत समय लग जाता है। लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल की हालत यह

है कि उनके फैसलों को हाई कोर्ट रद्द कर देता है, उनके 65 परसेन्ट सेट एसाइड हो जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जब 65 परसेन्ट केसेस सेट एसाइड हो जाते हैं तो वह इस काबिल नहीं हैं कि उनको रखा जाय। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को देखें और उसकी जांच करें कि जो मैंने बात कही है, यह कहां तक सच है।

इसलिए इस बात की जरूरत है कि लेबर लाज में अमेन्डमेन्ट नहीं बल्कि उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया जाय और खास कर इस बात का इंतजाम किया जाय कि जो किसी लेबर का फैटल एक्सीडेंट हो जाये, तो ऐसी हालत में उसका जो कम्पन्सेशन दिया जाये, उसमें सरकार की ओर से भी हिस्सा होना चाहिये, वह भी उसमें मुआवजा अदा करे। ऐसा न होने से आज होता यह है कि जब वह लेबर कोर्ट या लेबर ट्रिब्युनल में जाता है और वहां से कोई अवार्ड ले आता है, तो उसके विरुद्ध वह सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और वहां से उसका वह अवार्ड छिन जाता है, वह वहां अपना केस हार जाता है। क्योंकि मजदूर की यह स्थिति नहीं होती है कि वह उसका वहां मुकाबला कर सके। इसलिये सरकार को इस बात का इंतजाम करना चाहिये कि वह उन लोगों को कम्पन्सेशन दे। साथ ही यह इस तरह से असेस किया जाये कि जो कन्सोनेन्स में हो। कन्सोनेन्स में नहीं होगा तो वह बिलकुल नामिनल होगा।

हमारे राज्य मन्त्री ने कहा था कि हमारे लेबर्स अरब कन्ट्रीज को और तमाम गल्फ कन्ट्रीज को जाते हैं और इस तरह से वहां से बहुत सा विदेशी धन हिन्दुस्तान में आता है। चलो मुझे जानकर यह खुशी हुई कि उसको हमारी यह सरकार अच्छी नजर से देखती है कि वह वहां जाये, और पैसा हिन्दुस्तान में भेजे। लेकिन जब वह वहां से पैसा लाता है, वहां से पैसा भेजता है तो कहा जाता है कि जब पैट्रो–डालर्स भेजता है और उसके जरिये से मुल्क में गलत काम हो रहे हैं। तो यह दोनों बातें, एक दूसरे के विरोधी बातें कैसे हो रही हैं? आप उसके पैसे पर तरह-तरह के लांछन लगाते हैं। तो आप यह दुतरफा पालिसी न चलायें, एक तरफा चलायें और उसी पर अमल कीजिये। आपके कहने और करने में बड़ा अन्तर है, उसको आप दूर कर दीजिये। अब मैं आपकी तवज्जह लेबर इंसपेक्टर्स की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो छोटे–बड़े सभी शहरों में होते हैं। लेकिन वह खासकर छोटे स्थानों पर बड़ा शोषण कर रहे हैं, गरीब दुकानदारों को परेशान करते हैं और वक्त बेवक्त पहुंचकर इनसे तरह–तरह से रिश्वत हासिल करते हैं।

मैं अपने जिले बदायूं की बात जानता हूं, वहां का लेबर इंस्पेक्टर मुस्तकिल तौर पर सभी दुकानों से हर माह एलाउन्स लेता है और जो दुकानदार एलाउन्स नहीं देता है, उनके खिलाफ शिकायत करता है, उनका चालान करता है और उनका प्रासीक्यूशन करता है। इन पर, जनता को राहत देने के लिये आपको बहुत बड़ा कन्ट्रोल करने की जरूरत है। इनको आपने बहुत अख्तियारात दे दिये हैं। उसमें करटेलमेन्ट कीजिए, नहीं तो यह बहुत बेकाबू हुए जा रहे हैं। शुगर फैक्ट्री के लेबर की हालत आज सबसे खराब है। कुल 91 शुगर फैक्ट्रीज हैं, लेकिन वहां लेबर तरस रहा है, तड़फ रहा है और मजदूर हाहाकार मचाये हुए है क्योंकि उसको बोनस और तन्ख्वाह नहीं मिलती है। उसको मजदूरी तक नहीं मिली है। मैं अपने बदायूं शुगर फैक्ट्री के बारे में यह बात जानता हूं कि वह

[श्री फखरे आलम--]

का जनरल मैनेजर और स्टाफ मजदूरों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, जो बर्ताव दुश्मनों के साथ भी नहीं किया जाता है। आज ही मन्त्री जी जाकर देखें कि चीनी मिल के गेट के पास मजदूर लेटे हुये अनशन कर रहे हैं और बहुत से मजदूरों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

एक बात की ओर मैं माननीय मन्त्री जी को तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जो छोटी-छोटी उम्र के बच्चे मजदूरी करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ ही खत्म हो जाती है, इसके लिये सरकार द्वारा कानून बनाये जायें। माध्यवर, आप भी देखते होंगे, हम तो देखते ही हैं कि छोटी-छोटी उम्र के बच्चे रिक्शा चलाते फिरते हैं, इसके ऊपर भी सरकार की ओर से रोक लगनी चाहिये।

जहां तक टेक्नीकल एजूकेशन का सवाल है उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी 12 करोड़ है केवल 1135 लड़कों को पढ़ने की सुविधा है। मेरे विचार में टेक्नीकल इंस्टीट्यूटस का और इंतजाम होना चाहिये। प्रदेश में जो हमारे आई० टी० आई० के पालीटेक्नीक्स हैं, उनमें कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं होती है। हमारे जिले बदायूं में जो एक आई० टी० आई० खुला हुआ है, उसकी एडवाइजरी कमेटी का प्रेसिडेंट एक बेपढ़ा हुआ आदमी बनाया गया है। तो आप समझ लीजिये कि नतीजा क्या होगा? मेरी मांग है कि बदायूं में एक पालीटेक्नीक खोला जाय।

इन अल्फाज के साथ इन्कलाबी नौजवान सदस्य मुहम्मद आजम साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो प्राविधिक शिक्षा और श्रम सम्बन्धी बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

इस बजट के सिलसिले में कहने के पूर्व मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सन् 1975-76 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आर्डिनेन्स जारी किया था, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया था कि पावर लूम और हैंड लूम पर फैक्टरी ऐक्ट लागू नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वाराणसी में फैक्टरी विभाग के लोगों को इस आर्डिनेन्स का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोई बुनकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कहीं काम कर लेता है तो ऐसे लोग जो विरोध पक्ष में बैठे हैं, उनको भड़का कर फैक्ट्री मालिकों से नोटिस दिलवा देते हैं। इससे मालिक भी परेशान रहते हैं और मजदूर भी। तो मेरी प्रार्थना है कि इस आर्डिनेन्स की जानकारी वाराणसी के फैक्टरी के लोगों को भी करा दिया जाये।

हमारे माननीय मन्त्री जी एक लेबर लीडर हैं और मजदूरों के विषय में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मेरी अपनी राय है कि चाहे मन्त्री जी हों या विरोध पक्ष के लोग हों जो इतना हल्ला मचाते हैं ये स्वार्थ से बंधे हुये हैं। एक ओर मालिक और दूसरी ओर मजदूर। तो मालिक अपने स्वार्थों को देखता है। अगर विरोध पक्ष के कोई माननीय सदस्य फैक्टरी चलाता हो तो कभी भी वह मजदूरों का समर्थन नहीं करेगा और सदन में दिखावे के लिए और मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित करने लिए चिल्लायेगा। सत्यता यह है कि उनके मन में

मालिक के प्रति श्रद्धा रहती है वे मजदूरों का जितना शोषण कर सकते हैं, करते हैं। इसी प्रकार से यदि सत्ता पक्ष के एक भी सदस्य मालिक होगा तो वह भी मजदूरों का शोषण करेगा। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार की हो जाती है कि मालिक चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का, मजदूरों का वह शोषण न कर पाये। यह बात स्पष्ट है कि अगर कोई साधन विहीन या बेरोजगार होगा तो उसके साथ गरीबी की अन्तिम परिणति होगी। इस स्थिति में जो गरीबी की आखिरी सीमा है, उसमें मालिक शासन द्वारा बनाये गये नियमों को लागू नहीं करेगा, बल्कि उसकी बेबसी का लाभ उठाना चाहेगा।

इस सिलसिले में एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बंधुआ मजदूरी को खत्म किया, उसके लिये कानून बनाया, गरीब व मजदूरों को न्यूनतम मिलने वाली मजदूरी के लिये भी कानून बनाया, पर कहीं-कहीं पर इसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। मजदूर मजबूर होकर कम मजदूरी पर ही काम करने पर विवश हो जाता है। मिर्जापुर के दक्षिण का इलाका और बांदा का मानिकपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काफी गरीब मजदूर रहते हैं और उनकी मजबूरी का लोग फायदा उठा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन कानूनों का कड़ाई के साथ हर जगह पालन कराये। जहां पिछड़ापन होगा वहां लोग इनका फायदा उठायेंगे। बड़े लोग कमजोर और गरीब लोगों की बेबसी का लाभ उठाते हैं। हमें खुशी है कि हमारी नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस सरकार ने इस ओर कदम उठाया है और सरकार जागरूक है और इस पद पर एक जिम्मेदार व्यक्ति को बिठाया है। माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा हमें विश्वास है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जायेगा और कमजोर तथा गरीब वर्ग का फायदा होगा। गरीब मजदूर के पास न साहस होता है, न बुद्धि होती है, न साधन ही होते हैं, इसलिये वह अपने मालिक की मरजी पर और उसकी खुशी पर निर्भर रहता है।

मान्यवर, हमारे विरोध पक्ष के बहुत से साथी जब बोल रहे थे तो मजदूरों का बड़ा समर्थन कर रहे थे, मैं उनसे पूछता हूं कि जब वे इधर बैठते थे, सरकार में थे, तब उन्होंने उनके लिये क्या किया? अगर उन्होंने उस वक्त उनके लिये कुछ किया होता तो अवश्य वे सरकार में बने रहते। उस समय जब करने का वक्त मिला तब तो कुछ नहीं किया और अब खाली शोर शराबा मचाते हैं विरोध पक्ष में बैठ कर। न खुद करते हैं और न हमें करने देते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं मान्यवर, अगर मजदूर सुखी होगा तो उसका दिमाग स्वस्थ होगा और जब उसका दिमाग स्वस्थ होगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा और उसका काम भी अच्छा होगा। अगर मजदूर दुखी होगा, तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन की क्वालिटी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमें खुशी है कि हमारी सरकार मजदूरों के पक्ष में बड़ी गम्भीरता के साथ विचार कर रही है। इस बात का बराबर प्रयास किया जा रहा है कि कहीं पर भी मालिक और मजदूरों का संघर्ष न होने पाये। अगर हमारी सरकार की नीति मजदूरों के पक्ष में न रही होती, तो यह बात सही है कि भारत बन्द अवश्य सफल होता। भारत बन्द असफल हुआ यह इसी बात का द्योतक है कि हमारी नीति मजदूरों के हित में है, उनके पक्ष में है।

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--]

इस समय मान्यवर, पूरे प्रदेश और देश में एक सवाल खड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

क्षमता के मुताबिक दाम दिया जाय या काम के मुताबिक दाम दिया जाय। तो अगर काम के मुताबिक दाम दिये जाने की पालिसी बनाते हैं, तो इससे परिश्रमी लोगों को लाभ तो काफी होगा, परन्तु कमजोर लोगों को इससे लाभ नहीं हो सकेगा।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

अन्त में मैं अपने माननीय श्रम मंत्री महोदय के बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं।

*श्री खैरुल बशर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके मजदूर वर्ग के बारे में और मजदूर की हमारे देश में क्या मजबूरी है, इसके बारे में बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता, हूं। मैं कटौती का जो प्रस्ताव है समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं दो-तीन बातें खासतौर से कहना चाहता हूं।

मजदूरों की जो समस्या है, उसमें उनका सबसे बड़ा मंहगाई-भत्ते का सवाल है, बोनस का सवाल है, वर्क लोड का सवाल है, परमानेंट का सवाल है उनकी जो आवश्यकतायें हैं, क्वार्टर्स एलाउन्स का सवाल है। इन तमाम चीजों को, हमारा जो बजट पेश हुआ है और जो लेबर डिपार्टमेंट है, इसको जब देखते हैं, तो यह पूंजीपति के साथ खड़ा होता है। अंग्रेजों के जमाने में देखा गया था कि पुलिस वाले इक्के वाले को रोका करते थे कि तुम जानवरों को मार रहे हो, जानवरों पर ज्यादती करते हो और आज कल क्या होता है, हमारे यहां पर आदमियों पर, मजदूरों पर जुल्म हो रहा है। जहां पर उनकी मांग का सवाल आता है, तो उनकी मांग को ठुकरा दिया जाता है, परमानेन्ट का सवाल आता है, तो परमानेंट उनको नहीं किया जाता है। आज भी मऊनाथ भंजन में कितने सालों से कितने मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 50 परसेंट मजदूर परमानेंट नहीं हुए। 9 साल से बिजली के डिवीजन में जो काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया है बिजली के अन्दर जो मजदूरों की क्षति होती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज 11 मजदूर बिजली के खम्भे पर से शाक लगने के कारण मर गये और वहां पर इंजीनियर आकर गलत रिपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुआवजा नहीं मिलता।

आज हड़ताल मजदूर क्यों करता है? हड़ताल मजदूरी में, आखिरी हथियार है और हमारे संविधान में उसका अधिकार दिया हुआ है। लेकिन जब कभी भी वह हड़ताल करता है, तो आप उसकी हड़ताल को इल्लीगल, अवैधानिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर देते हैं। आज यहां पर बैठे हुए कुछ लोगों ने बंगाल की भर्तसना की, वहां का मंत्री जाकर मजदूरों के बीच में भाषण देता है। बाटा की हड़ताल 140 दिन चली। पुलिस नहीं गयी, कोई धारा 144 नहीं लगी। आज हमारी सरकार मजदूरों के कंधे पर लाठी, गोली दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। हमारे प्रदेश का आंकड़ा आया है 17 लाख 90 हजार का, हमारे देश के अन्दर सार्वजनिक मजदूर 17 लाख 90 हजार इस प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर 29 परसेंट मजदूर हैं और 17 लाख 90 हजार जो है, वह प्रदेश की जनसंख्या के डेढ़ परसेंट है, जो ऐसे कारखानों में मजदूर कार्यरत हैं और जो आपकी इंडस्ट्री है, उसकी पोजीशन यह है कि पूंजीपति के सहारे चल रही है। मिल में प्रोडक्शन का मतलब क्या है? पैदा क्यों किया जा रहा है? पैदा इसलिए किया जाता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता है कि प्राफिट के लिए। प्रोडक्शन का आधार क्या है? प्रोडक्शन आवश्यकता के लिए है या मुनाफा के लिए है कानपुर में पिछले साल मंत्री जी जानते हैं जे0 के0 रेयान मिल में तालाबन्दी की गयी और हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने उसका समर्थन किया। चाहे लाखों मजदूर भूखें मरें लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारी करेंगे जिससे हमारे उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि 34 साल बाद भी हमारी इंडस्ट्रलाइजेशन में जवानी और उभार नहीं आया और औद्योगिक बच्चा बूढ़ा हो गया है वह संकटग्रस्त हो गया है। इसलिये आपको अपनी पालिसी पर सोचना होगा। मान्यवर, कानपुर में जे0 के0 जूट मिल में हड़ताल है। मंत्री, पाठक जी के संगठन के इंटक के मजदूर वहां आये, पी0 एच0 एम0 एस0 के लोग आये और दूसरे संगठनों के मजदूर आये जो हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांगों को दबाया जा रहा है और मंत्री द्वारा मजदूरों पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम भाग जाओ। लेकिन पूंजीपतियों से आंख मिलाने की हिम्मत सरकार की नहीं है।

मान्यवर, लाक आऊट और स्ट्राइक की बात कही गयी तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल हमने लेबर विभाग की मीटिंग में भाग लिया था कि स्ट्राइक की अलग तालिका और लाक आउट की अलग तालिका बनायें ताकि उससे पता हो सके कि जो मिलों का प्रोडक्शन घटता जा रहा है उसमें कहां-तक पूंजीपति जिम्मेदार हैं। मान्यवर, जब मजदूर स्ट्राइक पर जाता है तो सारे रास्ते बंद कर दिये जाते हैं और यदि श्रम विभाग और सरकार उनका साथ और समर्थन दे तो हड़ताल कभी न हो। मान्यवर, इस सरकार की बेशर्मी का अंदाजा इससे हो सकता है कि मजदूरों की हड़ताल पर बंदिश लगाने के लिये एसेंशियल सर्विस आर्डिनेन्स लाकर हड़ताल पर रोक लगा दी गयी है और कहा गया है कि प्रोडक्शन का साल है। इसलिये मजदूरों पर हमले की तैयारी है और श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश को धरातल में ले जायेंगी। दुनिया में इससे बुरी सरकार नहीं होगी। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखते हुये श्री मुहम्मद

[दामोदर शर्मा—]

आजम खां ने जो मजदूरों की हमदर्दी की बात कही वह उनकी आत्मा की आवाज नहीं थी और जब वह हमदर्दी की बात कह रहे थे तो मैं महसूस कर रहा था कि वह मजदूरों की आवाज नहीं बल्कि नवाबों की सी आवाज उनसे निकल रही है।

मान्यवर, देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने "श्रमेव जयते" और उत्पादन वर्ष का नारा दिया है। हम उनके नेतृत्व में, हमारे मुख्य मन्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों की, चाहें इंटक का मजदूर हो या पी0 एच0 एम0 एस0 या मोदी नगर एच0 एम0 एस0 यूनियन का मजदूर हो, हड़तालों से 20 हजार मजदूर जो बाहर किये गये थे उनको हमारे मुख्य मन्त्री की सरकार ने अन्दर किया है और काम पर वह लिये गये हैं। मान्यवर, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने जो कहा है यह सरकार मजदूर विरोधी है तो मैं दावा करता हूं कि जो आज विपक्ष में बैठे हैं उनके समय में स्वदेशी काटन मिल में गोली चलायी गयी थी, पन्त नगर यूनिवर्सिटी में गोली चलायी गयी थी जो जांच रिपोर्ट से साबित हो गया है कि उस समय की सरकार ने मजदूरों पर किस तरह से गोलियां बरसाई थीं और आज वह मजदूरों के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। जनता शासन में मजदूरों को भट्ठी में डाल कर उस युग में जला दिया गया। विरोधी पक्ष से यह आवाज आयी कि हम लोग मजदूर विरोधी हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मजदूरों की बात सबसे पहले हमने मानी है। जहां तक मेरी समझ में आता है चाहें वह बीड़ी उद्योग हो, चाहे सिगरेट बनाने वाले हों, चाहे सिनेमा में काम करने वाले हों, चाहे चीनी उद्योग में लगे हुए मजदूर हों, इस सरकार ने उन सबको राहत दिलायी है, जो काम कि आपकी सरकार कभी नहीं कर पायी।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान पब्लिक सेक्टर की ओर ले जाना चाहता हूं। एक अपट्रान लि0 है। 1957 के कम्पनीज एक्ट में नियम 314 में यह लिखा है कि कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का कोई भी रिश्तेदार उस कम्पनी में नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने लड़के अनिल राय को मैनेजर बना दिया। नवम्बर, 1981 में उनकी नियुक्त हुई। पब्लिक सेक्टर में ऐसी मिसाल कम ही मिलती हैं। मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि इनकी जांच अवश्य करायें।

मेरे क्षेत्र में परतापुर कताई मिल है, जो राज्य वस्त्र निगम द्वारा चलायी जा रही है, जिसमें एक महीने हड़ताल रही थी, इसमें एक जनरल मैनेजर श्री रामानुज मिश्रा थे, जिनको केन्द्रीय उद्योग मन्त्री की सिफारिश पर वहां से हटाया गया था। उन्हीं रामानुज मिश्रा को पुनः जनरल मैनेजर बना कर भेज दिया गया है, जिससे मजदूरों में फिर असन्तोष की भावना जागृत हो गयी है। मेरी श्रम मन्त्री से मांग है कि अगर उन्हें वहां से न हटाया गया तो मजदूर फिर आन्दोलन के रास्ते पर चले जायेंगे।

ट्राई पारटाइट समझौतों के विषय में मुझे यह कहना है कि जितने भी ट्राई पारटाइट समझौते हुये हैं, उनमें मजदूरों को कुछ न कुछ मिला ही है। जो यह कहा गया कि मन्त्री जी तस्करों के साथ रोटी खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इनमें कुछ न कुछ हल निकला है, कुछ न कुछ वेतन भी बढ़ा है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान प्राविधिक शिक्षा के बजट की ओर दिलाना चाहता हूं। सन् 1950 में शायद इस प्रदेश के अन्दर 10 पालीटेकिनक थे, जब

कि उनकी संख्या बढ़ कर आज 50-55 हो गयी हैं यानी 5 गुनी हो गयी हैं। विद्यार्थियों के पढ़ने की संख्या जो 160 की थी, वह 240 हो गयी है। उन्नाव में पालीटेकिनक खोलने की बात कही गयी, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। आज जितने पालीटेकिनक इस समय हैं, उनमें कोई साज सज्जा नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। पहले 160 विद्यार्थियों का दाखिला होता था, अब 240 हो गये हैं। मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि एक कक्ष में 240 विद्यार्थी बैठ भी नहीं सकते, फिर पढ़ कैसे लेंगे। मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि यह जो अन्धाधुन्ध पालीटेकनिक खोले जा रहे हैं, उसमें रोक लगाइए। निर्माण निगम में जो लोग ठेकेदारी करते हैं, उनकी जगह सिविल डिप्लोमा होल्डर्स को ठेके दीजिये, जिससे प्रदेश की बेरोजगारी दूर हो सके।

एक महिला पालीटेकिनक है लखनऊ में। इसमें वर्ष 1980 में एक प्रिन्सिपल का एप्वाइन्टमेन्ट हुआ, जिनका नाम श्रीमती उषा बिरजी है। और उनकी शैक्षिक योग्यता है बी0 ई0, बैचुलर आफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रानिक्स वह जिसको सुपरसीड करके आयी हैं और प्रधानाचार्य बनी हैं उसका नाम है सुषमा बख्शी जो कि फर्स्ट क्लास में बी0 ई0 हैं और इलेक्ट्रानिक्स और टेली कम्यूनीकेशन में डिग्री होल्डर हैं। उनको हटा कर इनको वहां बैठाया गया है। मेरी मन्त्री जी से मांग है कि जांच विजिलेन्स से कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है, आप मन्त्री जी से कमरे में बात कर लीजियेगा। मैंने दूसरे सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्री दामोदर शर्मा—

मेरी मन्त्री जी से मांग है कि इस केस की पूरी जांच मन्त्री जी कराने की सोंचे। इसी तरह से सहारनपुर में पेपर फैक्ट्री है उसको देखना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

शर्मा जी, आप सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, आपको अनुशासन रखना चाहिए। आप माननीय मन्त्री जी से मिल कर बातें कर लें। इस समय दूसरे सदस्य को मैंने बुला लिया है, उन्हें बोलने दें और आप बैठें।

*श्री कुबेर भण्डारी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान किया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं मन्त्री जी का ध्यान जो किताब यह दिये हैं इसके दूसरे पैराग्राफ की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर लिखा है कि "मजदूरों की शान्ति के लिये"। मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी से कि मजदूरों की शान्ति आप किस आधार पर चाहते हैं? क्या यही आधार आपका है कि मिलों में काम करने वाला मजदूर 100 और 150 रुपये महीने पर अपना पसीना बहावे और उसी मिल में काम को देखने वाला बल्कि काम को देखने वाला नहीं गाड़ी में चलने वाला जिसका कुत्ता भी घर पर कुर्सी पर बैठ कर हलुआ खाता है वह 5,000 रु0 महीना वेतन ले और गाड़ियों में घूमें? क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे में मजदूर शान्ति से बैठा रहेगा? और देश में शान्ति बनी रहेगी?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुबेर भण्डारी—]

माननीय मन्त्री जी मैं आप से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में जब आप दौरे पर गये थे सरदार नगर में तो वहां पर सरदार सुरेन्द्र सिंह मजीठिया को जो चीनी की फैक्ट्री है, मन्त्री जी आप वहां पर जाने के बाद आपने वहां पर काम करने वाले मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया बल्कि और मिल मालिक के यहां दावत खाये। 25 साल पहले से जो मजदूर डेली वेजेज पर काम कर रहा है वह वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ है और पंजाबी लोग साल दो साल में प्रमोशन पा जाते हैं। इसे आपने वहां जा कर नही देखा, बस दावत खा लिये।

गोरखपुर की एक मिल में मजदूरों का झगड़ा हो गया। मन्त्री जी गये वहां पर मजदूरों की शान्ति व्यवस्था कराने के लिये, उल्टे उनसे पटका-पटकी हो गया। मन्त्री जी का मजदूरों की तरफ से मुकदमा हुआ है। मन्त्री जी आप को याद होगा, मैं जानना चाहता हूं कि देवरिया में पारसाल जब आप दौरे पर गये थे तो एक सुन्दरी महिला को, जो आपके विभाग की सलाहकार समिति की सदस्य थी, उनके साथ लोगों ने छेड़खानी की, हमारे बी0 के0 मिश्रा जी भी हैं, यह भी जानते हैं कि उसके साथ बड़े काम किये गये और इस सम्बन्ध में मुकदमा भी दर्ज हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय भन्डारी जी, संयम से काम लें, कृपया व्यक्तिगत आरोप न लगायें।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हमारे सम्मानित सदस्य बोल रहे थे कि मन्त्री जी के साथ कौन-कौन सुन्दरी बाला गई और कांग्रेस (आई0) के लोगों ने यह किया वह किया तो मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि अगर वह बाला कांग्रेस पार्टी की है तो इस तरह की बात कतई इनको सदन में नहीं कहनी चाहिए। वह कांग्रेस की मेम्बर हैं, इस तरह की बात यहां सदन में नहीं कहनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

कुंवर भन्डारी जी, माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं समझता हूं आप संयम से काम लेंगे।

श्री कुबेर भंडारी—

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह से असमानता मिटाने के लिए, आप पूंजीपतियों की गोद में खेल रहे हैं, आपके विभाग में अत्यन्त भ्रष्टाचार है। काम करने वाले आदमी के पास रहने को मकान नहीं लेकिन अफसरों के पास बंगले हैं, कारें हैं, कुत्ते कारों में घूमते हैं, बीबियां घूमती हैं। सरकार तो पूंजीपतियों की गोद में खेल ही रही है, अगर आप से भी उन मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम क्या उम्मीद रखें...।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, कुछ सुझाव भी दें।

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, मैं सुझाव दे रहा हूं । आप मैनेजर के बंगलों में जाते हैं उनमें ना जाकर मजदूरों के बीच जाइये, उनके सुख-दुख को दूर करें । जैसा पाठक जी ने कहा कि हम लोगों ने भारत बन्द नहीं होने दिया । मजदूर लोग भारत बन्द का नारा लगाये थे लेकिन इन्हीं लोगों के नेताओं ने हल्ला मचाया और कहा कि अगर भारत बन्द. .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ । कृपया स्थान ग्रहण करें । आपने केवल आरोपों में ही अपना समय गुजार दिया, कोई सुझाव नहीं दे सके ।

(श्री प्रियदर्शी जेतली का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरदेव—

मान्यवर, आपने मुझे श्रम मन्त्री जी के बजट पर बोलने के लिए मौका दिया. . .।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरदेव जी, मैंने श्री जेतली को बुलाया है । आप तशरीफ रखें । आप तो समझदार सदस्य हैं, धैर्य धारण करें, फिर मौका मिलेगा ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने श्रम, प्राविधिक शिक्षा आदि अन्य टेक्निकल डिपार्टमेन्ट के अनुदानों पर बोलने का मौका दिया ।

मैं बड़ी देर से सुन रहा था कि हमारे आजम साहब ने, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा, बहुत ही ज्यादा कलात्मक ढंग से अपनी भाषा में बड़ा दर्द पैदा करते हुए सरकार की काफी आलोचना करने की कोशिश की है ।

उन्होंने तमाम आरोप लगाये और हमारे बड़े भाई रियासत साहब ने भी 35 साल की दुहाई दी । मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हम तो अपने कर्मों से 35 साल से कायम हैं लेकिन आप जरा अपने कर्मों को तो देखिए, ढाई साल में ही आपकी क्या हालत हो गई । आप अब तक यह नहीं पता लगा पाये कि आपकी कब्र कहां है, उसकी तलाश नहीं कर सके ।

मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि श्रमिकों के लिए इन्दिरा सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार कुछ नहीं कर रही है । आपकी सरकार ने जो किया था मैं उसका भुक्त भोगी हूं । जब आप इधर थे और 14 अप्रैल, 1979 को जब मरेला मिल में गोली चली तो इसी विधान सभा के अन्दर माननीय राम नरेश यादव ने और विधान परिषद् के अन्दर माननीय बनारसी दास जी ने जो वक्तव्य उक्त घटना के सम्बन्धमें था दिया उस वक्तव्य को आप देखिये,। मान्यवर, उससे ज्यादा सदन को गुमराह करने वाला गलत बयान और कोई नहीं हो सकता है । क्योंकि जिलाधीश ने अपनी रिपोर्ट, जो शासन को भेजी है, में लिखा है कि

[श्री प्रियदर्शी जेतली--]

जब बाहर खड़ी भीड़ पर गोली चलाई गई उस समय 12 से ज्यादा आदमी घायल हुये लेकिन विधान सभा और विधान परिषद् में माननीय राम नरेश यादव और माननीय बनारसी दास ने वक्तव्य नियम 51 व 105 में दिया है वह है कि मजदूर जबरदस्ती अन्दर घुस आये और मारपीट करने लगे और 90 लाख के भन्डार को आग लगाने के लिए आगे बढ़े तब सिक्योरिटी गार्ड ने बचाव में गोली चलाई, इसके बाद वहां मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पहुंची लेकिन जो हमारे साथ अर्थात् मिल का सी० ई० मुलजिम था उसने स्वयं अपनी रिपोर्ट में कहा कि एस० डी० एम० और डी० वाई० एस० पी० वहां पर पहले से मौजूद थे और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित नहीं किया लेकिन मान्यवर, उक्त दोनों नेताओं का कहना था कि पुलिस बाद में पहुंची मान्यवर, इससे ज्यादा और कोई बात श्रमिक विरोधी और क्या हो सकती है। मान्यवर, जब हम लोग जेल से छूटे और माननीय राम नरेश यादव जी के सामने अपना मांग-पत्र रखा तो उन्होंने एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कहा कि जिसने अपना साथ दिया उनकी मदद करनी चाहिए। मान्यवर, इससे ज्यादा लज्जा की बात और कोई नहीं हो सकती है। यह बात हमारी मांगों पर विचार करने वाली मीटिंग की मिनिट्स में लिखा हुआ है कि जिसने हमारा साथ दिया उनकी मदद करनी चाहिए। इनसे बड़ा श्रमिक विरोधी कोई नहीं हो सकता है। कानपुर की स्वदेशी काटन मिल के और पन्तनगर के मजदूरों का खून आजम साहब आपकी पार्टी के दामन पर लगा हुआ है। आप श्रमिकों की क्या बात करते हैं। सिर्फ आपने लच्छेदार अलफाजों के

(इस समय 4 बजकर 54 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अन्दर बड़ी खूबी से आपने जो मजदूरों का फर्जी हमदर्द बनना चाह रहे हैं, जो आपको लेबर पेन हो रहा है, उसकी मैं दाद देता हूं।

मान्यवर, जहां तक इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के श्रमिकों की बात कही है, मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कल का हिन्दुस्तान मजदूरों का हिन्दुस्तान होगा और यह श्रम विभाग मजदूरों के हितों का वाचडाग है। मान्यवर, जो श्रमिकों का नेता रहा है वही आज श्रम विभाग का मन्त्री है। जिसने श्रमिकों के लिये क्रान्ति की है और अपनी जवानी को श्रमिकों के लिये जेलों में गुजारा है आज उसकी योग्यता के तहत मजदूर चाहे वह बाजार मजदूर हो, चाहे वह रिक्शा चलाने वाला मजदूर हो उन सारे मजदूरों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और शासन में अक्सर काम किया है और उत्तर प्रदेश में एक मिसाल कायम की है। पब्लिक सेक्टर के अन्दर पहली मरतबा आरबिट्रेशन स्वीकार किया गया है और उत्तर प्रदेश के श्रम मन्त्रालय ने मजबूर किया आरबिट्रेशन स्वीकार करने के लिए। जल संस्थान के आरबिट्रेशन में मजदूरों की 15 मांगों के अन्दर 14 मांगों को स्वीकार किया गया है। यह एक मिसाल है पूरे हिन्दुस्तान में।

मान्यवर, श्रम विभाग के मन्त्री महोदय ने जैसा कहा कि यह सरकार प्राइवेट सेक्टर में मजदूरों के शोषण को रोकने के लिये कटिबद्ध है। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में होने वाले शोषण को अगर आप नहीं रोकते तब तक आप अपने कर्त्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर सकेंगे। वहां श्रमिकों का शोषण इस तरह से हो रहा है कि उनकी नियुक्तियों का कोई नियम नहीं है, उनके प्रमोशन का कोई नियम नहीं है, इसलिये इस पर श्रम विभाग को सख्ती से नजर रखनी होगी और पब्लिक सेक्टर में होने वाले श्रमिक शोषणों को रोकना होगा।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश की करीब-करीब सभी स्पीनिंग टेक्सटाइल्स मिल्स सरकार के हाथ में हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर स्पीनिंग मिल्स के अलावा फैजाबाद, मऊ, वाराणसी, बाराबंकी, संडीला आदि में जो भी स्पीनिंग मिल्स हैं उनके मजदूरों की मजदूरी कानपुर के मजदूरों से कम है। मेरा कहना यह है कि इन स्पीनिंग मिल्स के मजदूरों की मजदूरी कानपुर के स्पीनिंग मिल के मजदूरों के समान ही होनी चाहिये। सिर्फ सिटी एलाउन्स को छोड़ कर यह टेक्सटाइल मिल मजदूरों के हित में होगा। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में श्रीमती इन्दिरा गांधी पर जो इसकी एक मात्र नेता है, देश की जनता ने अपने भाग्य को संवारने की जिम्मेदारी सौंपी है। वे बड़ी ईमानदारी से अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। आपने देखा कि अभी 19 तारीख को 'आपने भारत' बन्द का नारा दिया था। आप शायद सोचते थे कि मजदूर आपके साथ होंगे लेकिन दुनिया ने देख लिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के श्रमेव जयते नारे में विश्वास रखता है और उन्होंने इस बात का साबूत दे दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री दीक्षित के नेतृत्व में चल कर ही इस देश में उत्पादन को उस दिन और बढ़ाया। श्रमिक समझते हैं कि हमारा इरादा सही है, और हम उस मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं जिससे देश का विकास होगा। हमारा विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री दीक्षित जी के नेतृत्व में इस आन्दोलन करके देश के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और तभी सही माने में हमारा देश उस मंजिल तक पहुंच सकता है जिस मंजिल का सपना गांधी व जवाहर ने देखा था।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री प्रियदर्शी जैतली--

इन शब्दों के साथ श्रम मन्त्री दीक्षित जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों श्रम, टेक्निकल व पोलीटेक्निकल एजूकेशन का समर्थन करता हूं और अपने लायक साथी जो गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय आजम खां साहब से दरखास्त करता है कि वे श्रमिकों के अनुदान में कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

जो मजदूरों के हितैषी बनते हैं टाटा, बिड़ला की गोदी में खेल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं। आप रोज इस तरह का काम करते हैं। आप कृपया बैठ जायें।

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और उसकी मुखालफत में जिन माननीय सदस्यों ने अपने ख्यालात पेश किये उनका मैं मशकूर हूं। कुछ लोगों ने मेरी मुखालफत की लेकिन मुझे खुशी है कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं सभी ने उनकी हिमायत की है। अगर मेरी किसी बात से किसी साथी की दिलशिकनी हुई हो तो उसके लिए मुझे अफसोस है जिनके बारे में जिक्र करना जरूरी है। मन्त्री महोदय बैठे हुये हैं। उन्हें याद होगा। लेबर मिनिस्टर्स की मीट हुई थी 16 अक्तूबर, 1981 को जिसमें मिनिमम वेजेज पर सोचा गया था। इसमें यू0 पी0, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और बिहार के चीफ मिनिस्टर शरीक हुये थे। मैं चाहूंगा जो प्रस्ताव उस वक्त आया था, जो बात उस वक्त आई थी मिनिमम वेजेज के लिये जो तय हुआ था, उस पर जरूर अमल दरामद होना चाहिये। जिन मिलों में इस वक्त हड़ताल चल रही है मसलन महाबीर मिल, गोरखपुर, 301 में भी आज जिसका जिक्र आया था, मैं तीन महीने से हड़ताल चल रही है, वे तमाम मिल जिनके बारे में मैंने कहा जहां तीन महीने से ज्यादा दिनों से हडताल चल रही है....

श्री उपाध्यक्ष—

हड़ताल तो नहीं चल रही है...

श्री मुहम्मद आजम खां—

चल रही है, मिल बन्द है....

श्री उपाध्यक्ष—

सिसवा बाजार की बात कर रहे हैं। मेरी कानस्टीट्यूएन्सी की मिल है। पैसा जरूरी नहीं दिया था....

श्री मुहम्मद आजम खां—

पैसा नहीं मिला। होता यह है, आप तशरीफ नहीं रखते थे, मिल मालिक कभी यह नहीं मानते कि हड़ताल चल रही है, सरकार नहीं मानती की हड़ताल चल रही है, उसको साबित करने का क्या पैमाना होगा ?

दूसरे, जे0 एन्ड के0 मैन्यूफैक्चर्स, कानपुर के मजदूरों ने हड़ताल की थी और उसकी सजा में वह मिल बन्द कर दी गई थी। वहां के एक मजदूर ने आत्म दाह की नोटिस दी और उसने आत्म दाह कर लिया मिल खुलवाने के लिए। मिल आज तक बन्द है। इलजाम यह लगाया जाता है कि मजदूर मालिकों का झगड़ा होता है। मजदूर इसको लेकर हडताल करते हैं। सरकार और जिलाधिकारियों की इन्तजाम की जिम्मेदारी होती है कि मजदूरों का साथ दें। इससे वही पुरानी पालिसी के तहत मिल मालिकों का साथ दे दिया और मिल आज तक बन्द है जबकि इसने एक की जान भी ले ली।

जय प्रकाश के सिलसिले में बात आई। जय प्रकाश जी की मौजूदगी में हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कुछ बातें मंजूर की थीं। मजदूर को श्रद्धांजलि पेश करने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि जो समझौता उस दरमियान हुआ था अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उस समझौते को लागू कर दें तो यह ज्यादा बेहतर होगा।

एक बात आई0 टी0 आई0 के सिलसिले में आती है। बोर्ड की आठवीं क्लास पास की क्वालिफिकेशन आप ने मानी है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो इस फैसलिटी में नहीं हैं, मसलन आठवीं तक उनकी अपनी स्कूल व्यवस्था है। नवीं और दसवीं बोर्ड से पास करते हैं। इसमें क्लेरिफिकेशम हो जाय कि जिन स्कूलों में बच्चे आठवीं क्लास बोर्ड से पास नहीं होते, उसको मौका आई0 टी0 आई0 में एडमिशन का नहीं मिल पाता। इसमें तब्दीली कर दी जाय। कोई भी आठवीं पास स्कूल का उसमें दाखिला पा सके।

एक बात भारत बन्द के सिलसिले में आई है। मैं इसकी बहस में नहीं जा रहा हूं कि भारत बन्द हुआ या नहीं हुआ। एक बात यह कहना चाहूंगा कि भारत बन्द अगर नहीं हुआ और अगर यह मान कर चलें तो उस पर सरकार ने यह फैसला लिया था कि जो मजदूर काम पर नहीं आयेंगे, उनकी एक दिन की मजदूरी काट दी जायेगी। हमारा ख्याल यह है बल्कि हमारा विश्वास है कि 90 फीसदी मजदूरों की तनख्वाह आपने काट ली है। मैं यह चाहूंगा कि मन्त्री जी यह बता दें कि कितने मजदूर ऐसे हैं, जिनकी एक रोज 19 तारीख की तनख्वाह काट ली गई। उससे यह अन्दाज हो जायेगा कि हड़ताल कामयाब रही या नहीं रही।

इसके अलावा मैं वेलफेयर आफिसर्स के सिलसिले में भी कहना चाहूंगा, क्योंकि दफ्तर कहीं वेलफेयर आफिसरों का रहता नहीं, सिर्फ तनख्वाह मिलती है और मिल मालिकों के हिमायत में लगे रहते हैं। उसे वेलफेयर आफिसर जिनकी बहुत ज्यादा शिकायतें आपके पास आ चुकी हैं, उनका उन मिलों से तबादला करा दें। इसका एक बेहतर तरीका यह हो सकता है कि वेलफेयर आफिसर काम के वक्त मिल में रहे, उसकी कोठी मिल कम्पाउन्ड में न हो वे मिल मालिकों के किसी न किसी तरह के आदमी हैं और इन लेबर आफीसर्स को आप मिल के कम्पाउन्ड में न रखें तो जो सम्बन्ध उसके साथ उनका डेवलप होता है, वह नहीं हो सकेगा। ओल्ड एज पेन्शन के सिलसिले में जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, वह होना चाहिये और उसे बढ़ना चाहिये। आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और प्रधान मन्त्री भी कह रही हैं कि इस देश के हर जिस्म को नंगा कर गांधी जी के सामने लंगोटी से लपेट दिया जायेगा। मालूम नहीं उनका यह कहने का क्या मकसद था, लेकिन पूरे प्रदेश को उनकी यह बात याद रहेगी। ओल्ड एज पेन्शन प्रदेश के बूढ़ों के लिये बढ़ा दी जाय। इन अल्फाज के साथ आप का शुक्रिया अदा करता हूं और यदि किसी साथी को मेरी बातों से दिलशिकनी हुई हो तो मजारत चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि तब तक मजदूरों का उद्धार नहीं होगा जब तक कि सही तरीके से इंसानी हमदर्दी के जजबात पैदा नहीं होंगे तब तक न समाज पनपेगा, न प्रदेश पनपेगा और न ही देश पनप सकेगा।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

श्रीमन्, मेरी अभी तक की समझ यह है कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का एक वाहन है। यदि यह मानकर चला जाय तो मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं कि अपने उत्तर में कौन सी बात का कहां से जवाब दूं। पहली बात तो यह है कि जब विरोध पक्ष नीतियों से व्यक्तियों पर आ जाय तो जान लीजिये कि उस पार्टी के नीतियों की जिसके व्यक्तियों की अलोचना पर उत्तर आये हैं, विजय हो गयी। यह स्पष्ट बात है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या यह भी बता दें कि इसी वजह से आपकी पार्टी के नाम के आगे (आई) लगा हुआ है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जवाब दे लेने दीजिये । श्रीमन्, हमारे खैरुल बशर साहब नहीं हैं, उन्होंने कहा कि इस किताब में बैठकों का जिक्र नहीं है । श्रीमन्, मेरे पास कोई दवा नहीं है, किताब भी सरकार छपाये, इनको भी दे, उसे पढ़े भी नहीं और कहें भी कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, जिससे उनकी जानकारी का हाजमा दुरुस्त हो जाये। कहा यह भी जा रहा है कि यह कोई सरकार है जो कि मालिकों की गोद में खेल रही है । लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि-जैसा गोस्वामी तुलसी दास ने कहा है :--

बातुल भूत बिबश मतवारे,

यह नहिं बोलहिं वचन संवारे ।

जहां तक आंकड़ों का सवाल है उत्तर प्रदेश में तीन या साढ़े तीन सौ कारखाने ऐसे हैं जिनमें पांच सौ से ऊपर कर्मचारी हैं । प्रदेश में मिल मालिकों की संख्या अधिक से उतनी ही मानी जा सकती हैं । इतने बड़े प्रदेश में अगर 500 सदस्यों के विधान मंडल में 300 के भूतों से पस्त हो जाय तो इस प्रदेश का भगवान ही मालिक है । 525 विधान मन्डल के सदस्य उनसे अपने को नहीं बचा पा रहे हैं....।

(व्यवधान)

अभी भी बोल रहे हैं और बराबर बोले जा रहे हैं । यह केवल इन पर सवा तीन सौ भूतों का असर है । तीन सवा तीन सौ मिलें ऐसी हैं जिनमें 500 कर्मचारी हैं । उतने मालिक हैं । उनको यह नहीं सम्भाल पा रहे हैं । बड़ी देर से सुन रहा था । पता नहीं किस वक्त सरगम विभिन्न स्वर कहां से उठ आये विरोधी दल के लोग कहते हैं कि मैंटीनेंस आफ सिक्योरिटी एक्ट एक ब्लैक कानून है । यह क्यो जारी किया गया, क्योंकि हड़ताल जो हमारा बुनियादी अधिकार है उसने प्रतिबन्धित की है । फिर वे यह कहते हैं मजदूर जब बेबस होता है तभी मालिक उसका फायदा उठाते हैं । हम मानते हैं उसका हड़ताल बुनियादी अधिकार है । लेकिन भगवान जाने यह कहां से पढ़ कर आये हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं कि, यह बेबसी की बात हड़ताल के बुनियादी अधिकार के साथ-साथ कहते हैं । स्ट्राइक अगर हमारा फंडमेंटल राइट है तो वह रहेगा । मजदूर उसका इस्तेमाल करेगा । मजदूर को आप डिमौरलाइज मत करिये । हम लड़ाई का स्वागत करते हैं लेकिन जितने वे अपना नेता मानते, वे उसके नेता बनने की चेष्टा न करे । जैसा कि 19 जनवरी को किया । आप क्लेम करते हैं कि आप मजदूरों के नेता हैं लेकिन मजदूर ने उसे नहीं माना । हमारा स्पष्ट कहना है कि हड़ताल बुनियादी अधिकार है उसका इस्तेमाल वह करें लेकिन उसे न तो राजनीति में घसीटिये और न डिमौरलाइज करिये । जहां लड़ाई होती है वही सामूहिक सौदेबाजी सफल होती है ।

श्री कुबेर भंडारी--

माननीय मन्त्री जी जरा हमें बता दें....।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जरा भूत से बचिये। कुछ महीनों पूर्व सरदारनगर में इंटक का जलसा हो रहा है उसमें प्रदीप शर्मा और त्रिपाठी आदि इंटक के नेता इकट्ठा हुए थे तो भंडारी जी को इस जलसे से परेशानी हो गई। वे परेशान हैं उनके क्षेत्र में इंटक क्यों काम कर रही है। मैं कहता हूं इन बातों को छोड़ दीजिये कृपा करके ए0 आई0 टी0 यू0 सी0, यानि इंटक, हिन्द मजदूर सभा, सीटू, भारतीय मजदूर संघ, इंटक आदि एक करिए।

(व्यवधान)

जरा बैठिये। जितनी हड़तालें उत्तर प्रदेश में हुई उनमें से कम से कम 30, 40 फीसदी हड़तालें ऐसी हैं जो विरोधी दलों के श्रमिक संगठनों के आपसी होड़ व लड़ाई के कारण हुई और दोष हमें दे रहे हैं और यह कभी एक नहीं हो पाते हैं, पाचों संगठन कभी एक नहीं हो सकेंगे। हमारी सरकार की यह खूबी है कि उनके साथ बैठकर वैषम्य के बीच साम्य के आधार पर कार्य चल रही है। मैं कह रहा था कि अगर हड़ताल बुनियादी अधिकार है तो उसे अधिकार बना कर रखें, उसमें पालिटिक्स न लायें। जबतक यह सरकार कायम है तब तक वह सोशियल जस्टिस, जिसकी कल्पना पं0 नेहरू ने की, जिसकी प्रेरणा उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी, उस सोशियल जस्टिस से कोई भी मजदूर वंचित नहीं होगा। सरकार उनके कदम से कदम मिलाकर लड़ेगी। लेकिन सामूहिक सौदेबाजी के अन्दर यदि पालिटिकल पार्टीज आयेंगी और पोलिटिक्स खड़ा करना चाहेगी तो वह नहीं कर पायेगी। यह विश्वास रखिये।

मान्यवर, जहां तक बीड़ी मजदूरों के दैन्य से सहानुभूति की बात है उसके लिये कह रहा हूं कि अगस्त, 1979 में इनकी, सरकार जिसके नेता आज सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उधर बैठे हैं तब उन्होंने बीड़ी के मजदूरी की जो दरें तय की हैं उन ही दरों को हम दोहराने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वह काम गलत हुआ।

तो श्रीमन्, आप समझ लीजिए आज कि यूनियनों के अपनी लड़ाई लड़ने की एक विधि होती है। कानून जब आड़े आ जाता है तो थोड़ी मुसीबत अवश्य होती है। जिन कारखानों में यूनियन नहीं हैं, दूसरे कारखानों के यूनियनों की आड़ में लड़ाई लड़ कर अकारण कानून की परेशानी मोल ली जाती है। टेक्सटाईल हो या और कोई उद्योग हो हम एक बात में यकीन करते हैं कि हम जो कुछ करेंगे, वह सहमति के आधार पर हम मानते हैं, वर्ग संघर्ष से अच्छा है सहमति या समझौता। जो काम लोगों की राजी से होगा, वह काम चन्द आदमियों की मरजी से नहीं होगा। इसलिए लोगों के बीच में सौहार्द तथा सद्भाव कायम करना उसे करने की जरूरत है और इसके लिए हम और हमारी सरकार कटिबद्ध है।

इतिहास जानता है कि 3 मई, 1947 को स्वयं विश्ववंद्य महात्मा गांधी के हाथों से आई0 एन0 टी0 यू0 सी0 का जन्म हुआ था। जिस संस्था को उस वैशम्पायन का अमर वरदान मिल चुका है, उस संस्था को अथवा वैसी संस्थाओं को ऐसी आलोचनाओं से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। कांग्रेस और आई0 एन0 टी0 यू0 सी0 का हाथ इतना ही नहीं है कि गांधी जी कांग्रेस के

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—]

पिता हैं और वही आई० एन० टी० यू० सी० के पिता हैं, बल्कि उसके बाद यह भी है कि दोनों को एक ही वात्सल्य मिला है। आई० एन० टी० यू० सी० ने संघर्ष करने में कभी कोई कमी नहीं की है। इस पुस्तिका में एक टेबुल है उसे आप देख लें, सन् 1981 में आई० एन० टी० यू० सी० ने कुल 2 लाख 63 हजार दिनों की हड़ताल की है, सीटू को छोड़ कर जो कि दूसरी यूनियनों से कहीं अधिक है। तो फिलहाल यहां पर हमने देखा है, अपने अधिकारों के लिए इंटक ने संघर्ष किया है और उसे काफी समर्थन मिला है। आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, मिनिमम वेजेज ऐक्ट और बोनस ऐक्ट की बात करते हैं। सब कानून सेन्ट्रल हैं। उनमें अनेक दोष हैं। लेबर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां मजदूर और मालिक अपने समझौते से वह कर सकते हैं, वह सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें कोई कानून नहीं दिला सकता है। बजाए इसके कि हम केन्द्र के कानून में सुधार का इंतजार करें, हमें चाहिये कि मजदूरों व मालिकों को मिला कर जो कुछ संभव हो, करा दें। वह स्वयं कानून बन जाता है। तो यह क्या हर दृष्टि से अच्छा नहीं है। यही हम कह रहे हैं और करने के लिये प्रयत्नशील हैं। जिन सुधारों की ओर आप लोगों ने संकेत किया है उनकी सिफारिश हम भारत सरकार से कर देंगे। जब तक वह नहीं होता केन्द्रीय कानून के अन्दर हमें मर्यादित विधि से खेल खेलना है। यहां कौन सी ऐसी पार्टी है जो अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। जिसके प्रतिनिधि दिल्ली में नहीं बैठे हैं। केन्द्रीय कानून में सुधार उनके द्वारा क्यों नहीं करते हैं। क्या आप इस बात को ठीक समझते हैं कि जो केस सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डेक्शन का हो उसको हम मुंसिफ के सामने उठाएं। तो इनके नेता क्या दिल्ली में कम वर्चस्व रखते हैं। यदि रखते हैं तो वहां इन प्रश्नों को क्यों नहीं उठाते हैं

(व्यवधान)

मैं तो जो समझता हूं कर देता हूं। अब अधिक समय नहीं लेना है। जो टेक्सटाईल उद्योग के श्रमिकों की बात है, आपको याद होगा कि सारनाथ में उभय पक्षों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई गई थी और आपके साथी भी उसमें साथ मौजूद थे। यह बात दूसरी है कि कुछ लोग उसे अटेंड करके भी कह देते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। बहरहाल सारनाथ में टेक्सटाइल के उभयपक्षों की एक मीटिंग बुलायी और जगह भी ऐसी मीटिंग बुलाने की बात के यथार्थ को मानो। या तो यह कहो कि यह नारा झूठा है कि दुनिया के सारे मजदूर एक हैं और या यह मानों कि जितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं उतनी ही यूनियनें होनी चाहिये। मजदूरों को बोलने का अधिकार है। हम उनकी बात को मानते हैं और मानेंगे। पोलिटिकल पार्टीज की बात को उनके सम्बन्ध में न मानते हैं और न मानेंगे यदि वह राजनीति से भरी होगी। थोड़ा सा भ्रम आंकड़ों से हो गया इसलिए अगर सत्य बात नहीं बताई गई तो उचित न होगा। सत्य बात यह है कि हमको उतना कष्ट उस निजी क्षेत्र से नहीं है जहां हम चर्चा में बार-बार आ जाते हैं। पिछली बार जो हड़ताल हुयी उनसे पब्लिक सेक्टर में पौने 10 लाख मैनडेज का लास हुआ। उसमें हमारे हिसाब से पौने सात लाख सेन्ट्रल क्षेत्र वाले कारखाने में हुआ जिन मजदूरों के नेता दिल्ली में बैठते हैं। लेकिन तुलना करके उस सम्बन्ध में हमारे प्रयास को देखिए। आप वर्ष 1980 के पहले का इतिहास उठाइये, उत्तर प्रदेश पब्लिक सेक्टर की किस इकाई ने आर्बिट्रेशन मांगा, बताइय। मुझे याद है कि इस सरकार को निगमों ने आर्बिट्रेटर माना और आर्बिट्रेटर ने फैसला भी दे दिया। माननीय आजम खां साहब को

सूचनार्थ बता दूं कि होटल कर्मचारियों की जो हमने जांच करायी थी उसकी रिपोर्ट आ गयी है। किसी चीज में हम पीछे नहीं हैं। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने की भट्ठियां बहुत दिनों तक बन्द रहीं। उसके बड़े ही कम्पलीकेटेड फैक्टर्स थे। 5 लाख 51 हजार मैनडज के लास के लिए फिरोजाबाद की हड़ताल अकेले जिम्मेदार है। इन चूड़ियों की भट्ठियों में 5 लाख 51 हजार मैनडेज का लास हुआ। बड़े अफसोस की बात तो यह है कि ये आक्षेप करके ही मस्त हो जाते हैं। मैं तो साफ-साफ बता रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मालिक और मजदूर फिरोजाबाद में चूड़ियों के कारखानें में हैं लड़ बैठे, बाद में उसे तय करने के लिये उनमें एक समझौता हुआ। वहां उनकी लड़ाई चली बाद में समझौता भी हुआ। वे काम पर गये। समझौता से वहां पर एक हाई पावर त्रिपक्षीय कमेटी बनी जिसमें काशी हिन्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी एक सदस्य हैं। वह उन लोगों की सहमति से बनी। मजदूरों को जो भी मिला है वह उनके लड़न से ही मिला है। उसमें उन्होंने आपकी और हमारी मदद नहीं चाही है न वे वकीलों की इन्तजार करते हैं। इस प्रकार से अगर मजदूरों की हड़ताल होती है तो समझौता भी होता है। वे लड़े किन्तु जो समझौता किया, उस पर वे अभी तक कायम हैं।

अभी भाई खैरुल बशर साहब ने बैठकी की बात कही। बैठकी के बारे में आपने बात कही, उसके बारे में सूचना इस किताब में दी हुई है, आप कृपया उसमें देख लें। एक कालम इस किताब में उसी के बारे में दिया हुआ है।

एच0 बी0 टी0 आई0 के बारे में बात कही गयी। वह 2 मार्च को समाप्त हो गयी है। आपके पास अगर उसकी खबर नहीं पहुंची है तो मैं मजबूर हूं। मुझ से ही वह समाचार ले लीजिए।

टेनरी के बारे में कुछ बातें कही गयीं, उनको देखा जा रहा है। जो आपत्ति उठायी गयी है उसे हम देखेंगे।

अंत में एक बात यह कहना चाहता हूं कि आप कम से कम यदि मजदूरों की मदद नहीं कर सकते तो उनको डीमारेलाइज भी मत कीजिये। अगर उनके बीच आप उनके संगठन के लिये पहुंच नहीं सकते, अपना कुछ समय उनके साथ नहीं दे सकते, तो उनके लिये जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिये, विघ्न मत डालिये। मजदूरों के लिये जो कुछ हमने किया है वह इस रिपोर्ट में दिया है। हमने तो सफाई मजदूरों के लिये भी किया है, खेतिहर मजदूरों के लिये भी किया है, शाप्स एसिस्टेन्ट्स के लिये भी किया है। सफाई मजदूरों और फारेस्ट मजदूरों के लिये जो कुछ हमने किया है, जो कुछ इस विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने किया है वह कोई आज तक नहीं कर पाया है। मुझे बताया जाय कि देश के किस प्रदेश की सरकार ने आज तक ये काम किये हैं। मैं, इन शब्दों के साथ चाहूंगा कि हमारी इन चारों अनुदानों को यह सदन सर्व सम्मत से स्वीकार करे और भाई आजम खां, कामरेड आजम खां, माननीय आजम खां साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कानपुर में जे0 के0 जूट मिल में जो मजदूरों की हड़ताल चल रही है और मिल बन्द पड़ी है उसमें आप क्या कर रहे हैं और मजदूरों की मांगें क्या हैं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

उपाध्यक्ष महोदय, संघर्ष के बाद समझौता कोई लड़के और लड़की का ब्याह नहीं हुआ करता । यह तभी सम्भव है जब दोनों बराबर की ताकत के लेविल पर आ जायें । हम सम्पर्क बराबर बनाये हुये हैं और प्रयास कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

इमरजेन्सी वाला कानून तो हम ला नहीं सकते । उसको हल करने के लिये प्रयास कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने ओल्ड एज पेन्शन को बढ़ाने के बारे में एक बात कही थी कि उसे 60 रुपये से बढ़ा कर 80 रुपये कर दी जाये । उसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा ।....

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

ऐसा है श्रीमन्, यह तो आपकी बात ऐसी है, जिस पर हम विचार इस समय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का बजट जिस दिन पेश होगा, उस दिन इस बात को कहिये । हम तो केवल इसको देख सकते हैं, हमारी ओर से इस पर कोई आश्वासन की बात नहीं हो सकती है । लेकिन आपकी बात में वजन है । हम इसके लिए साथियों को कन्विन्स करेंगे ।

(श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के बैठने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका भाषण समाप्त हो गया ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय आजम खां, आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव से यह समझते हुए और यह मानते हुए कि मंत्री जी कभी-कभी वाकई अपने जमीर की बात करने की कोशिश करते हैं और यह मैंने उस वक्त महसूस किया जब मैंने एक सलूशन रखा था, उसमें काफी हमदर्दी हासिल रही, उस वक्त आप कुछ करना चाहते थे मजदूरों के लिए, लेकिन आप क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत मजबूर थे और जैसा मैंने कहा कि मंत्री जी जो बैठे हैं, उनकी स्मगलरों की सांठ-गांठ थी । लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप और आपकी नीतियां मजदूरों के लिए हैं । जो कुछ मजदूरों के साथ हो रहा है, उसके आप जिम्मेदार हैं । लिहाजा इस प्रस्ताव को वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता । जैसे कि आपने यह माना है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं, तो मेरी बातों को आप मानिये । ऐसी मैं उम्मीद करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37--प्राविधक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,83,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 82,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,83 03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,24,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सत्र के दौरान जिला स्तर पर होने वाली बैठकें स्थगित किये जाने सम्बन्धी सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

सार्वजनिक निर्माण मंत्री, कल जो निर्देश हुआ था उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, निर्देश देने के बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं वहाँ यह आदेश भेज दें कि कोई भी बैठक जब तक सत्र चल रहा है तब तक, इतवार के अतिरिक्त न हो । चूंकि यदि आवश्यक हो तो इतवार को बैठक करलें । इसको वायरलेस द्वारा सूचित कर दिया गया है और यह सूचना आपके कार्यालय में भी भेज दिया है और मान्यवर, जो बैठकें लगी थीं उनको स्थगन के आदेश भी दे दिये गये हैं ।

[समय 5 बजकर 37 मिनट]

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है--जो कि शासन द्वारा प्रदेश में सीमेन्ट वितरण की स्पष्ट नीति की घोषणा न किये जाने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है । यह स्वीकार हुई है । मा0 खाद्य मंत्री इस पर वक्तव्य कब देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सीमेन्ट के परमिट देना बन्द है और न बाजार में है जिससे पूरा प्रदेश चिन्तित है । होली का त्योहार है लेकिन सीमेन्ट न मिलने से मकानों की मरम्मत और मकान अधूरे बन पड़े हैं । इसलिये मंत्री जी बता दें कि उपभोक्ताओं को सीमेन्ट कैसे उपलब्ध होगी ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं इस विषय पर मंत्री जी से स्पष्ट नीति जानना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं को सीमेन्ट कैसे उपलब्ध होगी या 2-4 दिन का वकुअम रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में जब बयान आयेगा तो यह प्रश्न पूछ लेंगे ।

खाद्य मंत्री जी आप बयान कब देंगे ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

जो उचित समझें वह रखा दें । 13 या 15 को रखा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

15 तारीख को वक्तव्य आप दे देंगे ।

बाकी सूचनायें अस्वीकृत की गयीं ।

मेरठ के ग्राम पूठी में हरिजन परिवारों को लूटे जाने सम्बन्धी वक्तव्य में कतिपय सदस्यों का नाम न छापे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । कार्य-सूची के आइटम 10 के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें लिखा है 23 फरवरी को जनपद मेरठ के ग्राम पूठी में हरिजन परिवारों को लूटे जाने के सम्बन्ध में श्री हुकमसिंह, श्री मित्रसेन यादव, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री भीखा लाल, श्री विद्यासागर नौटियाल तथा श्री गौरी शंकर भैय्या द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत गृह मन्त्री का वक्तव्य । लेकिन मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है उसमें लिखा है कि श्री हुकम सिंह द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर वक्तव्य । तो मान्यवर, इसमें 5-6 नामों को जोड़ना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं है । नियम 51 में कार्यसूची में आपका नाम है और इसमें केवल एक व्यक्ति का नाम है तो इसमें जुड़ा हुआ माना जायगा ।

मेरठ जनपद के ग्राम पूठी में हरिजन परिवारों को लूटने की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

* गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23-2-82 को श्री नत्था सिंह, हरिजन, निवासी ग्राम पूठी, थाना परीक्षतगढ़, जिला मेरठ, ने थाना परीक्षतगढ़ पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि दिनांक 22/23-2-1982 की रात में करीब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

12 बजे अज्ञात 18–20 बदमाशों, जिनके पास बन्दूकें, कट्टे, कुल्हाड़ी तथा बल्लम आदि थे, ने डरा धमकाकर तथा मार–पीट करके वादी, उसके भाई तथा गांव के 6 अन्य व्यक्तियों के घरों में लूट–पाट की और सबको घरों में बन्द करके लूटे हुये सामान को लेकर भागे थे । उक्त सूचना के आधार पर थाना परीक्षतगढ़ पर धारा 395 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया और थानाध्यक्ष पुलिस दल के साथ घटना स्थल को गये । उक्त अपराध की विवेचना थानाध्यक्ष, परीक्षतगढ़ द्वारा स्वयं की जा रही है । अभी तक की विवेचना से कोई भी अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है । विवेचना प्रचलित है और अभियुक्तों का पता लगाने हेतु पुलिस द्वारा प्रयास जारी है ।

उक्त घटना में वादी सहित उसके गांव के 8 हरिजनों के घरों में लूट–पाट की गयी । बदमाशों द्वारा गोली नहीं चलाई गई, न ही किसी अन्य शस्त्र का प्रयोग किया गया । किसी भी व्यक्ति को कोई गम्भीर चोट नहीं आई । कुछ व्यक्तियों को लात घूसों व डन्डों से साधारण अन्दरूनी चोटें आयीं, जिन्होंने अपनी चोटों का डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया । उक्त घटना में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई । यह कहना गलत है कि हरिजन बस्ती बीरान पड़ी हुई है । हरिजनों के पक्के मकान हैं और वे सब गांव में ही रह रहे हैं । जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त घटना में बदमाशों ने लगभग एक घंटा तक लूट–पाट की । घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, देहात द्वारा भी घटना–स्थल का निरीक्षण किया किया ।

इस गांव में सुरक्षा की दृष्टि से सशस्त्र पुलिस लगाई गई है और गश्त की भी व्यवस्था की गई है । यह सही नहीं है कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का आतंक व्याप्त है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, खुद मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वह लोग एक घंटे तक लूटपाट करते रहे और उन बदमाशों के पास बन्दूक वगैरह हथियार थे । मेरा स्पष्ट आरोप है कि गोली की चोट लोगों को लगी है । दुर्भाग्य इस बात का है कि मिनिमाइज करने के लिये उनका डाक्टरी मुआइना नहीं कराया गया । पुलिस द्वारा डाक्टरी मुआइना क्यों नहीं कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह बात सही है कि उन लोगों के पास कट्टे, बन्दूक वगैरह थीं लेकिन उन्होंने फायर नहीं किया था और गांव वालों को आग्नेय अस्त्रों द्वारा कोई चोट नहीं लगी । मालूम होता है कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी । जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी है उसमें यह है कि लात–घूंसों व डंडों से मारा । जी0 ई0 डी0 में भी यही बात है ।

श्री हुकम सिंह—

जी0 ई0 डी0 तो आप ही लिखते हैं, आपके अधिकारी लिखते हैं । उसमें क्या लिखा है, बात साफ तब होती जब पुलिस अधिकारी जिम्मेदारी निभाकर उनका डाक्टरी मुआयना कराते। 8 आदमियों का सामान गया है, उन 8 आदमियों

का कितना नुकसान हुआ है, इस घटना को 10 दिन हो गये, विवेचना के आधार पर जो जानकारी मिली हो, बता दें। दूसरी बात, यह मानते हुए कि हरिजनों का नुकसान हुआ, क्या मुआवजा दिलायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अगर आप कहें तो बता दूं, कितना नुकसान हुआ है, जो लिखाया गया है नत्थी के द्वारा वह यह है—

(1) श्री नत्था सिंह .. तबीजी सोने की, लच्छे चांदी के, चार चूड़ी सोने की व नकद 400 रुपया।

(2) श्री छोटे सिंह .. रेडियो 2 बेंड बुश, दो घड़ी जनानी व मरदानी, लच्छे चांदी के पाव भर के, बाली सोने की आठ आने भर की, पैण्डिल डेढ़ तोले सोने का व 150 रुपया नकद।

(3) श्री सुखबीर .. चार चूड़ी सोने की, तगड़ी पाव भर की चांदी की, पाजेब चांदी की पाव भर की, टीका, पैण्डिल तोड़ा सोने का, दो जोड़ी जनाने कपड़े व मरदाने व दो किलो घी।

(4) श्री भगवत .. तीन सौ नकद, दो धोती जनानी, दो कमीज का कपड़ा छींटदार।

(5) श्री फूल सिंह .. टाईमपीस, 600 रु0 नकद, बाली सोने की आठ आने भर की, तबीजी चार आने भर की हाथों के कन्डुले पाव भर के चांदी के गट्टे छः छटांक के, एक घड़ी जनानी सैम्पल चांदी के।

(6) श्री गंगा शरण .. नकद 125 रुपया।

(7) श्री रिछपाल .. दो जोड़ी गट्टे 6 छटांक के, चांदी के दो तबीजी चार आने भर के, सोने की बाली 6 आने भर के, रेडियो दो-दो बण्ड का (लोकल) एक थाली, नकद 460 रुपया।

मुआवजा देने की जो बात है, तो हम हताश नहीं हुए हैं, हमारी जांच जारी है। मुझे उम्मीद है कि चोर और डाकू पकड़े जायेंगे। अगर छविराम और 14 साथियों का सफाया एक ही हमले में कर दिया तो यह कौन सी बात है। पुलिस का मनोबल बढ़ाइए और उसको समर्थन दीजिये, तो देखिये वे क्या-क्या चमत्कार करते हैं।

श्री रजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस पूरे वक्तव्य में एक सवाल महत्वपूर्ण है, जैसा माननीय हुकम सिंह जी ने भी पूछा था परन्तु उत्तर नहीं मिला, सी0 आर0 पी0 सी0 और आई0 पी0 सी0 से हिसाब से जितने भी अपराध होते हैं, दो तरह के

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

हैं--कागनीजिबिल और नान-कागनीजिबिल, यह भी है कि हरिजनों के सम्बन्ध में कोई भी अपराध होगा, हस्तक्षेपीय माना जायगा। पुलिस का पहला काम था मेडिकल का परचा काटा जाता। पुलिस खुद कहती है कि अन्दरूनी चोटें आयीं हैं, यह तो डाक्टर तय कर सकता है, पुलिस नहीं तय कर सकती। मैं तो जो प्रोसीजर है, उसके हिसाब से पूछ रहा हूं। पुलिस को मेडिकल के लिये परचा काटना चाहिये था, उनको हास्पीटल भेजना चाहिये था मेडिकल एग्जामिनेशन के लिये, नहीं तो जैसा मा0 हुकम सिंह जी ने कहा कि पुलिस ने अपराध को मिनिमाइज करने के लिये ऐसा किया। तो जो पुलिस है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं कि उन्होंने हरिजनों के साथ अपराध हुआ है, यह देखते हुए भी मेडीकल चेक-अप नहीं कराया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, वहां केवल हाथापाई हुई और मारापीटा हुई, जाहिरा चोट कोई थी नहीं। उन लोगों ने भी मना कर दिया कि हम लोग डाक्टरी मुआयना नहीं करायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिन परिस्थितियों के कारण हमने बहिष्कार किया था, वही परिस्थितियां फिर पैदा हो रही हैं, यह पुलिस को नहीं तय करना है, सब-इंसपेक्टर को नहीं तय करना है कि घाव छोटा है या बड़ा है। घाव तो घाव है वह चाहे छोटा हो, अन्दरूनी हो, धारदार हो या गुट्ठल हो। मैंने केवल इतना पूछा है कि उनके मेडिकल के लिये पर्ची क्यों नहीं काटी गयी। यह प्रक्रिया का जो उल्लंघन हुआ है जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि उन लोगों ने कहा कि "हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करायेंगे" तो मान्यवर जिस पुलिस वाले ने उनके बयान लिये हैं यदि वह पुलिस वाला होशियार पुलिस वाला होगा तो उसने ईमानदारी से इस बात को भी बयान में लिख लिया होगा। क्या मन्त्री जी बतला सकती हैं कि जो बयान उनके पुलिस ने लिये उसमें इस बात का उल्लेख कहीं पर है? जी0 डी0 में तो इस बात का उल्लेख होगा, मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगी कि जी0 डी0 में इस बात की इन्ट्री की गयी है कि हरिजनों ने कहा कि हम अपना मेडिकल मुआइना नहीं करायेंगे?

वक्तव्य सम्बन्धी स्पष्टीकरण के प्रश्नों का उत्तर कैबिनेट मन्त्री द्वारा न देकर राज्य मन्त्री द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(उत्तर देने के लिये गृह राज्य मंत्री के खड़े होने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि यह परम्परा रही है कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिये संसदीय सचिव, उप मंत्री या राज्य मंत्री खड़े होते हैं। यदि उन्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकत

होती है तो फिर कैबिनेट मन्त्री उत्तर देते हैं। यही बात उस दिन भी हम लोगों ने कही थी तो माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने ज्ञान दिया था कि मंत्री तो मंत्री होता है, किन्तु उस दिन भी माननीय रियासत हुसैन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो मंत्री प्रश्न को ओपेन करेगा, वही उत्तर भी देगा। मैं अबकी बार कई दिनों से देख रहा हूं कि यहां उल्टा हो रहा है। मान्यवर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय कैबिनेट मन्त्री के उत्तर देने के बाद राज्य मंत्री के उत्तर देने का क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह व्यवस्था है अपनी जगह पर परन्तु प्रस्ताव के सम्बन्ध में है, प्रश्नों के सम्बन्ध में नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं मान्यवर, प्रश्नों के बारे में भी यह परम्परा है। पहिले संसदीय सचिव हुआ करते थे, वह उत्तर देते थे या फिर उप मन्त्री या राज्य मन्त्री। लेकिन गृह विभाग में उल्टी परम्परा हो रही है। यह परम्परा का उल्लंघन है। मैं कुछ नहीं कहता परन्तु कानून अपनी जगह पर है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने कहा कि सामान्य परम्परा रही है। वह तो केवल उनकी सहायता कर रहे हैं।

श्री खैरुल बशर --

जब माननीय गृह मन्त्री जवाब देने के लिये खड़ी हो रही हैं तो उन्हें क्यों नहीं जवाब देने देते, वह क्यों खड़े हो कर हस्तक्षेप कर रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है, एक कन्वेन्शन रहा है कि पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी पहले हुआ करता था वो या फिर उप मन्त्री या राज्य मन्त्री (डिप्टी मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर) ही प्रश्नों के उत्तर देते रहे हैं। अन्तिम उत्तर ही केबिनेट स्तर का मन्त्री देता है। मुझे कोई एतराज नहीं है, वह देना चाहती हैं तो दें। परन्तु जहां तक माननीय सदन के अन्दर कोई नई परम्परा पड़ रही है क्योंकि पहिले केबिनेट मन्त्री का उत्तर आया और जब उससे सदस्य सन्तुष्ट नहीं हुए तो उसको राज्य मन्त्री उत्तर देने जा रहे हैं, तो क्या उनके उत्तर से सन्तोष हो जायेगा ? जब केबिनेट मन्त्री के उत्तर से नहीं हुआ है तो। मान्यवर, यह परम्परा उल्टी पड़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब कोई नीति का विषय हो तो केबिनेट मन्त्री को उत्तर देना चाहिये। यह मामला कोई नीति से सम्बन्धित नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

हमको कुछ एतराज नहीं है, यह उनकी मर्जी है लेकिन माननीय सदन की परम्पराओं का पालन करना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा कर्त्तव्य है।

मेरठ जनपद के ग्राम पूठी में हरिजन परिवारों को लूटने की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक नीति के विषय का सवाल है, हम अपनी परम्पराओं से प्रतिबन्धित हैं, लेकिन जहां तक असिस्ट करने का सवाल है उनका काम है सहायता करना और वह सहायता कर रहे हैं ।

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

माननीय सदस्य ने पूछा कि अगर कोई होशियार आई0 ओ0 होगा तो उसने उसको अंकित किया होगा और चोटों के सम्बन्ध में आपकी दृष्टि से अगर अंकित किया है तो ईमानदार है और जी0 डी0 में अंकित है कि चोटों के बारे में पूछा गया तो बताया कि किसी के कोई जाहिरी चोट नहीं है, मामूली चोटें हैं, इसलिए नहीं चाहते । तो श्रीमन् किसी मंशा, जो जांच अब तक हुई है, उसको छिपाने की नहीं है । अपराधियों को पकड़ने के लिए हम लोग हर तरह से सजग हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

जो मुकदमा लाज किया गया है वह फोर्सीबिल डकैती का मुकदमा 395 है । इसमें जबरदस्ती कर के किसी चीज को लेना और स्पष्ट रूप से कहा है कि वैपन्स इस्तेमाल हुई हैं, लोथल वैपन्स, कोई साधारण नहीं । चोटों का मुआयना नहीं करवाया । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब 395 का मुकदमा कायम हो गया, तो किसी के कहने न कहने का सवाल नहीं है उस मुकदमें के इन्टरेस्ट में, उसको कामयाब बनाने के लिए, जब काग्नीजेबिल केस हो गया, तो पुलिस की ड्यूटी हो गई कि उनका मेडिकल करायें । तो मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि हरिजनों को लूटा था, उनके आप बड़े पक्षधर बनते हैं, लोथल वैपन्स के साथ 18-20 बदमाश थे, एक घंटे तक उनके घरों में रहे, इसमें क्या-क्या हुआ होगा, यह वह जानते हैं या आपका थानेदार । केवल उसको मिनिमाइज करने के लिए जानबूझ कर उनका मेडिकल नहीं कराया । इसलिए इस चीज को देखते हुए क्या आप उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

शिकायत अगर माननीय सदस्य को है तब तो, वहां हरिजन जिन्होंने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी, उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, उन्होंने यह पूछा कि अगर काग्नीजेबिल आफेंस है और काग्नीजेबिल आफेंस होने के बाद क्या यह एहितियात बरती गई कि उनका मेडिकल करायें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

अगर चोट जाहिरी हो तब मेडिकल कराने का उसूल है और चोट जाहिरी न हो तो कोई बड़ा अपराध नहीं बनता है ।

श्री मोती लाल देहलवी---

माननीय गृह मन्त्री के उत्तर से सम्बन्धित, गृह मन्त्री जी ने कागज पढ़ कर यह बताया कि जो रिपोर्ट लिखने गया था जिसने लिखित रिपोर्ट दी, उसने उसमें लिखा है कि हमें डाक्टरी कराने की आवश्यकता नहीं है । आप भी जानते हैं, कभी भी रिपोर्ट में इस तरह की बात लिखी नहीं है । हो सकता है, आपके यहां लिखा गया हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एक तो नत्थू सिंह ने रिपोर्ट लिखाई क्या जिन लोगों के चोटें आयीं और जितने लोग लूटे गये वह सब के सब थाने गये थे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

थाने में तो नत्थू सिंह गया था । उसने रिपोर्ट लिखाई थी क्योंकि और सबके दरवाजे बन्द थे । जब उसने किवाड़े खोल दिये, तो भागा ।

श्री हुकम सिंह---

सूचना जब दर्ज हो गई थाने में तो मैं जानना यह चाहता हूं कि किस समय वहां पर आपकी पुलिस पहुंची और मौके पर जा कर किस-किस से पूछताछ की जो चुटैल थे ।

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)---

जब नत्थू सिंह थाने पर पहुंचा....

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने पूछा कि किस किस से पूछताछ की मौके पर जाकर ?

श्री हुकम सिंह---

मैंने पूछा था कि आपकी पुलिस जब मौके पर पहुंची तो किस-किस से पूछताछ की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, सवेरे 8 बजकर 35 मिनट पर जब वह नत्थू सिंह रिपोर्ट लिखाने पहुंचा थाने पर उसी समय क्षेत्राधिकारी और एस0 पी0 और थानाध्यक्ष वहां पर पहुंच गए और सब पूछताछ वहां पर की । एस0 पी0 की वहां पर पूरी रिपोर्ट है जिन्होंने मुआयना किया और यह पाया गया कि वहां पर जाहिरा कोई रिपोर्ट नहीं थी और जी0 डी0 में लिखा है कि ज्यादा मारने की नौबत नहीं आई और मान्यवर, यह खुशी की बात है कि किसी की जान नहीं गई, माल तो आ ही जायेगा ।

श्री गौरी शंकर भैयया---

उपाध्यक्ष महोदय, इसे 379 में चला सकते थे 395 में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी । कोर्ट में जब मुकदमा जायेगा तो खारिज हो जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि 10 दिन हो गए इस घटना को तो क्या अब तक कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आये हैं और अगर नहीं आये हैं तो इस घटना में कौन-कौन लोग थे उसके सम्बन्ध में पुलिस की तरफ से क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जिन लोगों ने वहां पर प्रहार किया था, डाका डाला था उनके नाम अभी प्रकाश में नहीं आये हैं। छानबीन जारी है और पुलिस पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि उनका पता लगाया जाय। गांव के लोग नाम नहीं जानते हैं लेकिन शकल से पहचानते हैं। मान्यवर, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो उनके नाम भी जल्दी ही प्रकाश में आ जायेंगे।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

पुलिस की तरफ से अब तक क्या-क्या प्रयास किये गए हैं? उनकी जानकारी करने के लिए पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बता दिया उन्होंने कि छानबीन की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इस वक्तव्य में लिखा हुआ है कि नत्थू सिंह, उसके भाई तथा गांव के 6 अन्य व्यक्तियों यानी 7-8 आदमी हो गए तो जो इन्क्वायरी में गया आन दि स्पाट वह किन-किन लोगों के घर गए और किन-किन लोगों के उन्होंने बयान लिए?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जिनके घर पूछताछ की उनके नाम हैं—छोटे सिंह, नत्था सिंह, भागवत, फूल सिंह और गंगा चरन जिनके कि नाम मैंने अभी पहले भी बताये थे। वे लोग वहां पर मौके पर गए, पूछताछ की, अपनी विवेचना की और रिपोर्ट भेजी।

श्री राम गोविन्द—

जब रिपोर्ट थाने में लिखाई गई तो पुलिस घटनास्थल पर कब पहुंची? उसका टाइम क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने बयान पढ़ा है?

श्री राम गोविन्द—

वहां पुलिस के पहुंचने का टाइम इसमें नहीं दिया गया है, मान्यवर।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

तुरन्त ही वहां से चल पड़े और पहुंच गये। 4 किलोमीटर है। जितना उसमें टाइम लगता है उसी टाइम में वहां पहुंच गये।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय रियासत हुसैन साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। कागनिजिबुल अफेंस 365 का है जिसका मुआयना नहीं कराया

गया । माननीय रियासत हुसैन साहब बहुत पुराने तजुर्बेकार सदस्य हैं और माननीय हुकम सिंह जी वकील हैं मेडिकल जुरिसपुडेंस के अन्तर्गत चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे डाक्टर हो, उसकी मर्जी के विरुद्ध डाक्टरी मुआयना नहीं करा सकता है । इसमें किसी प्राविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है । इसलिए कि मर्जी के विरुद्ध डाक्टरी मुआयना नहीं कराया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बज कर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ ।

5 मार्च, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर।)

तालिका

वर्ष	आदेश का विवरण	रूप पत्रों के साथ जमा किये गये कर	निर्धारित कर की धनराशि	निकाली गई माँग	माँग निकालने की तिथि
1	2	3	4	5	6
73–74	अर्थदन्ड	..	5,004·60	5,004·60	18–9–80
75–76	प्रान्तीय	22,633·04	74,100·00	51,465·96	13–12–78
75–76	अर्थदन्ड	..	6,179·60	6,179·60	16–9–80
76–77	प्रान्तीय	37,128·27	61,991·31	24,663·04	31–8–79
76–77	अर्थदन्ड	..	4,972·60	4,972·60	16–9–80
76–77	धारा 21 प्रान्तीय	..	4,450·00	4,450·00	28–9–81
77–78	प्रान्तीय	16,526·38	1,00,000·00	83,473·62	29–12–79
77–78	केन्द्रीय	..	10,600·00	10,600·00	उक्त
77–78	अर्थदन्ड	..	16,694·60	16,694·60	16–9–80
78–79	प्रान्तीय	46,137·70	1,54,000·00	1,07,862·30	16–9–80
78–79	केन्द्रीय	..	10,600·00	10,600·00	16–9–80
78–79	प्रान्तीय	..	27,320·04	27,320·04	उक्त
79–80	प्रान्तीय	7,383·07	1,78,500·00	1,71,116·93	20–11–80
79–80	केन्द्रीय	..	10,600·00	10,600·00	20–11–80
80–81	अ० क० नि०	..	26,750·00	26,750·00	4–8–80
	योग	1,29,809·46	6,91,762·75	5,61,953·29	

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

तहसील डलमऊ के उन ग्रामों की सूची जो वर्ष 1981 तक चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत नहीं लिये गये:

1—अहमदपुर चेहटा
2—कठगर
3—कनहा
4—कल्यानपुर बैती
5—किशोरी बालमपुर
6—कुण्डवल
7—खरगपुर सौताना
8—चांदपुर लूक
9—जमुवावा
10—जमाल नगर मोइद्दीनपुर
11—जहांगीराबाद
12—टिकरान
13—टिकरिया
14—डकौली
15—डलमऊ
16—दीयेमऊ
17—भीरनपुर
18—घूता
19—धोबहा
20—नरायनपुर बन्ना
21—नवाबगंज
22—पूरे नसीरन
23—पूरे सैदराज
24—बिराहिमपुर जड़ैया
25—मखदूमपुर उर्फ सेखतपुर
26—मिर्जापुर उर्फ सूरजपुर
27—सुसुफपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

28—रजीतपुर जोनारी

29—लालमऊ

30—रामपुर गहिरखेत

31—सांडवरा

32—सरैला

33—सतनापुर बढ़ैया

34—हथकई

35—हमीरपुर बढ़ैया

36—एकईला

37—चरूहार जियायक

38—सदन खेड़ा

39—सैम्बसी

40—हरीपुर

41—अलीपुर

42—ऊदवामऊ

43—ऊगाभाद

44—कान्हामऊ

45—कनकापुर

46—गाडूमऊ

47—गोंगूमऊ

48—गोतीमखेड़ा

49—चककाटी

50—चकफेरशाह

51—चौहा

52—चिकखड़ी

53—जगतपुर रामगढ़ी

54—जैगोपालगंज

55—आबर हरदो पट्टी

56—ठगंचा

57—डंडनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

58—दौलतपुर

59—दोस्तपुर

60—देवमई

61—नरसिंहपुर

62—नरेन्द्रपुर

63—प्रतापपुर

64—पलियाबिर सिंहपुर

65—पुरुषोत्तमपुर

66—पूरे भवानी

67—बहरामपुर

68—बिठुली

69—बिमौरा महेश खेरा

70—बरी

71—बसगवां

72—बांसगढ़ी

73—बेहटाकलां

74—भूपतिपुर

75—भितरी

76—मटेहना

77—मालपुर

78—मलपुरा

79—मदनापुर

80—मवेमऊ

81—मेरुई

82—मोहनपुर

83—रहीमखेड़ा

84—रामखेड़ा

85—रामपुर खुर्द

86—रावतपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

87—रानीपुर

88—लखनगांव

89—लच्छीपुर

90—श्यामपुर

91—समोधा

92—सहदेमऊ

93—साढ़ापुर

94—सांडी

95—सुलतानपुर

96—सिद्धौर सेमरी

97—सूरजपुर गुमान खेड़ा

98—हथनासा

99—हरीपुर

100—कोटिया

101—किसुनपुर

102—भियामऊ

103—लहंगी

104—तेवारीपुर कलां

तहसील रायबरेली के उन ग्रामों की सूची जो कि वर्ष 1981 तक चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत नहीं लिए गये ।

1—अख्तयारपुर

2—अघौरा

3—अतरी

4—अलादादपुर

5—मखदूमपुर

6—आटी लौगवां

7—उफरामऊ

8—कक्केपुर

9—कनहट

10—करवा पिर्वन बाह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11—कोडरस बुजुर्ग

12—गोविन्दपुर

13—घूरा पट्टी

14—चक बहादुरपुर

15—चक भवोखर

16—चक दौलताबाद

17—चकरार

18—चक सहाबुद्दीनपुर

19—चक शेखूपुर

20—चक लोहरा हार

21—चक मझौला

22—चन्दबल

23—चन्दौली

24—चौहनिया

25—छतैवा

26—छावनी पुलिस

27—जरिया

28—जरैला

29—जमालपुर करौंदी

30—घोरहरा

31—पल्टू टांडा

32—पहाड़पुर काजी

33—पौरई

34—फखरुल हसन खेडा

35—बीबीपुर फुतफीरंकात

36—भीखनपुर

37—महानन्दपुर

38—मलिकपुर बरना

39—मछेछर

40—लोहानीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

41—कोहरामऊ

42—सराय मोहम्मद सरीफ

43—सलारपुर

44—सिन्धरपुर

45—सोथी

46—सोधठा

47—हिलालगंज

48—अहमदपुर नजूल

अवध पुरातत्त्व सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर।)

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1981-82 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हरिजन बस्तियों की सूची

क्रम-संख्या	हरिजन बस्ती का नाम	विकास खंड का नाम	विद्युतीकरण किस माह में किया गया
1	2	3	4
1	पुरौनिया	नौतनवा	दिसम्बर, 1981
2	मोहनापुर	,,	..
3	कोल्हुई	लक्ष्मीपुर	,,
4	गंगराई	परतावल	,,
5	खरहरी	सिसवा	जुलाई, 1981
6	टेढवा	,,	दिसम्बर, 1981
7	तिनकोनिया	,,	,,
8	भुजौली	,,	जनवरी, 1982
9	होवती	,,	,,
10	बन्दी	,,	..
11	बिलासपुर	,,	..
12	रुदलापुर	,,	..
13	बीजापुर	,,	..
14	लोहेपार	,,	..
15	गरमा	,,	..
16	चिउटहा	,,	..
17	गेहदिया	,,	..
18	करमहा	महराजगंज	अक्तूबर, 1981
19	चांदपुर खुर्द	कौड़ीराम	जुलाई, 1981
20	चांदपुर बुजुर्ग	,,	,,
21	खजुरी	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
22	भिटहा	कौड़ीराम	जुलाई, 1981
23	भलुआन	,,	जनवरी, 1982
24	बिस्तौली	,,	,,
25	मेहरौली	,,	,,
26	अहिरौली	,,	..
27	अमिया	,,	..
28	सुधा	,,	..
29	नगवा	,,	..
30	लहसड़ी टोली खैरा	खोराबाद	अगस्त, 1981
31	छितौनी	,,	नवम्बर, 1981
32	रानीपुर	,,	,,
33	महुई सुधरपुर	,,	दिसम्बर, 1981
34	महादेव झारखंडी	,,	,,
35	डहिया	,,	..
36	सनहा	,,	..
37	राजी विश्वनाथपुर	ब्रह्मपुर	अगस्त, 1981
38	नउवाबारी पिपरा	,,	..
39	हरिहर भैसा	,,	..
40	बक्कापार	,,	..
41	चतुर बम्बवारी	बांसगांव	सितम्बर, 1981
42	लोनाव	,,	..
43	कोठा	,,	..
44	उसरापार	खजनी	सितम्बर, 1981
45	विशनपरा	,,	,,
46	साख डाड पान्डेय	,,	..
47	मझगावां	,,	..
48	रक्सानारा	,,	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
49	बंगला पाण्डेय	खजनी	..
50	पिपरा	"	..
51	बघैला	"	..
52	बेनाइक	"	..
53	राना जं0 सोहास	पिपरौली	सितम्बर, 1981
54	सरैया	"	नवम्बर, 1981
55	बरहुआ	"	..
56	जं0 रानी सोहास	"	..
	टोड़ा जुलापुर	"	..
57	कुसुम्ही	"	..
58	महदिया	पगहा	सितम्बर, 1981
59	गौरपार	"	..
60	राजगढ़	"	..
61	कोवाडील	"	..
62	खरवाइज खोर	"	..
63	पिछौरा	"	..
64	धनवली	बड़हलगंज	सितम्बर, 1981
65	टोला विशुनपुरा जगदीशपुर	"	"
66	डुमरी (डेरवा)	"	"
67	बिगटी	"	"
68	सिखेगौर	"	"
69	सरैया	"	"
70	बिशुनपुरा	"	"
71	कमलहुआ	"	..
72	छपिया	"	..
73	ओझवली	"	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
74	नआब	गोला	दिसम्बर, 1981
75	तकेवलिया	,,	,,
76	सिवारी	,,	..
77	दीपगढ़	,,	..
78	देवलापार	,,	..
79	बाहपुर	,,	..
80	भीटीं	,,	..
81	अहिरौली	,,	..
82	रजौली	,,	..
83	कालीपार	,,	..
84	बरईपुरा	,,	..
85	बेऊरी	,,	..
86	नेवली	,,	,,
87	देवकली	,,	..
88	कुआवल	सहजनवा	जनवरी, 1982
89	केशवपुर	,,	..
90	पिपरा	,,	..
91	सिहापरार	,,	..
92	जोगीना	,,	..
93	रानीपुर	बुधुली	..
94	बिशुनपुर उर्फ कोलिया	,,	..
95	सोहरौता	,,	..
96	परसिया	,,	..
97	अमादा	,,	..
98	हरखी	,,	..
99	भखलिया	,,	..
100	पचरुखिया	,,	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
101	विशपुर गबडवा	घुघुली	..
102	बरहटा	जंगल कौड़िया	..
103	रगवापुर	,,	..
104	धर्मपुर	कम्पियरगंज	..
105	लक्ष्मीपुर	,,	..
106	पहाड़पुर	उरुवा	..
107	माल्हनपार	,,	..
108	बिठलपुर	,,	..
109	मनअरिया	,,	..
110	तेलऊरा	पाली	..
111	भरोहिया	,,	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर ।)

कृषक का नाम	ऋण दिये जाने का वर्ष
सर्वश्री —	
1—जियाउल हसन पुत्र शबीरुल हसन	1963–64
2—चिरंजी सिंह पुत्र कल्याण सिंह	1963–64
3—बृज राम सिंह पुत्र फूल सिंह	1963–64
4—जगदीश सरन पुत्र बृज भूषण सरन	1963–64
5—भारत पाल सिंह पुत्र मलखान सिंह	1963–64
6—खेमपाल सिंह पुत्र मिलाप सिंह	1968–69
7—सिराज खां पुत्र काले खां	1962–63
8—महेश प्रसाद कपूर पुत्र हरदेव प्रसाद कपूर	1963–64
9—तोसीकुल हक पुत्र इसराइल हक	1963–64
10—पं0 दुर्गा प्रसाद पुत्र गोविन्द राम	1976–77
11—गिरीराज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह	1976–77
12—राजपाल सिंह पुत्र चोखे सिंह	1976–77
13—हरपाल सिंह पुत्र फूल सिंह	1975–76
14—राजबीर सिंह पुत्र मिलाप सिंह	1976–77

उत्तर प्रदेश विधान सभा